Friday, 26th February, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३९, १९६०/१८८१ (शक)

[२२ फरवरी से ४ मार्च १९६०/३ से १४ फाल्गुन १८८१ (शक)]

Second Lok Sabha

सत्यमेव जयते

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३९ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १२—मंगलवार २३, फरवरी, १९६०/४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ से ३०५, ३०७, ३०८ और ३१० से ३१६. १०७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०९ और ३१७ से ३४४ . . १०९७–१११०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३९१ . . १११०–२६

सभा पटल पर रखा गया पत्र ११२७

प्राक्कलन समिति—

तिहत्तरवां प्रतिवेदन ११२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कामगरों द्वारा अचानक हड़ताल . . ११२७–२८

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ११२८–२९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९–६० . . . ११२९—५९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . . ११६०—७१

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ११७२–७३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११७४—७८

अंक १३—बुद्धवार, २४ फरवरी, १९६०/५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३५२ और ३५४ से ३६० . ११७९—१२०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५३ और ३६१ से ३७२ . . १२०२—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४२५ . . . १२०८—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२२७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १२२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटना १२२८

विषय-सूची

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर की शुद्धि . . . १२२९

विनियोग विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित १२२९

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य. . . १२२९–३०

निर्यात तथा आयात नियंत्रण (संशोधन) विधेयक . . . १२३०—५०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२३०—४९

खंड १ से ५ . . . . . १२५०

पारित करने के लिये प्रस्ताव १२५०

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२५०—७१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२७२—७५

अंक १४—गुरुवार, २५ फरवरी, १९६० / ६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७७, ३८०, ३८१ और ३८३ से ३८९ १२७७—१३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . १३०२—०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८, ३७९, ३८२ और ३९० से ४१० . १३०४—१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४७४ . . . १३१५—३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८–३९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १३३९

विनियोग विधेयक, १९६०—पारित . . . . १३३९—४१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १३४१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३६८—७२

अंक १५—शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६० ७, फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ से ४१६, ४१८, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२९, ४३०, ४३१, ४३३ और ४३४ . . . १३७३—१४००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . १४००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४११, ४१७, ४२०, ४२५, ४२६, ४२८, ४३२ और ४३५ से ४४८ . . . . १४०२—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७५ से ५०९ . . . १४१२—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४२७–२८

विषय-सूची पृष्ठ

राष्ट्रपति से सन्देश १४२८

राज्य सभा से सन्देश १४२९

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १४२९

लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—

पहला प्रतिवेदन १४२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा में जंगली चूहों के उपद्रव के कारण उत्पन्न स्थिति . . १४२९—३१

सभा का कार्य १४३१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १४३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १४५२

भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . . . १४५२—७८

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १४७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४७९—८४

अंक १६—सोमवार, २९ फरवरी, १९६०/१० फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ से ४५७, ४५९ से ४६६ और ४७१ . १४८५—१५०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . १५०९—१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५८, ४६७ से ४७० और ४७२ से ४८४ १५११—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१० से ५५६ और ५५८ से ५६५ . . १५१९—४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५४०—४२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १५४२

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ के उत्तर की शुद्धि . . . १५४३

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १५४३—८६

सामान्य आय व्ययक, १९६०-६१—उपस्थापित . . . १५८६—१६०६

वित्त विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित. १६०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६०७—१०

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १७—मंगलवार, १ मार्च, १९६०/११ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४९३ . . . १६१३—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ से ५२३ . . . . १६३५—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३२ . . . . १६५०—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६८०

सदस्य का निरोध और रिहाई १६८१

मुरादनगर में दूध इकट्ठा और ठंडा करने के केन्द्र में फर्श के बैठ जाने के बारे में वक्तव्य १६८१–८२

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६८२—१७२१

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९६०–६१ . . . . १७२१–५०

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १७५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७५४—५९

अंक १८—बुधवार, २ मार्च, १९६०/१२ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ५२९, ५३३, ५३४, ५३६ से ५३८ और ५४२ . . . . . १७६१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५३२, ५३५, ५३९ से ५४१ और ५४३ से ५६६ . . . . . १७८५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६७९ . . . १७९८—१८१७

स्थगन प्रस्ताव—

पुनर्वास मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं का खत्म किया जाना १८१७—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८२०–२१

राज्य-सभा से सन्देश १८२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन १८२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में चावल तथा धान के मूल्यों में वृद्धि . १७२१–२२

आसाम के मिज़ो डिस्ट्रिक्ट में खाद्य की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . १८२२–२५

विषय-सूची।	पृष्ठ
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों से सहमति . . .	१८२५–२६
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१	१८२६—७२
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	१८७२—८३
दैनिक संक्षेपिका	१८८४—८९
अंक १९—गुरुवार, ३ मार्च, १९६० / १३ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७४ और ६०७ . .	१८९१—१९१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७५ से ६०६ और ६०८ . .	१९१३—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६९१ और ६९३ से ७२० . .	१९२६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९४१–४२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दंडकारण्य में ट्रेक्टरों के बेकार पड़े होने से कथित हानि . .	१९४३–४४
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०-६१	१९४४—८६
सदस्य की गिरफ्तारी	१९५५
दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में प्रस्ताव . . .	१९८७—२००१
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	२००१—०६
दैनिक संक्षेपिका	२००७—१२
अंक २०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०/१४ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१४, ६१६ से ६२०, ६२२ से ६२६, ६२८ और ६२९	२०१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०९, ६१५, ६२१, ६२७ और ६३० से ६४३	२०३७—४५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७६६	२०४५—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०६८–६९
राज्य सभा से सन्देश	२०६९
भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	२०६९
सदस्यों की गिरफ्तारी	२०६९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण रलवे पर गाड़ियों की टक्कर . . .	२०७०
सभा का कार्य	२०७०
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित . . .	२०७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें–रेलवे, १९५९–६० . . .	२०७१—७९

विषय-सूची

	पृष्ठ
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव	२०७९—९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	२०९३–९४
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार अ० सिं० सहगल का) राय जानने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	२०९४–९५
पिछड़ी जातियां (धार्मिक संस्करण) विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) विचार करने के लिये प्रस्ताव—अस्वीकृत . . .	२०९५—२१०९
पूर्त तथा धार्मिक—न्यास (संशोधन) विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन तथा नई धारा ७-क तथा ७-ख का रखा जाना) (श्री रामकृष्ण गुप्त का)	
—वापस लिया गया	२१०९—१९
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२१०९—१९
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक (श्री पु० र० पटेल का) विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२११९–२०
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनचासवां प्रतिवेदन	२१२१
दैनिक संक्षेपिका	२११२—२७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६०
७, फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में नकदी का गायब हो जाना

†*४१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में नकदी के गायब हो जाने के संबंध में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि हानि के कारण का पता नहीं लगा है । क्या अब तक उस का पता लग पाया है या नहीं ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मामले पर पुलिस जांच कर रही है। वह यह पता लगाने का प्रयत्न कर रही है कि यह नकदी किस तरह गायब हुई ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विभागीय जांच का क्या परिणाम निकला ? क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद कार्यवाही की जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

387 (Ai) L.S.D.—1

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में कितनी नकदी गायब हुई थी और जिस समय वह गायब हुई उस समय वह किस के पास थी ?

†डा० प० सुब्बरायन : एक कैशियर के पास थी। उस ने बक्स में ताला लगा कर सामान्य रूप से चाभी हैड कैशियर को दे दी थी और दूसरे दिन जब वह वापस आया तो उस ने उस में से ६,५०० रुपया गायब पाया ।

†श्री तंगामणि : जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा ? क्योंकि यह चीज तीन महीने हुए तब से चल रही है ?

†डा० प० सुब्बारायन : यह पुलिस पर निर्भर करता है। हम उस से केवल जांच में शीघ्रता करने के लिये कह सकते हैं ।

गन्ना उत्पादक

†*४१३. { +श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना लगाने के बैलों से खींचे जाने वाले नये औजार का वाणिज्यिक स्तर पर विकास करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस औजार का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ।

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) डिजाइन पेटेन्ट करा दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को, जिस को इस औजार का वाणिज्य स्तर पर विकास करने का काम सौंपा गया है, चाव रखने वाली फर्मों के पास से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ग) वाणिज्यक स्तर पर औजार तैयार करने का काम शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या रूढ़िवादी तरीके से गन्ना बोने की तुलना में इस औजार से कोई लाभ होगा ।

†श्री अ० म० थामस : यह सर्वविदित तथ्य है कि रूढ़िवादी तरीके में बोने का काम आदमियों को करना पड़ता है। विदेशों में बोने और काटने का सारा काम मशीनों से किया जाता है। हम भी उसी तरीके को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, लखनऊ ने दो तरीके ढूंढ़ निकाले हैं। पहला ट्रैक्टर से चलने वाला है और दूसरा बैलों से चलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस औजार की उत्पादन लागत का हिसाब लगाया गया है ? यदि हां, तो एक औजार की कीमत कितनी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : ट्रैक्टर से चलने वाले औजार का मूल्य ४७२ होगा। बैलों से चलने वाले का मूल्य ४१६ रुपये होगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : बैलों से चलने वाले औजार से एक दिन में कितने एकड़ जमीन जोती जा सकती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : १९५६ में किये गये प्रयोगों से पता लगा है कि ट्रैक्टर लगा देने से एक दिन में आठ घंटे काम काम कर के ८ एकड़ भूमि में गन्ना बोया जा सकता है। यह आशा की जा सकती है कि बड़े खेत में उत्पादन १० एकड़ प्रति दिन होगा। प्रति एकड़ पर व्यय का अनुमान १२.९२ रुपये लगाया गया है। बैलों से चलाये जाने वाले औजार से १९५६ में किये गये प्रयोगों से पता लगा है कि एक दिन में ८ घंटे काम कर के २ $^{1}/_{2}$ एकड़ में बोना संभव होगा। काटने और बोने की लागत १२.२० रुपये प्रति एकड़ लगाई गई है। अनुमान है कि आदमियों द्वारा बोये जाने पर प्रति एकड़ खर्च १७.२० और १८.४० रुपये के बीच आता है। अतः इस क्रिया को अपनाना मितव्ययितापूर्ण होगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विदेशी औजार की तुलना में देश में तैयार किये गये औजार की कीमत कैसी होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सर्वविदित तथ्य है कि अन्य देशों में बोने और काटने का सारा काम मशीनों से होता है जबकि हम अपने यहां आदमियों से यह काम कराते हैं। हमारा विचार मशीनों से काम करने का है किन्तु पूर्ण रूपेण नहीं। यदि बैलों से उसे चलाया जाता है तो बैलों की जोड़ी के अलावा तीन और आदमियों की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर से चलने वाले के लिये भी ट्रैक्टर चलाने वाले के अतिरिक्त तीन और आदमियों की आवश्यकता होती है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : एक औजार से कितने मजदूर बेकार हो जायेंगे ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने संचालन व्यय के तुलनात्मक आंकड़े बता दिये हैं। आदमियों से यह काम कराये जाने पर प्रति एकड़ खर्च १८.४० रुपये होगा। अन्य प्रक्रिया से काम लेने पर यह खर्च १२ रुपये प्रति एकड़ होगा। अतः ५–६ रुपये प्रति एकड़ का लाभ रहेगा।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : मेरा प्रश्न यह था कि कितने मजदूर बेकार हो जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसे नहीं बता सकते अन्यथा बता देते। माननीय सदस्य १८ को १ $^{1}/_{2}$ से विभाजित कर वह संख्या जान सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यमुना जलविद्युत परियोजना

+

*४१४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच यमुना जलविद्युत परियोजना (क्रम १ और २) को पुनरीक्षित रिपोर्ट जांच के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर आयोग ने क्या राय दी है; और

(ग) परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया।]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कारण बतलाया है कि क्यों इस नये संशोधित तख्मीनों को भेजने में देरी हो रही है और वह कब तक इसे भेजने की उम्मीद करती है ?

श्री हाथी : कारण तो यह बतलाया है कि रिवाइज़ कर रहे हैं। हम ने उत्तर प्रदेश सरकार को फिर लिखा है और उस का जवाब आया है कि जल्दी से जल्दी वह भेजेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, क्या माननीय मंत्री जी को यह आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस में काम शुरू हो जायेगा, और क्या इस सम्बन्ध में कुछ हिदायतें दी जा रही हैं ?

†**श्री हाथी :** मैं समझता हूं कि काम द्वितीय योजना समाप्त होने से पहले ही शुरू हो जाना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या दिली राज्य क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा करने के लिये और आगे कोई जांच-पड़ताल की गई है ?

†**श्री हाथी :** कुछ दिनों पहले इस बारे में एक प्रश्न था। दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिये जो उपाय हम कर रहे हैं उन्हें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया था।

†**श्री च० कृ० नायर :** पश्चिमी जमुना नहर से दिली में जल संभरण बढ़ाने के संबंध करनाल जिले में नलकूपों की योजना का क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** नलकूपों के विषय से सिचाई मंत्रालय का संबंध न होकर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से है।

†**श्री त्यागी** :क्या कोंच बांध की योजना, जिसके अन्तर्गत पंजा साहब के पवित्र स्थान पानी में डूब जाने की आशंका है, समाप्त कर दी गई है ?

†**श्री हाथी** : वह योजना छोड़ दी गई है।

कृषि संबंधी आयोग

+

†*४१५. { **श्री विद्या चरण शुक्ल** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि संबंधी आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है जो कि अन्य चीजों के साथ कृषि से संबंधित केन्द्रीय वस्तु समितियों और अन्य केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाओं के बारे में जांच करेगा ; और

(ख) इस मामले में कब तक निर्णय करने की आशा की जाती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) कोई समय सीमा बता सकना संभव नहीं है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : कृषि प्रशासन समिति ने इस प्रकार के आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है । इस महत्वपूर्ण मामले पर फैसला करने एक वर्ष से अधिक समय क्यों लग गया ?

†**श्री अ० म० थामस** : समिति की सिफारिश के अनुरूप मामला विचाराधीन है। उसकी सिफारिश यह थी कि प्रत्येक पांच वर्षों में विशेष समितियां बनाई जानी चाहियें जिनमें प्रसिद्ध कृषि प्रशासक, वैज्ञानिक और प्रगतिवादी किसान हों जो कि कृषि आदि से संबंध रखने वाली केन्द्रीय वस्तु समितियों के कार्यक्रमों और नीतियों की जांच किया करेंगी। इस मामले पर २८ अक्तूबर १९५९ को हुई विभागीय समिति में विचार किया गया था । इस समिति के सभापति कृषि मंत्री थे और यह निश्चय किया गया था कि संक्षिप्त निर्देश-पद कृषि संबंधी समस्याओं और भारत में कृषि बोर्ड तथा पशुपालन के फसल एवं भूमि तथा पशु पालन अनुभाग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बनाये जाने चाहिये। प्रस्ताव यह है कि एक आयोग स्थापित किया जाये। जैसा कि सदन को विदित है १९२८ में एक आयोग बना हुआ था और उसके बाद कृषि की समस्याओं के बारे में कोई विशद जांच नहीं की गई। अतः अब द्वितीय कृषि आयोग बनाने का विचार है और उसके लिये निर्देश पद बनाये जा रहे हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या कृषकों के लिये उचित न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना जो कि सारे देश में उपभोक्ताओं को देनी पड़ेगी, भी निर्देश-पद में शामिल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : निर्देश-पद बनाने के लिये एक समिति बनाई गई है जिसके सभापति भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उपाध्यक्ष होंगे। निर्देश-पद प्राप्त हो जाने के पश्चात् हमें उनको राज्य सरकारों में परिचालित करना होगा और आयोग नियुक्त किये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हमें उनके दृष्टिकोण को जान लेना पड़ेगा।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या इन दोनों बातों पर विचार किया जा रहा है ?

†श्री अ० म० थामस : निस्सन्देह ये चीजें भी उसी मामले के साथ आयेंगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस कार्य के लिये एक मंत्रणा समिति बनाई जा रही है।

†श्री वी० चं० शर्मा : क्या यह आयोग कृषि के सारे पहलुओं पर विचार करेगा ? यदि समितियां इन बातों पिर विचार कर रही हैं तो फिर आयोग नियुक्त करने की क्या आवश्यकता रह जाती है ?

†श्री अ० म० थामस : निस्सन्देह कृषि के विभिन्न पहलुओं पर भिन्न-भिन्न तरीकों से समितियां विचार कर रही हैं। किन्तु कुछ समय पहले मैंने जिस आयोग का उल्लेख किया है उसकी नियुक्ति करने का विचार कृषि के क्षेत्र में उसके व्यापक अर्थ में जांच करना है और उसके निर्देश-पद तथा व्यक्तिओं का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिये।

†सेठ गोविन्द दास : क्या आयोग नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है अथवा आयोग की नियुक्ति करने का निश्चय कर लिया गया है और केवल उसके निर्देश-पद ही विचाराधीन हैं ?

†श्री अ० म० थामस : अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं किया गया है। अन्तिम निर्णय करने से पहले इस पर केबिनेट में विचार होना है।

†श्री आचर : क्या अनेक पदार्थ समितियां भी इस मामले पर विचार करेंगी ?

†श्री अ० म० थामस : अब विचार भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से परामर्श लेने का है।

†श्री ब्रजराज सिंह : जिस मंत्रणा समिति का माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है और जो अनाजों के अधिकतम भाव निर्धारित करने के संबंध में है, वह कब तक बनेगी ?

†श्री अ० म० थामस : इसमें कुछ और समय लगेगा, उसके व्यक्ति तथा कुछ और बातों पर विचार किया जायेगा।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : नालागढ़ समिति की सिफारिशों पर विचार करने में विलम्ब को देखते हुए क्या कृषि सम्बन्धी कोई और आयोग स्थापित करने की आवश्यकता है ?

†श्री अ० म० थामस : इसमें कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है। एक आलोचना यह की गई है कि उसकी सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है और न उन्हें लागू किया गया है तथा उन्हें छोड़ दिया गया है कन्तु बात ऐसी नहीं है। उस समिति की विशेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

†श्रीमती सहोदरा बाई राय : किसी महिला को भी इस कमीशन का मेम्बर बनाया जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : इस पर भी विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैंगमैनों का तूफान एक्सप्रेस से कट जाना

+

†*४१६. श्री आसर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० के० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्रभात कार :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ दिसम्बर, १९५९ को पूर्व रेलवे पर मधुपुर और जसिडीह के बीच रेलवे लाइन पर काम करते हुए छः गैंगमैन अप तूफान एक्सप्रस के इंजन के नीचे आ गये;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या इस प्रकार मरे गैंगमैनों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) कर्मकार प्रतिकर में से १०० रु० का अग्रिम देय, जो देय हो सकता है, प्रत्येक गैंगमैन की विधवा को दे दिया गया है । कर्मकार प्रतिकर की पूर्ण राशि शीघ्र ही कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दी जायेगी ।

†**श्री आसर** : इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व किस पर है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कोई उत्तरदायी नहीं है । यह केवल एक दुर्घटना है ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : ये छः गैंगमैन किन परिस्थितियों में रेल के नीचे आगये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बहुत ही भयंकर परिस्थितियों में । कुछ कार्य हो रहा था और १३ गैंगमैन ४ पारियों में काम कर रहे थे । एक डाउन माल गाड़ी थी और दूसरी ओर से उसी समय ७ अप तूफान एक्सप्रैस आ रहा था । चेतावनी दी गई; सिगनल दिये गये; सीटी बजाई गई । फिर भी, गड़-गड़ाहट के कारण कदाचित वे सुन न सके । पहिली दो पारियों के लोग तो लाइन से हट गये परन्तु अन्य दो पारयों के व्यक्ति गड़गड़ाहट के कारण सिगनल न सुन सके । नियमानुसार उन्हें लाइन से हट जाना चाहिये था परन्तु वे नहीं हटे और नीचे आ गये । यह बहुत ही दुःखद घटना है ।

†**श्री तंगामणि** : बहुत ही दुःखद दुर्घटना की दृष्टि से जिससे छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, क्या सरकार उन्हें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय प्रतिकर के अतिरिक्त अधिक प्रतिकर देने पर विचार करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब कार्य के लिये सुझाव है। मैं इस सब की अनुमति नहीं दूंगा। यदि इसके लिये कोई उपबन्ध है तो वह प्रतीक्षा करें और देखें कि सरकार क्या करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इस दुर्घटना में मरे प्रत्येक मजदूर को कितना प्रतिकर दिया गया है या दिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रतिकर सम्बन्धी कागजात तैयार हो गये हैं । दो गैंगमैनों को ३५,००, ३५,०० रु०; दो गैंगमैनों को २४,००, २४,०० रु० और दो गैंगमैनों को २१,००, २१,०० रु० दिये जायेंगे ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या इन मृतक गैंगमैनों के कुछ आश्रित ऐसे हैं जिन्हें काम दिया जा सकता है, और क्या मंत्रालय ऐसे आश्रितों को काम देने पर विचार करेगा ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसके लिये माननीय सदस्य को सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है । रेलें ऐसा ही करती हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सम्बन्धियों को कोई अनुग्रहात् भुगतान दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १०० रु० का अग्रिम देय दे दिया गया है ।

†**श्री आचार** : इस दुःखद दुर्घटना की दृष्टि से जहां दोहरी लाइनें हैं, क्या सरकार भविष्य में वहां ऐसी दुर्घटनायें रोकने की कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि गड़गड़ाहट के कारण गैंगमैनों को पर्याप्त चेतावनी नहीं मिलती ?

†**श्री जगजीवन राम** : पूर्व सावधानी प्रक्रियानुसार ली जाती है । परन्तु यह दुःखद बात है कि इस बार उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया । प्रक्रिया यह है कि जब उन्हें चेतावनी दी जाये तब उन्हें लाइन से पूर्णतया हट जाना चाहिये । ऐसा करने की बजाये वे एक लाइन से हट कर दूसरी लाइन पर आ गये । रेलगाड़ी दूसरी ओर से आ रही थी और वे कट गये । इसके साथ ही महाप्रबन्धकों को पत्र भेज दिये गये हैं कि हम और क्या पूर्व सावधानी ले सकते हैं ।

पश्चिमी बंगाल में धान उत्पादन

\+

†*४१८. { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई फसल के बाद पश्चिमी बंगाल में १९५९–६० में कुल धान-उत्पादन का और इस वर्ष उस राज्य में जो अभाव रहेगा उसका अन्तिम प्राक्कलन प्राप्त हो गया है; और

(ख) इस अभाव की पूर्ति के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुल कितने खाद्यान्न की सहायता मांगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल के प्राक्कलनों के अनुसार इस वर्ष लगभग ४१ . ४८ लाख टन उत्पादन होगा । अब उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का एक चावल खण्ड बन गया है, पश्चिमी बंगाल को उड़ीसा से भी चावल मिलेगा । वर्ष के लिए

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में शुद्ध अभाव की मात्रा की अभी गणना नहीं हुई है परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्रीय स्टाकों से खाद्यान्न दिया जा रहा है। गेहूं कलकत्ता में केन्द्रीय डिपो से फुटकर विक्रेताओं, मिलों, आदि को दिया जा रहा है। कलकत्ता के लिये चावल और जिले के लिये गेहूं वितरण के लिये पश्चिमी बंगाल को दिये जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल की मासिक आवश्यकता का अनुमान राज्य सरकार के परामर्श से लगाया जा रहा है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार का ध्यान प्रेस समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि संघ खाद्य मंत्री ने पश्चिमी बंगाल में धान-उत्पादन के समय-समय पर विभिन्न मंत्रियों द्वारा दिये गये प्राक्कलनों पर असन्तोष प्रकट किया ? इस बारे में ठीक स्थिति क्या है और क्या अब बनाया गया प्राक्कलन अन्तिम व विश्वसनीय है और क्या इसकी जांच केन्द्रीय सरकार के विभाग ने की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सच है कि पिछले दिसम्बर के अन्त तक पश्चिमी बंगाल सरकार ने ४६.८ लाख टन उत्पादन का अनुमान किया था परन्तु वह केवल दार्ष्टिक अनुमान था। हमने पश्चिमी सरकार का व्यान विद्यमान असमानता की ओर आकर्षित किया है अर्थात् यह अनुमान ४६.८ लाख टन से कम होकर ४०.८ लाख टन उपलब्धिता पा आ गया है। उनका कहना है कि अन्तिम अनुमान फसल कटाई के प्रयोगों पर आधारित हैं और उसे यथोचित रूप से ठीक माना जाना चाहिये और वर्ष का उत्पादन ४१.४८ लाख टन समझना चाहिये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस दृष्टि से कि भूतकाल में पश्चिमी बंगाल के ये अनुमान समय-समय पर बदलते रहे हैं और इस दृष्टि से भी कि इन बातों के सत्यापन और जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार का अपना सांख्यकीय विभाग भी है, क्या इस सम्बध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस अनुमान में यदि कोई त्रुटि है तो वह हानिप्रद नहीं है। यह फसल की कटाई के सर्वेक्षणों पर आधारित है जिन्हें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग माना जाता है क्योंकि शत प्रतिशत सत्यापन सम्भव नहीं है। इनके फसल की कटाई के प्रयोगों पर आधारित होने के कारण हम समझते हैं कि सामान्यतया ये ठीक अनुमान होंगे।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : गत वर्ष पश्चिमी बंगाल में १२ लाख टन के अभाव का अनुमान था। इस वर्ष का अनुमान क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : शुद्ध उत्पादन और उपयोग आवश्यकता के आधार पर कुछ अस्थायी अनुमान तैयार किये गये हैं। उपभोग आवश्यकता का आधार १६.५ आउन्स प्रति व्यस्क है जो समस्त भारत की औसत से अधिक है। मैं मुख्य उत्तर में बता चुका हूं कि कोई अन्तिम गणना नहीं की गई है। परन्तु उनका अनुमान है कि इस वर्ष भी अभाव लगभग १२ लाख टन का होगा। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने उड़ीसा से केवल लगभग १.५ लाख टन चावल ऋण लिया है, परन्तु यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इस समय तक उड़ीसा से ८०,००० टन से अधिक चावल पश्चिमी बंगाल जा चुका है। पश्चिमी बंगाल ने जितनी मात्रा का अनुमान लगाया है उससे अधिक मात्रा में उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल सरकार को चावल जायेगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को इस वर्ष आगामी फसल से पहिले जाने वाले चावल की कुल मात्रा के बारे में सरकार की क्या आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** मैं ८०,००० टन के वहन के बारे में पहिले बता चुका हूं। यह वहन फरवरी के मध्य तक हो गया था। इसके अतिरिक्त ट्रकों और कुछ अन्य साधनों से थोड़ा चावल गया है। उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल जाने वाले चावल की मात्रा का हमने निश्चित अनुमान नहीं लगाया है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल सरकार के वक्तव्य और पश्चिमी बंगाल में चावल व्यापार के प्रतिनिधियों के उन वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने कलकत्ता में उड़ीसा के खाद्य मंत्री के समक्ष दिये थे कि उन्हें उस समय तक भेजे जाने वाले ४०,००० टन में से केवल १४,००० टन मिले हैं? माननीय मंत्री किस आधार पर कह रहे हैं कि ८०,००० टन भेजा जा चुका है? क्या वे पश्चिमी बंगाल पहुंच गये हैं?

†**श्री अ० म० थामस :** ये ८०,००० टन केवल रेल से भेजे गये हैं। उनका लेखा रेलों के पास है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि उड़ीसा-पश्चिमी बंगाल खंड की स्थापना के उपरान्त आशा के प्रतिकूल पश्चिमी बंगाल में चावल का मूल्य बढ़ गया और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों की जांच पड़ताल की है कि वे क्या हैं?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच है कि खंड बनने से पहिले पश्चिमी बंगाल में मूल्य कम हो गये थे और बाद में जनवरी मास में बढ़ गये। वे फिर कम हो रहे हैं। खंड की स्थापना के कारण पश्चिमी बंगाल में मूल्य में वृद्धि कभी नहीं हो सकती क्योंकि उड़ीसा से प्राप्ति होना निश्चित है। यदि वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि यदि खंड नहीं बनता तो वृद्धि बहुत अधिक होती। कुछ भी हो अब तो मूल्य कम हो रहे हैं।

†**श्री अ० चं० गुह :** माननीय मंत्री ने उपभोग, प्रति व्यक्ति की आवश्यकता, उत्पादन और भेजी जा चुकी मात्रा के बारे में अनेक विरोधी आंकड़े दिये हैं वह कहते हैं कि ८०,००० टन चावल भेजा जा चुका है परन्तु पश्चिमी बंगाल के व्यापारी कहते हैं कि उन्हें केवल १४,००० टन मिले हैं क्या माननीय मंत्री खाद्य नीति और बंगाल में खाद्य के वितरण के बारे में भी स्पष्ट वक्तव्य देंगे? इसकी सदैव यही समस्या रही है।

†**श्री अ० म० थामस :** व्यापारियों के वक्तव्यों का भारत सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ता। उस पर प्रभाव अन्य विश्वसनीय आंकड़ों का पड़ता है। मैं बता चुका हूं कि केवल रेल गाड़ी से ८०,००० टन चावल भेजा गया है और इस संख्या पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न नहीं है। पहिले अस्थायी अनुमान लगाया गया था। फसल कटाई के सर्वेक्षणों के बाद अन्तिम अनुमान लगा लिया गया है।

†**श्री अ० चं० गुह :** ८०,००० टन किस को मिले? क्या ये सरकार को दिये गये हैं या अन्य वितरणकर्ता एजेंसी को? वह कहां गये?

†**श्री अ० म० थामस :** यह चावल गैर-सरकारी आधार पर गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली उद्योग में जापानी सहयोग

+

†*४१९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० के० देव :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मछली उद्योग के विकास में जापानी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कोई सरकारी शिष्टमंडल जापान गया ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) क्या शिष्ट मंडल ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और वापस आ गया है ; और

(घ) उनके दौरे का क्या परिणाम निकला ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ग) भारत में मछली समवाय स्थापित करने में जापानी उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक शिष्टमंडल १ मार्च, १९६० को जापान जायेगा।

(ख) शिष्ट मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :

१. श्री कृष्ण चन्द, संयुक्त सचिव . . .	नेता
२. श्री वी० वी० कल्याणी, मत्स्य पालन निदेशक, मद्रास .	सदस्य
३. श्री के० चिदम्बरम, सहायक मत्स्य-पालन विकास मंत्रणा दाता	सचिव

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

†श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सहयोग सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में प्राप्त किया जा रहा है या इनमें से किसी एक क्षेत्र में ?

†श्री अ० म० थामस : यह सहयोग जापानी मत्स्य-पालन समवायों से प्राप्त किया जा रहा है। वे गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : यह सहयोग किसी विशेष प्रकार के उद्योग में प्राप्त किया जा रहा है, या यह सामान्य मत्स्य-पालन उद्योग है ?

†श्री अ० म० थामस : हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जापानी मत्स्य-पालन समवाय के सहयोग से किये गये क्रियाकारी उपायों द्वारा मत्स्य-पालन संसाधनों को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान, लंका और बर्मा में ऐसा हुआ है। हम भारत में भी वही तरीका अपनाना चाहते हैं जो कि उन्होंने अन्य देशों में अपनाया है। ऐसे सहयोग से बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत मत्स्यपालन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये रेफ्रिजरेटर, इन्सुलेटिड रेलवे वैन, ट्रॉलर और अन्य आवश्यक सामान आयात करने में सुविधा मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वे० ईयाचरण :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित यंत्रीकृत मत्स्यपालन में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** निश्चय ही, इसमें काफ़ी प्रगति हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री आचार** उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य, श्री आचार, मत्स्य-पालन में रुचि रखते हैं ?

†**श्री आचार :** जी, हां ।

सिंचाई के लिये बिजली

+

+*४२१. { **श्री सब्बय्या अम्बलम् :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सिंचाई के लिये बिजली की दरों में कमी करने को कहा है ताकि बिजली का अधिक प्रयोग किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) कुछ राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं कि बिजली की दरें उद्योगों को दी गयी बिजली की दरों से पहले ही कम हैं और इसमें और कमी की सम्भावना नहीं है ।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम् :** क्या मद्रास राज्य में सिंचाई के कार्य के लिये बिजली की दर में कोई कमी हुई ?

†**श्री हाथी :** मद्रास बिजली बोर्ड घरेलू उपभोग के लिये ४ . ८ आना और कृषि प्रयोजनों के लिये १ . २ आना की दर से वसूल करता है ।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम् :** क्या सिंचाई के लिये प्रति हार्स पावर के लिये ५० रुपये की न्यूनतम गारन्टी में कमी की कोई संभावना है ?

†**श्री हाथी :** यह मामला राज्य सरकार के लिये है । हमें राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम् :** क्या राज्य सरकार ने इस न्यूनतम गारन्टी में कमी करने के लिये केन्द्र से कहा है ?

†**श्री हाथी :** मेरे विचार में ऐसा कछ नहीं कहा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या राज्यों के पथ प्रदर्शन के लिये कोई समान दर निर्धारित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हाथी** : कोई समान दर निर्धारित करना सम्भव नहीं है। केन्द्र ने जो सुझाव दिया था, वह यह था कि कृषि के लिये दरें घरेलू उपभोग की दरों से कम हों।

†**श्री थानू पिल्ले** : मद्रास राज्य में उद्योगों के लिये क्या दर हैं और कृषि के लियें क्या दर हैं ?

†**श्री हाथी** : सामान्य उपभोग के लिये ४.२ आना, छोटे पैमाने के उद्योग के लिये १.५ आना और कृपि विकास के लिये १.२ आना।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समवायों को बिजली २ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है और यदि हां, तो यह दर कृषि कार्य के लिये बिजली की दर से अधिक है या कम है ?

†**श्री हाथी** : मेरे पास उनकी घरेलू लाइट और पावर और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लाइट और पावर की दरें हैं। सम्भवत: माननीय सदस्य कुछ उन बड़े पैमाने के उद्योगों का निर्देश कर रहे हैं जिनको बिजली बहुत अधिक दी गयी हो। मुझे ब्यौरे का पता नहीं है। यह हो सकता है कि अत्यधिक सम्भरण के लिये उनमें कोई करार हुआ हो परन्तु उस बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जहां पर कृषि के लिये बिजली की दरें उद्योगों के लिये बिजली की दरों से कम हैं ?

†**श्री हाथी** : हमारे पास लगभग सब राज्यों के बारे में जानकारी है—मुझको मिली जानकारी के अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि कृषि के लिये विजली की दरें सामान्य घरलू उपभोग की दरों से कम हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। लगभग सभी राज्यों में ऐसा है।

†**श्री हाथी** : मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पता लगता है कि कृषि के लिये बिजली की दरें कम हैं—कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** : आंध्र में क्या स्थिति है ?

†**श्री हाथी** : मेरे पास जानकारी है। प्रत्येक राज्य के बारे में जानकारी देने से तो मैं सभा पटल पर एक विवरण रख दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

सेठ गोविन्द दास : क्या हर राज्य में उस पूरे राज्य के जो रेट हैं, वे एक से हैं, या अलग-अलग स्थानों के रेट अलग-अलग हैं ?

श्री हाथी : अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रेट होते हैं। मद्रास ही एक स्टेट है, जिस में एक यूनिफार्म रेट बना दिया गया है। इंडस्ट्रीज के लिये, एग्रीकल्चर के लिये और डामेस्टिक सप्लाईज के लिये। लेकिन अभी दूसरे राज्यों में एक किस्म का रेट नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि कम से कम हर एक राज्य में रेट एक से हो जायें और एक स्थान के रेट और दूसरे स्थान के रेट में फर्क न हो ?

श्री हाथी : उस के लिये कुछ समय लगेगा, क्योंकि जब तक एक ग्रिड न हो जाये, तब तक जहां कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा हो, वहां पावर अभी तक ज्यादा रेट पर देनी पड़ती है, लेकिन इस बारे में हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में साहू जैन कैमिकल्ज को वहां के रिहंद डैम से बिजली दो नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है और खेती के काम के लिये दी जाने वाली बिजली का भाव तेज है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने पहले ही कहा है । मंत्री महोदय ने पहले ही मद्रास के अधिक संभरण के दर के बारे में कहा है ।

†**श्री हाथी :** माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं हर राज्य के बारे में प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। सामान्य भारी उद्योगों, हल्के उद्योगों, कृषि आदि को बिजली के संभरण के दरों में भिन्नता है । हर १४ राज्य के लिये ।पृथक पृथक प्रश्न पूछने की अनुमति मैं नहीं दूंगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** जब बिजली अधिनियम में संशोधन किया जा रहा था, मंत्री महोदय द्वारा संयुक्त समिति में एक आश्वासन दिया गया था कि वे यह देखेंगे कि भारत भर में कृषि कार्य के लिये बिजली उद्योगों की अपेक्षा सस्ती दर पर दी जाये । उस बारे में यह प्रश्न पूछा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कृषि के लिये ?

†**श्री ब्रज राज सिंह :** जी, हां । मंत्री महोदय द्वारा एक आश्वासन दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछने के बजाय, माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ सकते थे कि इस आश्वासन के बावजूद भी ऐसी बातें हुई हैं। कुछ भी हो, यह प्रादेशिक प्रश्न है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** श्रीमान् जी मैं केवल रिहांड का उदाहरण देना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक सामान्य प्रश्न पूछा जाये कि क्या कृषि के लिये बिजली की दरें उद्योगों के लिये बिजली की दरों से कम हैं और यदि नहीं तो क्यों कम नहीं हैं ?

†श्री हाथी : विभिन्न सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि कृषि के लिये बिजली की दरें सस्ती होनी चाहियें और मंत्री महोदय ने कहा था कि वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि कृषि के लिये बिजली की दरें सस्ती हों। उस के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह लिखा कि कृषि कार्यों के लिये बिजली सस्ती दर पर दी जाये और हम देखते हैं कि कृषि कार्यों के लिये घरेलू कार्यों और छोटे पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा सस्ते दरों पर दी जा रही है ।

जहां तक उद्योगों को अधिक सम्भरण का प्रश्न है, यह करार द्वारा होता है और यह राज्य सरकारों का मामला है । हम उन को इस बारे में मजबूर नहीं कर सकते कि कृषि कार्यों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

दर कम होने चाहियें क्योंकि उन को ट्रांसमिशन की लागत मितव्ययता आदि का भी ध्यान रखना होता है ।

†श्री ब्रज राज सिंह : मेरी केवल कठिनाई यह थी। अत्यधिक संभरण के नाम पर सारी बिजली की खपत हो रही है । मैं रिहांड का उदाहरण दे सकता हूं । वहां पर उद्योगों को दी गयी बिजली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के सब गांवों में बिजली लगाई जा सकती है ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

चीनी की मिलें

\+

†*४२२. { श्री पांगरकर :
श्री जाधव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में देश में और कितनी चीनी की मिलें स्थापित की जायेंगी ;

(ख) उन में से कितनी मिलें सहकारी आधार पर स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) वे कहां कहां पर स्थापित की जायेंगी ?

†खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १३ ।

(ख) १० ।

(ग) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मद्रास :

१. पचकूपम, वेल्लोर ताल्लुक, जिला नार्थ अर्काट ।

२. उदुमाल पेट, जिला कोयम्बटूर ।

३. पडलम, मदुरन्तकम ताल्लुक, जिला चिंगलेपट ।

उत्तर प्रदेश :

४. बाघपाट, जिला मेरठ ।

५. किछा हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।

६. सरसवा, जिला सहारनपुर ।

आन्ध्र प्रदेश :

७. तहसील कोव्वूर, जिला पश्चिमी गोदावरी ।

८. तहसील चोदावरम, जिला विशाखापटनम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

९. तहसील श्रीकाकुलम्, जिला श्रीकाकुलम् ।

१०. पयाकोरायपटन, जिला विशाखापटनम् ।

मैसूर :

११. शंकेश्वर, हुकेरी ताल्लुक, जिला बेलगांव ।

बम्बई :

१२. रेठार बुदरूक, ताल्लुक करड़, जिला उत्तर सतारा ।

१३. मालसिरस, जिला शोलापुर ।

मिल संख्या १ से ४, ६ और ८ से १२ सहकारी आधार पर स्थापित की जायेंगी ।

†**श्री पांगरकर :** क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है कि इन मिलों की स्थापना में कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** जैसाकि पहले भी सभा में कई बार बताया जा चुका है, अब हम अपने देश में ही मशीनरी बनाने का यत्न कर रहे हैं । अतः इस के लिये हमें बहुत कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

†**श्री पांगरकर :** सहकारी मिलों में कितना उत्पादन किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस सम्बन्ध में मेरे पास निश्चित रूप से तो आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मैं ने यह बता दिया है कि कुल १३ नयी मिलों में से १० मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी । हमारा विचार यही है कि नयी मिलें स्थापित करते समय सहकारी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाये ।

†**सेठ गोविन्द दास :** क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में विशेषकर होशिंगाबाद जिले में कोई चीनी की मिल स्थापित की जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में और कोई भी चीनी की मिल स्थापित नहीं की जा रही है ।

†**सेठ गोविन्द दास :** क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कोई मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस :** तृतीय योजना के लिये दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि वर्तमान सहकारी समितियां वास्तव में सहकारी समितियां हैं और वे सहकारी संस्थाओं के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां तो नहीं हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** ऐसा कहना ठीक नहीं है । वास्तव में सहकारी मिलों के अधिकांश सदस्य स्वयं गन्ना उत्पादन करने वाले व्यक्ति हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बिहार के सहारसा जिले में एक सहकारी चीनी की मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में एक सुझाव था । उस के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में बिहार में कोई भी नयी चीनी मिल स्थापित नहीं की जा रही है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या सरकार को ज्ञात है कि नासिक जिले के किसानों ने नासिक जिले में एक चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में अनुमति मांगी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह अभी विचाराधीन है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच नहीं है कि सहकारी संस्थाओं के लिये मशीनरी तथा संयंत्र के आयात के लिये लाइसेंस न मिलने के कारण गत दो वर्षों में चीनी की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कीमत की वृद्धि तो इस बात पर निर्भर करती है कि देश में कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया है, इस का सीधा सम्बन्ध मशीनरी के आयात से नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या मद्रास राज्य में—पचकुप्पम्, उदुमालपेट और पादलाम में मिलें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जायेंगी या कि तृतीय योजना काल में ?

†**श्री अ० म० थामस :** उन्हें द्वितीय योजना काल समाप्त होने से पहले ही स्थापित कर दिया जायेगा ।

†**श्री कोडियान :** मैं समझता हूं कि शेष सभी राज्यों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है । इन चीनी मिलों की स्थापना के लिये स्थानों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मुख्य रूप से गन्ने की उपलब्धि के आधार पर ।

भारतीय नाविकों की भर्ती

+

†*४२३. { **श्री आसर :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में कुछ विदेशी जहाजों में भारतीय पत्तनों से नाविकों की भर्ती बन्द कर दी है और पाकिस्तान तथा अन्य स्थानों से भर्ती प्रारम्भ कर दी है

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के परिणामस्वरूप जिन हजारों भारतीयों को भर्ती किया जाना चाहिये था, उन्हें भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया है और उस से देश को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय में बड़ी हानि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

९. तहसील श्रीकाकुलम्, जिला श्रीकाकुलम् ।

१०. पयाकोरायपटन, जिला विशाखापटनम् ।

मैसूर

११. शंकेश्वर, हुकेरी ताल्लुक, जिला बेलगांव ।

बम्बई :

१२. रेठार बुदरूक, ताल्लुक करड़, जिला उत्तर सतारा ।

१३. मालसिरस, जिला शोलापुर ।

मिल संख्या १ से ४, ६ और ८ से १२ सहकारी आधार पर स्थापित की जायेंगी ।

†**श्री पांगरकर** : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है कि इन मिलों की स्थापना में कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसाकि पहले भी सभा में कई बार बताया जा चुका है, अब हम अपने देश में ही मशीनरी बनाने का यत्न कर रहे हैं । अत: इस के लिये हमें बहुत कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

†**श्री पांगरकर** : सहकारी मिलों में कितना उत्पादन किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस सम्बन्ध में मेरे पास निश्चित रूप से तो आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मैं ने यह बता दिया है कि कुल १३ नयी मिलों में से १० मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी । हमारा विचार यही है कि नयी मिलें स्थापित करते समय सहकारी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाये ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में विशेषकर होशिंगाबाद जिले में कोई चीनी की मिल स्थापित की जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में और कोई भी चीनी की मिल स्थापित नहीं की जा रही है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कोई मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस** : तृतीय योजना के लिये दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि वर्तमान सहकारी समितियां वास्तव में सहकारी समितियां हैं और वे सहकारी संस्थाओं के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां तो नहीं हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसा कहना ठीक नहीं है । वास्तव में सहकारी मिलों के अधिकांश सदस्य स्वयं गन्ना उत्पादन करने वाले व्यक्ति हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बिहार के सहारसा जिले में एक सहकारी चीनी की मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में एक सुझाव था । उस के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में बिहार में कोई भी नयी चीनी मिल स्थापित नहीं की जा रही है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या सरकार को ज्ञात है कि नासिक जिले के किसानों ने नासिक जिले में एक चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में अनुमति मांगी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह अभी विचाराधीन है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच नहीं है कि सहकारी संस्थाओं के लिये मशीनरी तथा संयंत्र के आयात के लिये लाइसेंस न मिलने के कारण गत दो वर्षों में चीनी की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कीमत की वृद्धि तो इस बात पर निर्भर करती है कि देश में कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया है, इस का सीधा सम्बन्ध मशीनरी के आयात से नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या मद्रास राज्य में—पचकुप्पम्, उदुमालपेट और पादलाभ में मिलें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जायेंगी या कि तृतीय योजना काल में ?

†**श्री अ० म० थामस :** उन्हें द्वितीय योजना काल समाप्त होने से पहले ही स्थापित कर दिया जायेगा ।

†**श्री कोडियान :** मैं समझता हूं कि शेष सभी राज्यों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है । इन चीनी मिलों की स्थापना के लिये स्थानों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मुख्य रूप से गन्ने की उपलब्धि के आधार पर ।

भारतीय नाविकों की भर्ती

+

†*४२३. { **श्री आसर :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में कुछ विदेशी जहाजों में भारतीय पत्तनों से नाविकों की भर्ती बन्द कर दी है और पाकिस्तान तथा अन्य स्थानों से भर्ती प्रारम्भ कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के परिणामस्वरूप जिन हजारों भारतीयों को भर्ती किया जाना चाहिये था, उन्हें भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया है और उस से देश को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय में बड़ी हानि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

स्थिति यह है कि नौपरिवहन व्यापार में सामान्य रूप से कुछ कमी आ जाने के परिणामस्वरूप बहुत से विदेशी जहाज़ों का काम बन्द सा हो गया था। उस से स्वभावतः भारतीय नाविकों का काम कम हो गया है। यह भी देखा गया कि है कुछ एक विदेशी कम्पनियों ने इस देश से नाविकों की भर्ती बन्द कर दी है और उन्होंने अपने ही देश से नाविक भर्ती करने प्रारम्भ कर दिये हैं और कुछ कम्पनियों ने मलाया, चीन, सिंगापुर और पाकिस्तान के पत्तनों से नाविक भर्ती करने प्रारम्भ कर दिये हैं। भारतीयों को कम संख्या में नौकरी में रखने के कारण स्वभावतः विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कमी हो गयी है। विदेशी जहाज़ों के मालिकों को इस बात के लिये मनाने का यत्न किया जा रहा है कि वे भारतीय पत्तनों के नाविकों को भर्ती करें।

†**श्री आसर** : विदेशी कम्पनियों की उक्त नीति के परिणामस्वरूप कुल कितने भारतीय नाविक बेरोजगार हो गए हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जनवरी, १९५८ से आज तक कुल ७८०० नाविकों को काम से निकाल दिया गया था।

†**श्री आसर** : क्या हमारी सरकार ने भारतीय नाविकों को न लिये जाने के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : अनुमानतः १७२ जहाज़ों ने भारतीयों की भर्ती बन्द कर दी है उन में से ६८ जहाजों में भर्ती का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे रद्दी हो गए हैं। किन्तु ६२ नये जहाज़ों ने भर्ती प्रारम्भ कर दी है। इस प्रकार कुल ४२ जहाज़ों की कमी रही।

†**श्री तंगामणि** : इस समय हमारे कितने नाविक विदेशी नौपरिवहन कम्पनियों में काम कर रहे हैं। क्या यह सच है कि कुछ एक कम्पनियों ने कलकत्ता में पाकिस्तानी नाविकों की भर्ती बन्द कर दी है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय लगभग ६०००० भारतीय काम कर रहे हैं। लगभग ७८०० नाविकों को काम से निकाल दिया गया है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : वे पाकिस्तानी नाविकों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : उन्होंने या तो अपने देशों के नाविकों को भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया है या मलाया, सिंगापुर, चीनी और पाकिस्तानी लोगों को भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया है। लगभग २७ जहाज़ों ने जो कि पहले भारतीय नाविकों को भर्ती करते थे, अब पाकिस्तानी लोगों को भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया है, २० जहाज़ मलाया, सिंगापुर, और चीनी लोगों को और १५ जहाज़ यूनानी लोगों को भर्ती कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : हमारे जहाज़ों में कितने प्रतिशत विदेशी नाविक काम कर रहे हैं।

†**श्री राज बहादुर** : हम तो इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि विदेशी कम्पनियों में हमारे कितने नाविक हैं और मैं ने बताया है कि हमारे लगभग ६०००० नाविक काम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जहाजों में कोई विदेशी राष्ट्रजन सेवा कर रहे हैं, और यदि हां, तो वे कितने प्रतिशत हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक मुझे ज्ञात है, हमारे जहाजों में अधिक नाविक भारतीय ही ह । मैं नहीं समझता कि भारतीय विमानों में कोई विदेशी राष्ट्रजन काम करते हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : कलकत्ता पत्तन में कितने प्रतिशत विदेशी लोगों को भर्ती किया जाता है और कितने प्रतिशत भारतीयों को ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरा अनुमान है कि वहां पर लगभग ६००० से ७००० तक पाकिस्तानी नाविक हैं और शेष सभी भारतीय नाविक हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता पत्तन से प्रति वर्ष कितने प्रतिशत भारतीयों को भर्ती किया जाता है और कितने प्रतिशत पाकिस्तानी लोगों को ?

†**श्री राज बहादुर** : इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को एक समान भर्ती होने का अवसर दिया जाता है । वे अपनी अपनी बारी से आते हैं और इस सम्बन्ध में एक काम दिलाऊ दफ्तर है जो कि नाविकों को भर्ती करने में सहायता देता है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या सरकार इस संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखती कि कितने प्रतिशत भारतीयों और विदेशियों को भर्ती किया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : उनकी प्रतिशतता वही होगी जो कि कुल पाकिस्तानी नाविकों और भारतीय नाविकों में है । उन के आंकड़े मैं ने बता दिये हैं । उनके आधार पर प्रतिशतता निकाली जा सकती है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : : व्यापार में मंदी आ जाने के अतिरिक्त और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विदेशी जहाजों ने भारतीय पत्तनों से भर्ती बन्द की है ?

†**श्री राज बहादुर** : नाविकों की भर्ती के लिये विदेशी जहाज भारतीय पत्तन पर मुख्यत: इसलिये आते हैं क्योंकि अभी तक उनका ऐसा अनुभव रहा है कि भारतीय नाविक अच्छा काम करते हैं और कम वेतन पर और हर प्रकार का काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं । अभी तक भारतीय नाविक विदेशियों के हर प्रकार के व्यवहार को सहन करते रहे हैं । वह व्यवहार राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से अच्छा नहीं था । परन्तु अब हमारे नाविकों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जाग उठा है । कभी कभी हो सकता है कि ऐसी भावना को अनुशासन हीनता भी समझ लिया जाये । कभी कभी हमें अनुशासन हीनता के कुछ मामलों की भी सूचना मिली है । हम ने नाविकों के संघ से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अनुशासन तथा काम के स्तर का पूरा ध्यान रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क यात्रा

+

†*४२४. { श्री कुन्हन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैलिनिक लाइन्स लिमिटेड नामक न्यूयार्क एक नौवहन फर्म ने यह इच्छा प्रकट की है कि वे प्रति वर्ष दस भारतीय विद्यार्थियों को दोनों तरफ की निःशुल्क यात्रा कराने को तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) हां, श्रीमान।

(ख) इसकी सूचना सूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालयों को भेज दी गई है ।

†**श्री कुन्हन** : उसका विवरण क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : जब राष्ट्रपति आइजनहोवर भारत आये थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने एक भाषण में उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि दोनों देशों के विद्यार्थी एक दूसरे देश को जायें तो उसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस प्रार्थना के परिणाम-स्वरूप हैलेनिक लाइन्स लिमिटेड, न्यूयार्क बिना किसी शुल्क के प्रति वर्ष दस विद्यार्थियों को एक भारतीय बन्दरगाह से संयुक्त राज्य अमरीका तक ले जाने तथा वहां से उस बन्दरगाह तक वापस लाने के लिये तैयार हो गई है।

†**श्री कोडियान** : उनकी इस सहायता का धन के रूप में क्या मूल्य है, यह सहायता प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिये है अथवा द्वितीय श्रेणी में और उनको क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जिस समय जितना किराया होगा, उतना ही उस सहायता का मूल्य होगा।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक विद्यार्थियों को छांटने का सवाल है, यह काम केन्द्रीय सरकार करेगी या भिन्न भिन्न राज्यों से या विश्वविद्यालयों से उन के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें आयेंगी? इस सम्बन्ध में उन विद्यार्थियों की क्या योग्यतायें हैं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा या किन्हीं और बातों का विचार किया जाएगा ?

श्री राज बहादुर : जो प्रस्ताव इस विशेष शिपिंग कम्पनी ने रखा है उसके अनुसार एक अनिवार्य शर्त यह रखी है कि उनका चुनाव या जो सिलैकशन होगा वह सैंट्रल मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री आफ साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल एफेयर्स के द्वारा होगा।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता था कि उस के सम्बन्ध में क्या विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से भी सिफारिशें मंगाई जाएंगी या स्वयं केन्द्रीय सरकार इसको करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : इसके बारे में हम ने मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन को सूचित कर दिया है। आफर आए हुए बहुत दिन हुए नहीं हैं। दिसम्बर में प्रेज़ीडेंट साहब यहां आए थे। जनवरी के महीने में आफर आई है। अभी बात चीत चल रही है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या इस सहायता में ऐसा कोई संकेत है कि वे विद्यार्थी थोड़े समय के लिये वहा दर्शनीय स्थान देखने जायेंगे अथवा वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : दर्शनीय स्थानों को देखने के लिये जो व्यक्ति जाते हैं, वे पर्यटक कहलाते हैं, विद्यार्थी नहीं।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : यह जो विद्यार्थियों को बाहर भेजा जायेगा, इन में लडकियां भी होंगी ?

श्री राज बहादुर : जी हां, मैं समझता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका भी ध्यान रखेगी।

अध्यक्ष महोदय : आधी लड़कियां तो होंगी।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता द्वारा हड़ताल

+

†*४२७. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइस कारपोरेशन के धरातल परिवहन कर्मचारियों ने हाल ही में कलकत्ता में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसका सेवाओं पर क्या असर पड़ा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का कारण यह बताया गया था कि बुडवर्न पार्क के निकट ली रोड से १३ बैलीगंज सरक्यूलर रोड तक इंडियन एयर लाइस कारपोरेशन के गैरेज के स्थानान्तरण में मोटर चालकों को बड़ी असुविधा हो रही थी।

(ग) हड़ताल के परिणाम स्वरूप १४ यात्री विमान तथा ३ चार्टर विमान देर से छूटे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस असंतोष का क्या कारण है और क्या इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि उन लोगों को ठीक वेतन मिले ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हड़ताल का कारण यह बताया गया था कि गैरेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में चालकों को असुविधा हो रही थी। मेरी समझ में हड़ताल के लिये यह बड़ा सी निर्बल आधार था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : नहीं, श्रीमान् । हड़ताल शीघ्र ही खत्म कर दी गई थी । केवल ३ दिन तक हड़ताल चली थी और सेन्ट्रल यूनियन ने उसके लिये क्षमा मांग ली थी । उन्होंने कहा कि स्थानीय यूनियन के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और यह मामला प्रेमपूर्वक तय हो गया ।

नजफ़गढ़ का गन्दा नाला

+

†*४२९. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री रामजी वर्मा :
श्री अमजद अली : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ नाले का काम पूरा नहीं हुआ है और कोई और प्रगति नहीं हो रही है जिससे रात दिन ग्रामवासियों के साथ दुर्घटना होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या इस नाले के कारण कोई घातक अथवा सामान्य प्रकार की दुर्घटना वस्तुत: घटित हुई है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे दुर्घटनायें किस प्रकार की हुई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जून, १९६० के अन्त तक नाले के काम के पूरे होने की आशा है । काम की प्रगति अब संतोषजनक है । दुर्घटनायें रोकने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयुक्त सावधानी बरती जा रही है ।

(ग) कोई भी घातक दुर्घटना नहीं हुई है । तथापि यह पता चला है कि संयोग से एक डाक्टर नाले के लिये खोदी गई एक खाई में गिर पड़ा और वह इसलिये गिर पड़ा क्योंकि "खतरे" का जो बोर्ड लगा हुआ था वह उसके खिलाफ गया ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जो काम हाथ में है उसके पूरे न होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री करमरकर** : प्रथमत:, जब सीवर लाइन का नक्शा ठेकेदारों को दिया गया तो दिल्ली नगर निगम के नाली व्यवस्था इंजीनियर ने यह सूचना दी कि वह यह चाहता है कि नाले को नजफगढ़ रोड के दूसरी ओर ले जाया जाये । इससे काम रोक दिया गया । २ अगस्त, १९५७ को उसने पहला ही सुझाव मान लिया कि काम पुन: आरम्भ किया जाये और उसने यह सुझाव दिया कि भीतर वाला नाला ४·२६ फीट नीचे रखा जाना चाहिए । क्योंकि रेते के बहते रहने के कारण यह काम काफी कठिन परिस्थितियों में करना था अत: इस बात का अनुमान लगाया गया कि इसमें अतिरिक्त समय व धन लगेगा और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस मामले से को भूतपूर्व संयुक्त जलमल बोर्ड के विचार के लिये भेज दिया । बोर्ड ने अक्तूबर १९५७ में यह अन्तिम निर्णय किया कि नाला ४·२६ फुट नीचे रखा जाये । १४ जनवरी, १९५८ को ठेकेदारों ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और दर बढ़ाने के लिये कहा । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसकी सिफारिश भारत सरकार से की । भारत सरकार ने उस पर विधि मंत्रालय की राय मांगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्रालय की यह राय थी कि कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना चाहिए किन्तु अन्त में वे अतिरिक्त भुगतान के लिये राजी हो गये और जून १९५९ में ठेकेदारों के लिये दरों में वृद्धि कर दी गई । इसके बाद सातवीं अवस्था आती है जब कि उन ठेकेदारों को, जिन्हें सेक्टर २ और ३ का काम दिया गया था, ठेका देने के तुरन्त बात ही ठेकेदारों की सूची से निकाल दिया गया। इसके बाद आठवीं अवस्था आती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनी और अवस्थायें हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं सभी बातें बता देना चाहता हूं क्योंकि अन्यथा अनपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनी अवस्थायें और हैं ?

†**श्री करमरकर** : आठवीं और एक अन्तिम। ३० अक्तूबर, १९५९ को एक दूसरे ठेकेदार को सेक्टर २ का काम दिया गया और १ दिसम्बर, १९५९ को सेक्टर ३ का काम भी एक अन्य ठेकेदार को दिया गया। कुछ और भी कारण हैं। किन्तु मैं संक्षेप में ही बताना चाहता हूं। अन्त में, जैसा कि मैंने कहा, जून, १९६० के आसपास काम पूरा हो जायेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या उस डाक्टर को, जो खाई में गिर पड़ा था, कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री करमरकर** : उसको प्रतिकर नहीं मिल सकता था क्योंकि वह साइनबोर्ड के विरुद्ध गया जो कि एक गलत बात थी ।

†**श्री च० कु० नायर** : इस नाले के काम की पूर्ति के लिये क्या कोई अन्तिम तारीख तय की गई है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे माननीय मित्र को दिल्ली के बारे में मुझसे अधिक जानकारी है । जून, १९६० के अन्त तक काम के पूरे हो जाने की संभावना है ।

†**श्री च० कु० नायर** : जनवरी, १९६० ?

†**श्री करमरकर** : जून, १९६०, जनवरी, १९६० तो बीत चुका है ।

आंध्र प्रदेश में कृष्णा बांध

†***४३०. श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारों के लिये इस्पात न मिलने के कारण आंध्र प्रदेश में कृष्णा बांध का काम रोक दिया गया है ;

(ख) इस्पात की कमी की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) परियोजना के पूरे न होने से कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है तथा यह स्थिति कब तक रहेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) यद्यपि द्वारों के आवश्यक प्राप्त करने में देरी हुई थी परन्तु अब अपेक्षित मात्रा में इस्पात मिलना संभव हो गया है। अब इस्पात की कमी के कारण परियोजना का काम बंद नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि इस परियोजना के काम निर्धारित कार्यक्रम से आगे है और द्वारों के लिये इस्पात की कमी के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाया था ?

†**श्री हाथी** : मैंने भी यह बताया है । आरम्भ में अपेक्षित मात्रा में इस्पात प्राप्त करने में देरी हुई थी ।

अगरतला के लिये नाली-व्यवस्था योजना

+

†*४३१. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला के नाली-व्यवस्था की कोई योजना अन्तिम रूप से स्वीकार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). अगरतला नाली-व्यवस्था योजना के प्रथम प्रक्रम के लिये, जिस पर अनुमानत: २२·८७ लाख रुपये व्यय होंगे, स्वीकृति शीघ्र ही दी जाने वाली है ।

†**श्री दशरथ देव** : अगरतला में कब से काम के आरम्भ किये जाने की संभावना है ? गत चार वर्षों से योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने में देरी का क्या कारण था ?

†**श्री करमरकर** : देरी का प्रथम कारण तो प्राय: यह था कि यह निश्चय करना था कि बरसाती पानी की नालियां बनाई जायें अथवा जमीन के अन्दर बंद नालियां बनाई जायें । वस्तुत: मुझे पता नहीं कि यदि कोई देरी हुई तो वह क्यों हुई । योजना २४ दिसम्बर, १९५९ को स्वीकार की गई थी । मैं यह मालूम करूंगा कि यदि कोई देरी हुई तो कितनी देरी हुई तथा क्यों हुई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न यह था कि यह योजना कब पूरी होगी ।

†**श्री करमरकर** : मुझ उसकी सूचना की आवश्यकता है । क्योंकि जहां तक मैं समझ सकता हूं योजना के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुये उस पर विचार किया जा रहा है तथा स्वीकार किया जा रहा है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : शायद वे आस्ट्रेलिया की पद्धति तो नहीं अपना रहे हैं ।

†**श्री करमरकर** : पहले मुझे उत्तर दे लेने दीजिए, इसके पश्चात् आप कह सकते हैं । आय व्ययक में जितनी धन राशि नियत की गई है उसको देखते हुये योजना का काफी भाग इस वर्ष और अगले वर्ष पूरा हो जायेगा । बजट प्राक्कलनों से मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या यह सच है कि अगरतला में नालियां बनवाने, उनकी मरम्मत कराने तथा सफाई कराने के लिये सरकार ने अनुदान स्वरूप जो लगभग १२ लाख रुपये दिये थे उसे अगरतला नगरपालिका ने लेने से इन्कार कर दिया है ?

†**श्री करमरकर** : अगरतला जब संभरण योजना पर अनुमानत : . . . . .

†**श्री बांगशी ठाकुर** : जल संभरण योजना नहीं ; मेरा तात्पर्य नाली-व्यवस्था की योजना से है जिसके लिये सरकार ने १२ लाख रुपये स्वीकार किये थे यद्यपि अगरतला नगरपालिका ने उसके लिये मना कर दिया है ।

†**श्री करमरकर** : अगरतला नाली-व्यवस्था योजना के दूसरे प्रक्रम पर ११·८७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है । योजना के प्रथम प्रक्रम के बारे में, जिस पर अनुमानतः २२·८७ लाख रुपये व्यय होंगे, काम सम्बन्धित मंत्रालय के परामर्श से आरम्भ किया जायेगा । मैं दूसरा प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : सरकार अगरतला नगरपालिका को १२ लाख रुपये देने को सहमत हो गई है किन्तु उन्होंने उस अनुदान को लेने से इन्कार कर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे प्रश्न समझ गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैंने समझने की कोशिश की है । जो कुछ मैं समझ सका हूं वह यह है कि अगरतला नगरपालिका ने कुछ लेने से इन्कार कर दिया है और माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उसके लिये क्यों इन्कार कर दिया गया ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : इसके लिये क्यों मना कर दिया गया ?

†**श्री करमरकर** : मैं इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री दशरथ देव** : यह नालियां जमीन के अन्दर बनाई जायेंगी अथवा ऊपर ?

†**श्री करमरकर** : वर्तमान योजना बरसाती पानी की नालियों के लिये है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

†***४३३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में १९५६ और १९५९ में एक इंजन के निर्माण में विदेशी मुद्रा का अंश कितना था;

(ख) उसी अवधि में एक इंजन के निर्माण में कितने जन-घण्टे लगे; और

(ग) अब इंजन का मूल्य कितना है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) प्रति इंजन औसत विदेशी मुद्रा अंश निम्न प्रकार है :

१९५६	. .	१,३९,००० रुपये
१९५९	. . .	७०,००० रुपये

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक इंजन के निर्माण में लगे औसत जन-घण्टे निम्न प्रकार हैं :—

१९५६-५७	२६,८००
१९५९-६०	२९,२००
(अक्टूबर, १९५९ तक)	

(ग) इंजनों की वर्तमान औसत लागत निम्न प्रकार है :

लाभांश को निकाल कर	४,०९,००० रुपये
लाभांश को मिला कर	४,५७,००० रुपये

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने कहा कि १९५६-५७ में प्रति इंजन २६,८०० जन-घण्टे लगे जबकि १९५९-६० में २९,२०० घण्टे लगे । जन-घण्टों में इस वृद्धि का क्या कारण है ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी :** पहले हम बायलर और अन्य सामग्री का आयात करते थे । अब हम उनका निर्माण स्वयं कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त हमने अपना 'इन्टेगरल कास्टिंग' का तरीका छोड़कर 'फैबरीकेटिंग कंसट्रक्शन' का तरीका अपनाया है जिसमें अधिक श्रम लगता है । इसीलिये जन-घण्टे बढ़ गए हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हमें बताया गया है कि हम निर्यात शुरू करने जा रहे हैं । जापान और पश्चिमी जर्मनी जैसे पुराने निर्यातकों की तुलना में हमारा मूल्य कैसा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमारे मूल्य अत्यन्त अनुकूल हैं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी :** उत्पादन की लागत में से ऊपरी व्यय का प्रतिशत कितना है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी :** टेल्को के इंजनों की तुलना में हमारे मूल्य कैसे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** टेल्को में मीटर लाइन के इंजन बनते हैं और हम बड़ी लाइन के इंजन बना रहे हैं । इसलिये उनके मूल्यों की तुलना नहीं की जा सकती ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हम किन किन देशों को निर्यात करने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ऐसा कोई भी देश जो हमारे इंजनों का आयात करना चाहे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री किसी अनिच्छुक देश पर उन्हें नहीं लाद सकते । माननीय सदस्य निर्यात की संभावना जानना चाहते हैं । उदाहरण के लिये ब्रिटेन को इंजनों के निर्यात की कोई संभावना नहीं है ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** हम पूर्व और मध्य पूर्व के कुछ देशों को निर्यात करने का विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ऐन्थनी पिल्ले :** इंजनों का मूल्य इस समय कितना है ? तीन साल पहले की तुलना में वह कैसा है ? क्या श्रम कार्यकुशलता के कारण उसमें कुछ कमी हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वर्तमान मूल्य तीन वर्ष पहले की तुलना में कैसे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मूल्य कम हुए हैं ।

मद्रास और केरल के बीच अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

†*४३४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और मद्रास के बीच परामबीकुलम जल के उपयोग के बारे में अन्तर्राज्यीय नदी विवाद अब तय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वह समझौता किस प्रकार का है;

(ग) क्या शोलायार जल को संग्रह करने के लिये मद्रास की ओर जलाशय बन चुका था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दोनों राज्यों के बीच शोलायार जल के वितरण के सम्बन्ध में कुछ मत-भेद का अभी निबटारा होना है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** यह विवाद कब तक निबट जायेगा ?

†**श्री हाथी :** ८ फरवरी १९६० को एक बैठक हुई थी । बहुत सी बातें टेक्निकल स्तर पर तय की जा चुकी हैं किन्तु राज्य सरकारों ने अभी उनकी पुष्टि नहीं की है । मैं समझता हूं कि इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** चूंकि अभी इस पर पत्र-व्यवहार हो रहा है, तो क्या मैं विवाद के बारे में कुछ जान सकता हूं ? इन दोनों राज्यों में मत-भेद की असली बातें क्या हैं ?

†**श्री हाथी :** मद्रास सरकार द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन में जल संग्रह, जल प्रयोग, कुल जल की मात्रा, किस काल में उसका संग्रह और कब उसकी निकासी की जानी चाहिये, इसके सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई थीं । इन सारी बातों पर चर्चा की जानी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

टेलीफोन की ट्रंक कालों की दरें

†*अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. श्री त्यागी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् के आय-व्ययक सत्र के आरम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व उनके मंत्रालय ने टेलीफोन के ट्रंक कालों की दरों में महान परिवर्तन कर दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं और इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रात में अभी तक जो आधी दर वसूल की जाती थी वह प्रतिशत को पूरी वसूल की जायेगी और अन्य दिनों के लिये दर ५० प्रतिशत से बढ़ाकर ७० रविवार कर दी गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) टेलीफोन की ट्रंक कालों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; ट्रंक कालों को दरों पर जितनी रियायत मिलती थी उसमें १ फरवरी, १९६० से परिवर्तन कर दिया गया है। इस परिवर्तन के लिये संसद् की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय तार अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह गजट में विज्ञप्ति के द्वारा तार और टेलीफोन सुविधाओं के लिये नियम बना सकती है। भारतीय तार संशोधन अधिनियम १९५७ का ४७वां की धारा ७ के खण्ड ५ के अन्तर्गत "धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बन जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के सम्मुख यथासंभव तीस दिन से पूर्व नहीं रखे जायेंगे और उनमें संसद्, जिस सत्र में वे रखे गये हैं उसी में अथवा उसके बाद वाले सत्र में तत्काल ही, रूप भेद कर सकेगी।" रियायती दरों में संशोधनकारी नियम २३-१-१९६० के गजट में प्रकाशित किये गये थे और लोक-सभा के सम्मुख १०-२-६० को रख दिये गये थे। अधिनियम के उपबन्धों का तब से कठोरतापूर्वक पालन किया जा रहा है।

(ख) (१) रियायती प्रशुल्क और १ फरवरी, १९६० से पहले और बाद के काल की दरें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]।

(२) राजस्व में कोई अधिक परिवर्तन की आशा नहीं है।

(ग) जी हां। परिवर्तनों का ब्योरा उपर्युक्त भाग (ख) (१) में रखे गये विवरण में दिया गया है।

†श्री त्यागी : विवरण से लगता है कि रात में १२ बजे के बाद से लेकर छः घंटे तक सामान्य दर की एक तिहाई दर ली जाती है। इन छः घंटों को कम करके अब केवल घंटे कर दिया गया है; जब कि इन दो घंटों की दर ३३⅓ प्रतिशत न होकर ४० प्रतिशत हुआ करेगी। आधी दर जो पांच घंटे तक ली जाती थी उसका समय बढ़ाकर छः घंटे कर दिया गया है किन्तु दर ५० प्रतिशत से बढ़ाकर ७० प्रतिशत कर दी गई है।

†अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न क्या है? माननीय मंत्री का कहना है कि ऐसा किया जा चुका है। अब वह क्या पूछना चाहते हैं? क्या वह यह जानना चाहते हैं कि यदि दर बढ़ा देने से राजस्व में वृद्धि नहीं होती तो फिर बदलने की क्या आवश्यकता थी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** जिन तेरह घंटों में १०० प्रतिशत दर ली जाती है उसे बढ़ाकर १६ घंटे कर दिये गए हैं। अब १६ घंटों तक १०० प्रतिशत दर ली जाया करेगी। उसके पश्चात् मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य यह दावा किस प्रकार करते हैं कि दरों और अधिक दरों के समय में वृद्धि हो जाने के बावजूद राजस्व में कैसे वृद्धि नहीं होगी।

†**डा० प० सुब्बरायन :** ये परिवर्तन सीधे आने वाले कालों में शीघ्रता करने की दृष्टि से किये गए हैं। रियायती समय के अन्दर बहुत अधिक काल बुक किये जाने के कारण जितनी बुकिंग की जाती है उसके एक तिहाई भी नहीं हो पाते हैं। अब उसकी जांच कर लेने और काम शुरू हो जाने के पश्चात् उन कालों की संख्या बढ़ जाती है जिन पर बात हो जाती है और उन कालों की संख्या घट जाती है जिन पर बात नहीं हो पाती। अतः ऐसा जनता की सुविधा की दृष्टि से किया गया है अधिक काल वाले समय अर्थात् प्रातःकाल यह काम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिये अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और फिर उनको अधिक वेतन देना पड़ेगा। इसी कारण ऐसा किया गया है अर्थात् कर्मचारियों के भार को हल्का करने और जनता को सुविधा देने के लिये जिससे सीधे काल पर वे जल्दी बात कर सकें।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री के वक्तव्य को समझने में एक कठिनाई और भी है। जिन छः घंटों में रियायती दर एक तिहाई थी उसे अब घटाकर दो घंटे कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान के आधार पर मेरा निष्कर्ष यह है कि जितनी कालें छः घंटे में हुआ करती थीं अब वे केवल दो घंटे के अन्दर ही हुआ करेंगी, इसलिय और भी कठिनाई होगी, क्योंकि यह काफी व्यस्त समय रहेगा।

†**डा० प० सुब्बरायन :** माननीय सदस्य की धारणा गलत है। ऐसा इसलिये किया जा रहा है ताकि सामान्य सामाजिक कालें इस बीच की जा सकें जब कि इस रियायती दर का उपयोग व्यापारी लोग करते थे जिससे सामाजिक काल करने वाले लोगों को कठिनाई होती थी।

†**श्री त्यागी :** इन रियायती दो घंटों में व्यापारियों को काल न करने से किस प्रकार रोका जा सकता है?

†**डा० प० सुब्बरायन :** इसका बड़ा साधारण सा कारण यह है कि जब कि वे यह देखेंगे कि उनकी काल जल्दी ही सीधी जा सकती है तो वे उस ७० प्रतिशत समय से लाभ उठाना चाहेंगे जो प्रातः और सायं दोनों में तीन घंटे बढ़ा दिया गया है।

†**श्री त्यागी :** क्या माननीय मंत्री ने कालों का प्रतिशत निकाला है और १५–२० दिनों में जो परिवर्तन हुआ है उसे देखा है?

†**डा० प० सुब्बरायन :** इसका पता लगाने के लिये यह समय बहुत ही कम है किन्तु जो कुछ मैं ने सुना है उससे पता चलता है कि काम बड़े सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है और लोगों को सीधी काल पहले से कहीं अधिक जल्दी मिल जाती है।

†**सेठ गोविन्द दास :** जो विवरण हमारे सामने रखा गया है उसके अनुसार कुछ दरें तो एक घंटे के अन्दर ही बदल जाती हैं, अर्थात् एक घंटे में दर कुछ है और दूसरे घंटे

---

†मूल अंग्रेजी में

में कुछ और हो जाती है। जहां तक कर्मचारियों और जनता का संबंध है क्या दोनों को इससे असुविधा नहीं होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : जी नहीं। कर्मचारियों के लिये पहले से अब यह सरल हो गया है।

†**श्री तंगामणि** : क्या डाक तथा तार कर्मचारियों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह परिवर्तन किसी हित द्वारा अभ्यावेदन किये जाने के परिणामस्वरूप किया गया है ? यदि हां, तो वह अभ्यावेदन किस प्रकार का था ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : जी नहीं। यह परिवर्तन तो इन लगातार शिकायतों पर किया गया है कि लोगों को जितनी जल्दी वे चाहते थे, सीधी काल नहीं मिल पाती थी। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे लोग समय के भीतर बात कर सकें और सन्तुष्ट हो सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फल उत्पादन

†*४११. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी फल मक्खी संबंधी अमरीकी प्रविधि की ओर आकर्षित किया गया है जिसका प्रदर्शन विश्व कृषि मेला में अमरीकी मेला में किया गया है;

(ख) क्या देश में सेव, केला, पपीता तथा अन्य फलों के उत्पादकों की सहायता के लिए इसे अपनाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां।

(ख) तथा (ग). इससे पहिले कि खेतों में फल मक्खियों के नियन्त्रण की प्रविधि अपनाई जाये, बन्धीकरण औषधि, समागम की आदत पर बन्धीकरण के प्रभाव और मक्खियों की आयु पर पर्याप्त प्रयोग होने आश्वयक हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था इस संबंध में पहिले से ही अनुसन्धान कर रही है। निस्संदेह भारत सरकार फल मक्खियों के निवारण के लिए इस ढंग की जांच करने पर विचार करेगी। बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग इसकी लागत पर निर्भर होगा।

रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियां

†*४१७. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े नगरों में रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियां बनाने की योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मर्ति)** : (क) रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियां बनाने की एक योजना बनाई गई है और समस्त राज्य सरकारों आदि को परिचालित कर दी गई है। वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस योजना में अपेक्षित परिवर्तन कर सकती हैं और तत्पश्चात् प्रत्येक राज्य में एक या दो अग्रिम योजनाएं बनाकर इस मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेजी जा सकती हैं।

(ख) प्रारूप योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समिति के सदस्यों में साइकिल रिक्शा चलाने वाले, मोटर रिक्शा के ड्राइवर और कुछ सहानुभूति रखने वाले लोग होंगे। अभी योजना में व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शायें सम्मिलित नहीं है। साइकिल रिक्शा चालकों और सहानुभूति रखने वालों की संख्या धीरे-धीरे कम होगी ताकि अन्त में केवल मोटर-रिक्शा चालक ही सदस्य रह जायेंगे। साइकिल-रिक्शा या मोटर-रिक्शा, जैसी भी स्थिति हो, समिति की होंगी और सदस्यों को उस किराये पर दी जायेंगी जो महासभा द्वारा निर्धारित होगा। प्रयास यह किया जायेगा कि साइकिल रिक्शाओं का मूल्य एक से डेढ़ वर्ष में और मोटर रिक्शाओं का मूल्य २॥ से ३ वर्ष में वसूल कर लिया जाये। केन्द्रीय सहकारी वित्त व्यवस्था एजेंसियों को वह राशि ऋण रूप में देने के लिए सहमत करना होगा जिसकी आवश्यकता समितियों को आरम्भ में होगी। जितनी वित्तीय सहायता राज्य सरकारें देंगी, केन्द्रीय सरकार उन्हें उतना ही ब्याज पर ऋण देगी। समितियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

१३ अक्टूबर, १९५९ के पत्र संख्या १३.३३/५९-कोप० आई०/यू० सी०, जो समस्त राज्य सरकारों को भेजा गया था, की प्रति एवं योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

फ्रांसीसी उर्वरकों का आयात

†**४२०. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीका सरकार द्वारा फ्रांसीसी उर्वरकों का आयात करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चय का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). हां, श्रीमान्। अमरीकी सरकार के तृतीय देश मुद्रा प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत को लगभग १००५० लाख फ्रेंक (२०.५ लाख डालर के बराबर) आवंटन उपलब्ध हुआ है। उर्वरकों की निम्न मात्राओं के संभरण के लिये जनवरी, १९६० में टेंडर जारी किया गया था :—

१. नाइट्रो—फास्फेट .	५०० टन
२. केलसियम* अमोनिया और/या	४८,६४० टन
३. यूरिया*	२३,०३४ टन

*उल्लिखित मात्रायें प्रत्येक उर्वरक की अधिकाधिक मात्रायें हैं जो आवंटन राशि से खरीदी जा सकती हैं। प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक खरीदा जायेगा, या उनके मूल्य के आधार पर निश्चित किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

अपेक्षित टेन्डर प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन हैं। आशा है कि अपेक्षित क्रयादेश शीघ्र दे दिये जायेंगे ।

नेपाल एयरलाइन्स सर्विस

†*४२५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल एयरलाइन्स सर्विस ने भारत में कार्य-संचालन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) भारत में उनके निश्चित मार्ग क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). रायल नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन ने काठमन्डू—नेपालगंज, दिल्ली और काठमंडू–पटना मार्गों पर १६ जनवरी, १९६० तथा काठमंडू—विरतनगर –कलकत्ता मार्ग पर १९ जनवरी, १९६० से सेवाएं आरम्भ कर दी हैं ।

खांडसारी

†४२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने से खांडसारी सात प्रतिशत से अधिक नहीं बन रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने खांडसारी की रिकवरी (मात्रा) बढ़ाने के लिये कुछ विशेषज्ञों को अनुसन्धान करने के लिय कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुसन्धानों का क्या परिणाम निकला ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) खांडसारी बनाने के पुराने तरीके से खांडसारी चीनी की रिकवरी (मात्रा) लगभग ४ से ५ प्रतिशत होती है, खुले कढ़ाओं के तरीके से लगभग ६ प्रतिशत और सल्फीटेशन तरीके के द्वारा लगभग ६.५ से ७ प्रतिशत होती है ।

(ख) और (ग). जी हां। अनुसन्धानों के फलस्वरूप, एक सुधरा हुआ तरीका विकसित किया गया है और लगभग ७.५ प्रतिशत मात्रा प्राप्त करने का प्रदर्शन करना सम्भव हो गया है, सुधार के कार्य और वेस्ट (waste) को कम करने के लिये और अनुसन्धान किये जा रहे हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

अमृतसर पठानकोट रेलवे लाइन पर बम विस्फोट

†*४२८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ नवम्बर १९५९ को अमृतसर और पठानकोट के बीच रेलवे लाइन पर हुए बम विस्फोट से सम्बन्धित व्यक्तियों का पता लगाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

अन्दमान के वन

†*४३२. { **डा० राम सुभग सिंह** :
सरदार अ० सि० सहगल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से अन्दमान के वनों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्दमान के जंगलों का आगामी भौतिक सत्यापन सरकार कब करेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). अन्दमान में वनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है । यदि माननीय सदस्य लकड़ी और सामान का उल्लेख कर रहे हैं तो ऐसा सत्यापन गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष यथासंभव किया गया था ।

पश्चिमी बंगाल में गेहूं का संभरण

†*४३५. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर, १९५९ में पश्चिमी बंगाल सरकार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये १५ रु० प्रति मन की गेहूं की बड़ी मात्रा भेजी थी ;

(ख) क्या यह गेहूं खुले बाजार में बेचा गया था ;

(ग) क्या यह गेहूं मानव-उपभोग के लिये ठीक न था

(घ) क्या कोई जांच की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच की खोज के निष्कर्ष क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को १४ प्रति मन पर गेहूं दे रही है । यह गेहूं परिवर्तित राशन और अन्य रूपों में जिलों में वितरण होगा ।

नवम्बर, १९५९ में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया था। पश्चिमी बंगाल सरकार से पता लगा है कि केन्द्र द्वारा दिया गया गेहूं न तो मानव-उपभोग के लिये बुरा था और न वह बाजार में बेचा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चीनी उत्पादन

*४३६. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में गन्ना पेरने के मौसम में १० फरवरी तक देश में कितनी चीनी तैयार की गई : और

(ख) १ नवम्बर, १९५८ से १० फरवरी, १९५९ तक कितनी चीनी तैयार हुई ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १३.५३ लाख टन—पहली नवम्बर, १९५९ से १५ फरवरी, १९६० तक ।

(ख) ११.१४ लाख टन—पहली नवम्बर, १९५८ से १५ फरवरी, १९५९ तक

भाखड़ा जलाशय में मिट्टी जमा हो जाना

†*४३७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा जलाशय में मिट्टी जमा न होने देने के लिये हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकारों का एक संयुक्त बोर्ड बनाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां । पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक बैठक में, जो १२ फरवरी, १९६० को हुई थी, यह सुझाव रखा गया था कि एक अन्तर्राज्य मिट्टी संरक्षण समन्वय बोर्ड बनाया जाये ।

(ख) बोर्ड में निम्न सदस्यों के नाम का प्रस्ताव किया गया है :

पंजाब

(१) योजना आयुक्त—सभापति

(२) कृषि सचिव

(३) मुख्य वन संरक्षक

(४) कृषि निदेशक

हिमाचल प्रदेश

(१) विकास आयुक्त—उप-सभापति

(२) मुख्य वन-संरक्षक

(३) कृषि निदेशक

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा बान्ध

भाखड़ा बांध के महा प्रबन्धक और इस पद के समाप्त होने पर भाखड़ा बांध संघ का एक प्रतिनिधि ।

बोर्ड पंजाब और हिमाचल प्रदेश की मिट्टी संरक्षण कार्यवाही तथा प्रोग्रामों की सतलुज और व्यास नदियों के जलग्रह-क्षेत्र में योजना बनायेगा और उनका पुनरीक्षण करेगा । अभी रावी नदी का जलग्रह-क्षेत्र इसके कार्य-क्षेत्र से अलग रखा जायेगा । बोर्ड का पूर्णकालिक सचिव होगा ।

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने अपनी अन्तिम बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया था और इन पर आगे कार्यवाही करना पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन पर छोड़ दिया ।

ट्रंक कॉलों की संशोधित दरें

†*४३८. **श्री दामानी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को ट्रंक कॉलों की संशोधित दरों से कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** ट्रंक कॉल की दरों में परिवर्तन नहीं हुआ है केवल समय और रियायत की मात्रा में परिवर्तन हो गया है ।

राजस्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा ।

खाद्य के वहन के लिये माल डिब्बों का अभाव

†*४३९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को खाद्य का वहन इस कारण रुक गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने कम माल-डिब्बे दिये हैं ;

(ख) क्या हाल में कलकत्ता में दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त कान्फ्रेंस में दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकारियों का प्रतिनिधि बुलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) नहीं । २८-१२-५९ से १८-२-६० तक उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को चावल और धान के ४७२४ माल डिब्बे भेजे गये जिन में इनकी मात्रा लगभग ९४,४८० टन थी ।

(ख) राज्य सरकारों ने रेलवे प्राधिकारियों से वहन बढ़ाने की प्रार्थना की है ।

(ग) कलकत्ता में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्य सरकारों के अधिकारियों की हाल की संयुक्त कान्फ्रेंस में दक्षिण पूर्व रेलवे का प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया परन्तु रेलवे पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सम्पर्क अधिकारी से घनिष्ठ सम्पर्क बनाये हुए है । रेलवे प्रतिनिधि परिवहन परामर्शदात्री समिति की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेता है । ये बैठकें पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक मंगलवार को की जाती हैं और उनमें इस प्रश्न पर विचार विमर्श होता हैं ।

(घ) यातायात शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में चिड़ियाघर

*४४०. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चिड़ियाघर के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

लोक-सभा में २० नवम्बर, १९५९ को तारांकित प्रश्न नं० १६७ के उत्तर देने के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर के बनाने में निम्न तरक्की हुई है :—

(१) नीचे लिखे कार्य पूरे हो चुके हैं :—

(क) भारतीय तैरने वाले पक्षियों के लिये एक तालाब

(ख) आस्ट्रेलिया और भारतीय पशुओं के रहने के स्थानों में पानी की नालियां

(ग) विकसित क्षेत्र में मोरियां और रास्ते

(घ) तीसरी सड़क का बनाना।

(२) निम्न नये कार्य आरम्भ किये गये हैं :—

(क) दो तेंडुओं के रहने के स्थान

(ख) हाथी का स्थान (पांच प्लेटफार्म पूरे हो चुके हैं)

(ग) गिरफेस और कुडुस के लिये रहने के स्थान

(घ) जेबरे, नूस और शुतर-मुर्गों के लिये रहने के स्थान

(ङ) प्रशासन ब्लाक का दूसरा भाग

(च) साइकिलों को रखने का स्थान

(छ) सुविधाओं वाले चार स्टेशन

(ज) खाद्य भंडार और रसोई ब्लाक ।

---

*मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न में राज्य व्यापार

†*४४१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम गरीब :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कठिनाइयों की दृष्टि से खाद्यान्न में राज्य व्यापार योजना में संशोधन कर दिया है जो राज्यों को हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री अ० क० गोपालन

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (~~श्री अ० मु० तारिक~~)** : (क) और (ख). नहीं, राज्य-व्यापार की योजना नहीं बदली है परन्तु कुछ राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों का क्रय बन्द कर दिया गया है। अधिकतर अतिरेक और सीमान्त अतिरेक राज्यों से चावल और गेहूं का क्रय हो रहा है।

पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया रकम

†*४४२. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान से "विवादग्रस्त" और "विवादरहित" बकाया रकम प्राप्त होने में कोई प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : पाकिस्तान से नहरी पानी के संभरण के लिये "विवादग्रस्त" और "विवादरहित" बकाया रकम का और कोई भुगतान नहीं हुआ है। मामले पर अभी दोनों सरकारों में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजर्व बैंक के द्वारा 'पैकेज प्रोग्राम' के अधीन काश्तकारों को ऋण

†*४४३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामी रेड्डी :
कुमारी वेद कुमारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने की अग्रिम परियोजनाओं पर विचार समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नगर आयोजन संगठन के कर्मचारियों की छंटनी

†*४४४. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर आयोजन संगठन के अनेक कर्मचारियों को निकट भविष्य में उन्हें कार्य से हटाये जाने की पूर्व सूचनायें मिल गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने अन्य सरकारी कार्यालयों में उन्हें लिये जाने का कोई प्रबन्ध किया है ;

(घ) उन में से कितने कर्मचारी अन्य सरकारी कार्यालयों में ले लिये जायेंगे; और

(ङ) क्या काम दिलाऊ दफ्तर या काम दिलाऊ निदेशालय इन निकाले गये कर्मचारियों को सरकारी या गैर-सरकारी कार्यालयों में व्यक्ति भेजते समय प्राथमिकता देंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नगर आयोजन संगठन में कर्मचारी दिल्ली की वृहत्तर योजना तैयार करने के लिये रखे गये थे। यह कार्य प्राय समाप्त हो गया है और संगठन में अतिरेक कर्मचारियों को काम से हटाये जाने की पूर्व सूचनायें दे दी गई हैं।

(ग) काम से हटाये जाने वाले कर्मचारियों के विवरण नगर आयोजन संगठन ने पुनर्वास तथा रोजगार महा निदेशालय को भेज दिये हैं। कुछ कर्मचारी केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगर आयोजन संगठन में भी रखे जायेंगे।

(घ) केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगर आयोजन संगठन में रखे जाने वाले कर्मचारियों को दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]** यह नहीं कहा जा सकता कि निकट भविष्य में अन्य सरकारी कार्यालयों में शेष कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी रखे जायेंगे।

(ङ) इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार आवश्यक प्राथमिकता दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली टिकट

†*४४५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस ने २९ जनवरी, १९६० को मुरादाबाद के 'सरस्वती प्रेस' नामक एक प्रेस पर छापा मारा और खाली टिकटों की किताबें तथा अतिरिक्त टिकट किराया किताबें प्राप्त कीं;

(ख) क्या यह सच है कि कम मूल्य पर जाली टिकट बनाने वाला एक "रैकिट" है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जाली टिकट-किताबों में प्रयोग किया गया कागज नहीं है जो वास्तविक टिकट किताबों में प्रयोग होता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) नहीं, श्रीमान। रेलवे पुलिस ने २५-१-६० को 'जेन प्रेस' पर छापा मारा था। उन्होंने बाद में अन्य स्थान से बोगस खाली कागज की टिकट-किताबें पकड़ीं।

(ख) कुछ मामले अवश्य हुए हैं परन्तु जाली टिकटों के नियमित "रैकिट" होने का कोई चिह्न नहीं है।

(ग) हां, वैसा ही कागज प्रयोग किया गया है।

सड़कों के नक्शे

†*४४६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने प्रत्येक राज्य तथा सम्पूर्ण देश के लिये सड़कों के विकास के सम्बन्ध में एक समन्वित योजना तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले की सड़कों के व्यापक नक्शे तैयार करने की एक योजना प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी और नक्शे कब प्रकाशित किये जायेंगे; और

(ग) योजना में ग्राम्य सड़कों के विकास को क्या स्थान दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश राज्यों में जिला बार सड़कों के नक्शे तैयार करने का काम चल रहा है और आशा है कि वह काम चालू योजना काल में पूरा हो जायेगा। वे नक्शे सरकारी प्रयोग के लिये तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) उन नक्शों का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जिले में किये जाने वाले सड़क सम्बन्धी विकास का एक व्यापक नमूना तैयार किया जा सके ताकि उनके आधार पर विभिन्न सम्बन्धित एजेन्सियाँ ग्राम्य सड़कों का सम्बन्धित योजनाबद्ध रूप से विकास कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांडला पत्तन में निर्बाध व्यापार जोन

†*४४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांडला पत्तन में एक निर्बाध व्यापार जोन स्थापित करने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : वह सुझाव अभी विचाराधीन है।

केन्द्रीय वानिकी बोर्ड[१]

†*४४८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि इमारती लकड़ी के समुचित आवंटन के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जाये;

(ख) क्या उस केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना कर दी गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस बोर्ड के सदस्य कौन–कौन हैं और उस बोर्ड के क्या–क्या काम हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) सभा–पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

दमदम जंक्शन पर सिगनल

†४७५. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में दमदम जंकशन, नार्थ केबिन, का स्टार्ट सिगनल नं० ३ एक ही समय तीन विभिन्न लाइनों, अर्थात् बोनगांव लाइन, दानकुनी लाइन और कार्ड लाइन की ओर संकेत करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे गाड़ियों के ड्राइवर भ्रम में पड़ जाते हैं और यह नहीं समझ सकते कि वे वास्तव में किस लाइन पर चल रहे हैं ;

(ग) १९५७, १९५८ और १९५९ में इसके कारण कितनी गाड़ियां गलत लाइन पर चली गयी थीं; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Central Board of Forestry.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं । स्टार्टर सिगनल तो केवल अन्तिम स्टाप सिगनल तक जाने की अनुमति देता है। उसके बाद तो तीनों लाइनों के लिये अलग-अलग सिगनल हैं।

(ख) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिसमें कोई ड्राइवर भ्रम में पड़ गया हो, क्योंकि इसके आगे विभिन्न मार्गों के लिये अलग अलग सिगनल हैं।

(ग) १९५७, १९५८ और १९५९ में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है।

(घ) रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के सम्बन्ध में 'रूट रिले इन्टर्लाकिंग' की व्यवस्था करने के सुझाव को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन की सिगनल सम्बन्धी व्यवस्था को सुधारा जायेगा। उस स्थिति में ड्राइवरों को स्टार्ट सिगनल पर ही आगे के लिये संकेत मिल जाया करेंगे और पहले ही उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि उन्होंने किस लाइन पर आगे बढ़ना है।

बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) में टेलीफोन कनेक्शन

†४७६. **श्री सुबिमन घोष**। क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्राप्त हुए विभिन्न आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णीत अवस्था में हैं;

(ख) सर्व प्रथम आवेदन पत्र कब आया था और अन्तिम आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) कब तक कनेक्शन दिये जाने की आशा है और कितने व्यक्तियों को?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ३१-१-१९६० तक ५९।

(ख) सर्व प्रथम आवेदन पत्र १७-११-५६ को और अन्तिम आवेदन पत्र २०-१-६० को प्राप्त हुआ था।

(ग) आवश्यक सामग्री और मुख्यतया लोहे के तारों की कमी के कारण काम रुका हुआ है। तार के संभरण की स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक है। आवश्यक सामग्री के उपलब्ध होते ही सभी कनेक्शन लगा दिये जायेंगे।

आलू, गेहूं और मक्का के सम्बन्ध में अनुसंधान

†४७७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के केवल विज्ञान विभाग (माइकोलॉजी डिवीजन) द्वारा आलू, गेहूँ और मक्का के सम्बन्ध में क्या-क्या अनुसंधान कार्य किये गये हैं;

(ख) इन अनुसंधान कार्यों के क्या-क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश के किसानों के लिये क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कृषि विकास

†४७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक दिल्ली में कृषि विकास पर कुल कितनी राशि खर्च की थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** :

प्रथम पंचवर्षीय योजना	९१.११ लाख रुपये ।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (दिसम्बर, १९५९ तक)	९१.८९ लाख रुपये ।

दिल्ली में भूमि का कटाव

†४७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में दिल्ली में किस किस स्थान पर भूमि के कटाव की रोक थाम का काम पूरा कर दिया गया है; और

(ख) उन कामों पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** :

(१) दिल्ली के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों में मैदान गढ़ी, तुगलकाबाद, राजो–खेड़ी, सतबाड़ी, और मसूदपुर नामक गांवों में शामलात भूमि–

(२) मेहरौली खण्ड के सतबाड़ी और चन्दन हुल्ला गांवों के निकट की भूमि; और

(३) यमुना नदी के किनारों की भूमि ।

(ख) १–४–५९ से ३१–१–६० तक ४४,७०४ रुपये।

पश्चिम रेलवे में टिकट चैकर तथा टिकट कलैक्टर

†४८०. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ और १९५९ में पश्चिम रेलवे में कुल कितने टिकट चैकर और टिकट कलैक्टर काम कर रहे थे;

(ख) उक्त वर्षों में उन्होंने बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्रियों को पकड़ा था ;

(ग) उन यात्रियों पर किये गये जुर्मानों से कितनी राशि प्राप्त हुई थी और कितने यात्रियों पर मुकदमें चलाये गये थे और उन्हें दोषसिद्ध किया गया था :

(घ) यात्रियों के टिकटों और विशेष रूप से विद्यार्थियों के टिकटों की चैकिंग करने में किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ङ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे पर अनधिकृत विक्रेता

†४८१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिन्दरनगर सेक्शन में कुछएक अनधिकृत विक्रेता वस्तुयें बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां कभी कभी कुछएक अनधिकृत विक्रेता बिना अनुमति प्राप्त किये ही वस्तुयें बेचने लगते हैं और नियमों का उल्लघंन करते हैं ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि उस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]**

अलसी

†४८२. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा केन्द्रीय [तिलहन समिति ने अलसी की बढ़िया किस्में तैयार की हैं ; और

(ख) क्या यह देखा गया है कि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के द्वारा नाइट्रोजन के प्रयोग से अलसी का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

पी० एल० ४८० के अधीन अमरीका से गेहूं का आयात

†४८३. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० एल० ४८० के अधीन ३० लाख टन गेहूं के आयात के लिये अमरीकन सरकार के साथ किये गये करार के अधीन अभी तक कितना गेहूं आयात किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** १३–११–५९ को जिस पी० एल० ४८० करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके अधीन [१५–२–६० तक लगभग ५,८३,००० टन गेहूं का आयात किया गया था ।

हाल्दिया पत्तन

†४८४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसा कि श्री पोस्थूमा ने परामर्श दिया था हाल्दिया में सहायक पत्तन तैयार करने के सम्बन्ध में १९५९ में यू० एन० टी० ए० की मार्फत एक हाइड्रोलिक एक्सपर्ट और एक ड्रेजिंग एक्सपर्ट की सेवायें उपलब्ध हो गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन विशेषज्ञों के न आने के परिणामस्वरूप पत्तन के निर्माण के कार्य में बाधा पड़ रही है ; और

(घ) उनके कब तक यहां आ जाने और कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) उन्हें १९५९ में भेजने का वचन दिया गया था, परन्तु वास्तव में वे १९६० में भेजे गये थे ।

(ख) उपयुक्त अर्हता तथा अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के चुनाव में कुछ समय लग गया था ।

(ग) पत्तन आयुक्तों ने पहले ही हाल्दिया पत्तन परियोजना के सम्बध में कोई पक्का फैसला करने के लिये आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने का यथा संभव प्रबन्ध कर दिया था ।

(घ) ड्रेजिंग एक्सपर्ट (तलकर्षण विशेषज्ञ) श्री जावोरनोवस्की जनवरी, १९६० में यहां पहुंचे थे । दूसरे विशेषज्ञ हाइड्रालिक्स तथा कोस्टल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ, श्री मेक्डोवल के अप्रैल, १९६० में यहां पहुंच जाने की आशा है ।

दिल्ली-मास्को रेडियो टेलीप्रिंटर सम्पर्क

†४८५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के आदान-प्रदान के लिये नई दिल्ली—मास्को के बीच हाल ही में स्थापित किये गये सीधे रेडियो टेलीप्रिंटर सम्पर्क से क्या-क्या लाभ होंगे ; और

(ख) इस सम्पर्क पर कुल कितना खर्च आया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) रूस तथा उसके आस पास के यूरोपीय क्षेत्रों के लगभग २५० केन्द्रों में धरती पर किये गये और लगभग १३० केन्द्रों में वायु के ऊपरी भाग (अर्थात् समुद्र तल से लगभग १७ किलोमीटर ऊपर) में किये गये प्रयोगों से सम्बन्ध रखने वाले अतिरिक्त अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े मास्को से एक दिन में ६ बार प्राप्त हो सकेंगे ।

इन आंकड़ों की सहायता से नई दिल्ली का भारतीय विमान बल का अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी दफ्तर मौसम सम्बन्धी चार्ट तैयार कर सकेंगे और नई दिल्ली और मास्को के बीच चलने वाले एयर इंडिया इन्टरनेशनल और एयरोफ्लाट विमान सेवाओं के लिये आवश्यक मौसम सम्बन्धी हिदायतें जारी कर सकेगा ।

सम्पूर्ण उत्तरी गोलार्ध में भारत उन पांच केन्द्रों में से एक होगा जहां पर उत्तरी गोलार्द्ध में मौसम के सम्बन्ध में चित्र इकट्ठे किये जायेंगे और भारत के ऊपर से होकर जाने वाले और भारत से दूर के स्थानों को जाने वाले विमानों को मौसम के सम्बन्ध में पहले से ही सूचना दी जा सकेगी ।

(ख) पट्टा शुल्क (लीज चार्जेज) तथा सम्पर्क (लिंक) के संधारण पर प्रतिवर्ष लगभग २,३०,००० रुपयों का खर्च आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अजमेरी गेट (दिल्ली) की गन्दी बस्तियों की सफ़ाई

†४८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेरी गेट (दिल्ली) की गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये नयी योजना तैयार कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खरीफ़ आन्दोलन

†४८७. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ एक राज्यों में खाद्य उत्पादन का खरीफ आन्दोलन कुछ सीमा तक असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो आन्दोलन के अधीन निर्धारित किये गये लक्ष्यों की तुलना में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). उक्त जानकारी मई, १९६० तक राज्यों से प्राप्त होगी और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोझीकोड में ऊपरी पुल

†४८८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोझीकोड रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल बनाने की योजना के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : कालीकट में मुहम्मद अब्दुर्रहमान रोड पर के वर्तमान लेबल क्रासिंगों के स्थान पर प्रस्थापित ऊपरी पुल के सम्बन्ध में सड़क प्राधिकारियों को पुनरीक्षित योजना भेज दी गयी थी । अभी तक उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संगठन

†४८९. **श्री वाजपेयी** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संगठन के यांत्रिक विभाग (मेंकेनिकल विंग) को शिमला भेज देने की योजना के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के परामर्श से ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर से प्रेस सूचनायें[1]

†४९०. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ दिसम्बर, १९५९ को जब राष्ट्रपति द्वारा दुर्गापुर की धमन भट्टी का उद्घाटन किया गया था, तो उस अवसर पर हिन्दी की प्रेस सूचनाओं को प्राथमिकता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणामस्वरूप कलकत्ता के गैर-हिन्दी समाचार पत्रों द्वारा अपराह्न में बुक करायी गई खबरें उन समाचारपत्रों को दूसरे दिन लगभग ३० घण्टे देर से मिली थी ;

(ग) क्या उस प्राथमिकता के क्रम में बंगला समाचार पत्रों के लिये भेजी गई प्रेस सूचनाओं को सब से अन्त में स्थान दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा नियम बनाया जायेगा कि प्रेस सूचनायें बुकिंग के क्रम के अनुसार भेजी जायें ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) . सभी तार नियम के अनुसार बुकिंग के समय के क्रम के अनुसार ही भेजी गये थे ;

बम्बई में फल-उद्यानों का विकास

†४९१. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में फल-उद्योगों के विकास के लिये बम्बई राज्य को अभी तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में फल-उद्यानों के विकास के लिये बम्बई राज्य को अभी तक दिये गये ऋणों और अनुदानों की राशि निम्नलिखित है :

		कर्मचारियों आदि के लिये अनुदान	ऋण
(१)	१९५६–५७	१७,६०० रुपये	—
(२)	१९५७–५८	२३,२०० रुपये	—
(३)	१९५८–५९	३०,५२० रुपये	—
(४)	१९५९–६०	३३,९४०§ रुपये	१५,५० ००० ‡रुपये
		१,०५,२६० रुपये	१५,५०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

‡यह राशि कृषि सम्बन्धी कार्यकारी वर्ग द्वारा आवंटित की गई थी। यह बात नहीं है कि राज्य सरकार ने इस में से वास्तव में कितनी राशि इस्तेमाल की है ।

§केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की अनुमानतः राशि ।

[1]Press Messages.

राष्ट्रीय उपवन (नेशनल पार्क)

†४९२. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में अभी तक देश में कुल कितने राष्ट्रीय उपवनों (नेशनल पार्क) का विकास किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक निम्नलिखित ९ राष्ट्रीय उपवनों (नेशनल पार्क) का विकास किया गया है :—

१. बम्बई—तीन (सिंगद, एलेफेन्टा तथा समाजीबाग़) ।

२. मध्य प्रदेश—दो (कान्हा तथा शिवपुरी) ।

३. पश्चिमी बंगाल—एक (जलपायगुड़ी) ।

४. बिहार—दो (हजारीबाग़ तथा पालामाऊ) ।

५. उड़ीसा—एक (मयूरभंज) ।

रेलगाड़ियों में संसद्-सदस्यों के लिये स्थानों का आरक्षण

†४९३. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् के गत सत्र की समाप्ति पर अपने अपने स्थानों को वापिस जाते समय राज्य सभा और लोक-सभा के बहुत से सदस्यों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में स्थान नहीं मिले थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ एक संसद्-सदस्यों ने आरक्षण के लिये लगभग एक सप्ताह पहले ही सूचित कर दिया था, परन्तु फिर भी उनके नाम केवल प्रतीक्षा-सूची में रखे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

गाड़ियों में स्थान के आरक्षण के लिये आवेदनपत्र सामान्य जनता से १० दिन तक पहले तक स्वीकार किये जाते हैं और जब संसद्-सदस्य संसदीय सत्र के सम्बन्ध में यात्रा करते हैं तो उनसे एक मास पहले तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते हैं, और ऐसा करते हुए पहले आने वाले आवेदन पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ।

१९५९ का संसद् का शीतकालीन सत्र २४ दिसम्बर को समाप्त हुआ था । २२–१२–५९ से ३१–१२–५९ तक की अवधि में दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों से प्रथम श्रेणी के २९९ स्थान आरक्षित किये गये थे और ६७ सदस्यों को मांगी गई तिथियों के लिये स्थान न दिया जा सका । इन में से १९ सदस्यों ने लगभग ७ दिन पहले आरक्षण के लिये आवेदन किया था ।

जब भी यात्रियों की अधिक भीड़ होती है उस समय रेलवे अधिकारी गाड़ियों के साथ कुछ अतिरिक्त डिब्बे भी लगा देते हैं । परन्तु इसकी भी सीमा है, क्योंकि गाड़ियों से निर्धारित भार से अधिक भार नहीं लगाया जा सकता और फिर उपयुक्त प्रकार के डिब्बे भी नहीं मिलते । २२–१२–५९ से ३१–१२–५९ तक की अवधि ने कई गाड़ियों के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाये

†मूल अंग्रेजी में

गये थे। परन्तु फिर भी यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ थी कि कुछ यात्रियों का नाम प्रतिरक्षा-सूची में ही रह गया था।

हावड़ा-दिल्ली तथा दिल्ली-हावड़ा मेलों में स्थानों का आरक्षण

†४९४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-दिल्ली तथा दिल्ली-हावड़ा मेलों में दोनों ओर १९५९ में प्रत्येक माम में प्रथम दर्जे के कितने स्थान आरक्षित कराये गये :

(ख) इसमें रेलवे कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या क्या थी; और

(ग) १९५९ में प्रत्येक मास में प्रतीक्षा-सूची में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६**]

गन्ने का उत्पादन

४९५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये गन्ना उत्पादकों को क्या सुविधायें दी हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : ऐसी गन्ना विकास की योजनाओं को, जोकि प्रति एकड़ अधिक उपज बढ़ाने और उसमें मिठास के तत्व को अधिक करने के विचार से बनाई गई हैं, सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के नत्थी किये गये स्वीकृत पेटर्न के अनुसार वित्तीय सहायता देती है। इन योजनाओं में निम्न बातें शामिल हैं :—

(१) सुधरे हुए अरोग्य बीजों का वितरण।
(२) ठीक प्रकार से खाद देना और अन्य सुधरे हुए कृषि साधनों को अपनाना।
(३) कीटों और बीमारियों से फसलों को बचाना।
(४) खाद और कम्पोस्ट देने का आन्दोलन; और
(५) चीनी मिलों के क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनाना।

इन योजनाओं के लिये दी गई या भविष्य में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	कुल व्यय करोड़ रुपये	केन्द्रीय हिस्सा करोड़ रुपये
पहली योजना की अवधि : (१९४८–४९ से १९५५–५६)	४.३२	०.७२
दूसरी योजना की अवधि :		
१९५६–५७ (वास्तविक)	०.८४८	०.३२७
१९५७–५८ (वास्तविक)	१.२०४	०.३८१
१९५८–५९ (अनुमानित)	१.४८५	०.४९५
१९५९–६० (अनुमानित)	१.८८६	०.६२७
१९६०–६१ (अनुमानित)	२.०८०	०.७००
	७.५०३	२.५३०

†भूल अंग्रेजी में

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति गन्ना अनुसन्धान की योजनाओं के लिये भी स्टाफ के वेतन और भत्ता के व्यय का ५० : ५० प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता देती है। ऐसे व्यय पर यह समिति लगभग १५ लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करती है।

अधिक अन्न उपजाओ नियमों के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

गोबध

†४९६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस किस राज्य ने अपने अपने क्षेत्र में विधान द्वारा अथवा अन्यथा गोबध बन्द कर दिया है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल को छोड़ गोबध लगभग सारे देश में ही कानूनन बन्द है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी इस सम्बन्ध में विधान विचाराधीन है।

परिवार नियोजन का पुनरीक्षण

†४९७. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिये जो समिति द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के दौरान बनी थी, क्या उस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के बाकी वर्षों के लिए उसकी सिफारिशें क्या हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार को अभी तक इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में किराये की इमारतों में डाकखाने

†४९८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लुधियान जिले में आज कल गैर-सरकारी इमारतों में चल रहे डाक घरों की संख्या क्या है ; और

(ख) उन्हें सरकारी इमारतों में लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ३३।

(ख) यदि किराये पर समुचित इमारत उपलब्ध न हो तो विभागीय इमारतों का निर्माण किया जाता है। जिन किराये के मकानों में डाक घर चल रहे हैं वे उस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त हैं।

†लुधियाना कचहरी सब-आफ़िस के लिए विभागीय इमारत लगभग तैयार है। जमरांव डाक घर की इमारत बनाने के कार्य के लिये भी स्वीकृति दे दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†४९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी १९६० तक पश्चिम और मध्य रेलवे के भ्रष्टाचार सम्बन्धी लम्बित मामलों की संख्या क्या है ; और

(ख) ये मामले किस प्रकार के हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ७११ ।

(ख) विभिन्न प्रकार के मामले हैं, जैसे कि :—

(१) घूस लेना ।

(२) अपने बारे में गलत बात बताकर और तथ्यों को छिपा कर नौकरी हासिल करना ।

(३) रुपया पैसा उधार देने का धंधा करना ।

(४) रेलवे श्रमिकों को निजी कार्य के लिये उपयोग करना ।

(५) क्वार्टरों को आगे किराये पर देना ।

(६) रेलवे पासों का दुरोपयोग करना ।

(७) बिना टिकट यात्रा की अनुमति देना ।

(८) कर्मचारियों के गलत वेतन लेना ।

(९) गलत यात्रा भत्ता प्राप्त करना ।

(१०) विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क का वसूल न करना ।

(११) रेलवे की चीजों का दुरोपयोग करना ।

(१२) ओवर टाइम बिलों आदि पर अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर कर लेना ।

(१३) जमीन और लकड़ी के कामों में गलत नाप-जोख करना जिस की वजह से ठेकेदारों को अधिक रकम पहुंच गई हो ।

दिल्ली में सहकारी समितियां

५००. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में दिल्ली में कितने व्यक्तियों ने नई सहकारी समितियां बनाने के लिए आवेदन किया ,

(ख) ये समितियां किस प्रकार की थीं, और

(ग) इन में कितनी पंजीकृत की गईं ?

सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में नई सहकारी समितियां बनाने के लिए २६४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए । कुल व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने इन समितियों के लिए आवेदन किया, ज्ञात नहीं है क्योंकि कुछ आवेदन पत्र भेजने वालों ने वापिस ले लिए थे और कुछ मूल रूप में ही

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रुटियों के कारण उनको लौटा दिए गए थे। फिर भी ३१ दिसम्बर, १९५९ तक पंजीकृत हुई २१८ समितियों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या ४६१८ है ।

(ख) व (ग). जिन समितियों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और जो ३१ दिसम्बर, १९५९ तक पंजीकृत हो चुकी थीं, उनका व्योरा निम्नलिखित है :—

	समितियों के प्रकार	पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पंजीकृत समितियों की संख्या
(१)	मितव्यय तथा उधार समितियां .	५७	४९
(२)	बहुधंधी समितियां . .	७	७
(३)	गृह निर्माण सहकारी समितियां	५३	४७
(४)	औद्योगिक सहकारी समितियां	५८	४१
(५)	सहकारी भंडार	३९	३५
(६)	परिवहन सहकारी समितियां	२५	१५
(७)	श्रम तथा निर्माण समितियां .	५	५
(८)	संयुक्त कृषि समितियां . .	८	८
(९)	शाक उत्पादक समितियां . .	४	४
(१०)	संघ	१	१
(११)	पर्यवेक्षण संघ . .	२	२
(१२)	मितव्यय तथा बचत . .	१	१
(१३)	मुर्गी पालन सहकारी समिति	१	१
(१४)	सुअर पालन सहकारी समिति	१	१
(१५)	दवा दारू सहाय्य समिति	१	—
(१६)	कल्याण समिति	१	१
	योग .	२६४	२१८

रबी उत्पादन आन्दोलन

†५०१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** २५ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जो रबी उत्पादन आन्दोलन आरम्भ किया था उस में और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या माननीय कृषि अनुसंधान संस्था ने भी इस आन्दोलन में योगदान दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका अंशदान क्या था ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख)** : बहुत सी सरकारों ने इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत नहीं की परन्तु जो भी प्रगति की जानकारी उपलब्ध हो सकी है उसका विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ख) हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के सहायक दलों ने इस रबी उत्पादन आन्दोलन को दिल्ली के कंझावाला खंड के ५४ ग्रामों में फैलाया। यह कार्य रबी के चालू मौसम में ही किया गया। बोने के समय सुधरी गेहूं की विभिन्न कोटियों का प्रदर्शन करवाया गया। चूहे कम करने का आन्दोलन भी १९६० में किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं की सहायता और सहयोग से आगे बढ़ाया गया। सिंचाई, उर्वरक और घास नियन्त्रण इत्यादि विषयों पर परामर्श देने का कार्य भी प्रगति के पथ पर है।

कैंसर के रोगी

†५०२. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५९–६० के वर्षों में बी० एम० अस्पताल अगरत्तला में इलाज करवाने वाले कैंसर के रोगियों की संख्या क्या है ?

(ख) क्या यह संख्या बढ़ रही है ; और

(ग) क्या इस रोग के इलाज के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५५–५६ और १९५९–६० के दौरान बी० एम० अस्पताल में कैंसर के ३६ रोगी थे। क्योंकि इस अस्पताल में कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी अतः इन रोगियों का यहां कुछ भी इलाज न हो सका। ८ रोगियों को क्षेत्र से बाहर भी इलाज के लिए भेजा गया था। रोग के परीक्षण के बाद अन्य रोगियों ने अस्पताल में अपने सम्बन्ध म कोई सूचना नहीं दी।

(ख) जी हां।

(ग) रोगियों को यात्रा खर्चा मुख्यायुक्त सहायता कोष से दिया जाता है।

टेलीफोन मंत्रणा समिति, इलाहाबाद

†५०३. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में टेलीफोन मंत्रणा समिति की अन्तिम बैठक कब हुई थी;

(ख) क्या पिछले ९ मास में समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई है; और

(ग) जनवरी १९५९ से इस समिति द्वारा सिफारिश किये हुए कितने नये टेलीफोन स्वीकृत हुए और लगा दिये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ११–४–१९५९।

(ख) ११–४–१९५९ के बाद कोई बैठक नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १००टेलीफोन स्वीकृत हुए थे जिनमें से १९ लोगों ने टेलीफोन लेने से इन्कार कर दिया। बाकी के ८१ टेलीफोन दे दिये गये ।

सवारी-डिब्बों का निर्माण

†५०४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न कारखानों में १९५९–६० में कितने प्रथम, दूसरे और तीसरे दर्जे के डिब्बे बनाये गये ।

(ख) इस काल में कितने डिब्बों का बाहर से आयात किया गया; और

(ग) इसी काल में प्रत्येक रेलवे को अलाट किये जाने वाले डिब्बों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ग) विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या ९९]** ।

(ख) अप्रैल १९५९ से १९५९ के अन्त तक किसी भी प्रकार के रेल के डिब्बे बाहर से आयात नहीं किये गये ।

उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को चावल का भेजा जाना

†५०५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से पूर्वी खाद्य क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तब से कितनी मात्रा में चावल उड़ीसा से बंगाल भेजा गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : इस प्रकार का आना जाना व्यापारिक स्तर पर होता है, अतः उसकी मात्रा के बारे में पूरी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु अनुमान है कि फरवरी के मध्य तक लगभग ८० हजार टन चावल व धान उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल गया होगा ।

पठानकोट में माल और यात्री यातायात

†५०६. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में पठानकोट और उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन पर इंटरमीडियेट अन्य स्टेशनों से अप ट्रेनों पर और जोगेन्द्र नगर व डाउन स्टेशनों से पठानकोट के लिये कितने यात्री बुक किये गये;

(ख) १९५९ में पठानकोट के कांगड़ा घाटी सेक्शन के अप स्टेशनों के लिये कितना माल बुक किया गया ;

(ग) कांगड़ा घाटी सेक्शन पर पठानकोट से १९५६, १९५७ और १९५८ में अप और डाउन ट्रेनों से कितने यात्री बुक किये गये; और

(घ) १९५६, १९५७ और १९५८ में कांगड़ा घाटी सेक्शन पर पठानकोट से कितना माल अप स्टेशनों के लिये बुक किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) क्रमशः ४५०,२७३ और ४१५, ३७२ ।

(ख) ३४५ माल-डिब्बे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५६, १९५७ व १९५८ में क्रमशः ६०,७६४, ६६,०१८ और ८१,२१० यात्री पठानकोट से कांगड़ा घाटी सेक्शन पर अप ट्रेनों से बुक किये गये। पठानकोट से चलने वाली कोई डाउन ट्रेन नहीं है ।

(घ) क्रमशः ४२६, २६५ और ४६६ माल-डिब्बे ।

चीनी, खांडसारी और गुड़ उद्योगों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा

†५०७. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में चीनी, खांडसारी और गुड़ उद्योगों द्वारा कितनी मात्रा में गन्ना पेरा गया; और

(ख) पेरने के काल में १९५७–५८ और १९५८–५९ में क्रमशः कितनी मात्रा में गन्ना पेरा गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख).

गन्ने के फसल का समय (नवम्बर से अक्तूबर)	चीनी उद्योग द्वारा पेरा गया गन्ना (लाख टनों में)	खांडसारी और गुड़ उद्योगों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा का अनुमान (लाख टनों में)	
		गुड़	खांडसारी
१९५७–५८ .	१९७.४८	३४५.००	३७.५०
१९५८–५९ .	१९४.९१	३६७.००	३८.४६
१९५९–६० . ३१–१–६० तक	१२०.४०	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं

गाड़ियों में वायरलैस की व्यवस्था

†५०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल में वायरलैस की व्यवस्था करने की कोई प्रस्थापना है ताकि रेलवे गार्डों का इंजन में पूरा सम्पर्क रह सके; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना किस अवस्था में चल रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) जी नहीं; बड़ी बड़ी और लम्बी माल गाड़ियों में वायरलैस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अभी प्रयोग ही किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर की कोढ़ नियंत्रण यूनिट

†५०९. **श्री सिदय्या** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १० फरवरी १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में मैसूर में कितनी कोढ़ नियन्त्रण यूनिटों और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना होगी; और

(ख) केन्द्रों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में पुनर्वास के केन्द्रों की स्थापना करने वाली केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त कोई योजना नहीं है।

१९५६–५७ से १९५९–६० तक की अवधि में मैसूर के लिये ७ सहायता केन्द्र अलाट किये गये थे। ये नियन्त्रण यूनिट थे और इन सब की स्थापना हो चुकी है। १९६०–६१ में इसी प्रकार का एक और केन्द्र मसूर को अलाट किये जाने की प्रस्थापना है।

(ख) सहायता केन्द्र वहां ही स्थापित किया जाता है जहां कि इसकी आवश्यकता होती है, कुष्ट रोग जहां होता है और चर्म रोग जहां .५ प्रतिशत से कम नहीं होता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियमों में संशोधन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : मैं श्री के० दे० मालवीय की ओर से खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूप-भेद) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—१९२९/६०]

ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन, लिमिटेड तथा वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) १९५८–५९ के लिये लेखा-परीक्षित लेखों सहित ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी १९३१/६०]

(२) १९५८–५९ के लिये लेखा-परीक्षित लेखों सहित वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी—१९३०/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १७३।

(दो) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १९५ में जिसमें चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० दिया हुआ है।

(तीन) चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३००।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—१९३२/६०]

राष्ट्रपति से सन्देश

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे राष्ट्रपति से एक सन्देश प्राप्त हुआ है। जब राष्ट्रपति का सन्देश सभा में पढ़ा जाता हो उस समय माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिये।

मुझे राष्ट्रपति से २४ फरवरी, १९६० का निम्न सन्देश मिला है :—

"८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष मैंने जो अभिभाषण दिया था उसके लिये लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त धन्यवाद पर मुझे परम सन्तोष है।"

माननीय सदस्य अब बैठ जायें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : फिरोज़ाबाद क्या आप कोई नई प्रक्रिया अपना रहे हैं अथवा ऐसा पहले से होता आया है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: अगर हम ऐसा नहीं कर रहे थे तो यह गलती थी। जब इग्लैंड की महारानी का शासन था तो हम खड़े होते थे। अब राष्ट्रपति हमारे अपने हैं; इसलिये उन्हें उचित मान दिया जाना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह कुछ अजीब सा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक और बात है। प्रश्न काल के समय माननीय उपमंत्री, श्री अ० म० थामस ने एक कृषि सम्बन्धी आयोग का उल्लेख किया था और इस प्रसंग में उन्होंने १९२८ के रायल कमीशन (आयोग) का भी जिक्र किया। वह आयोग और समिति में यानी कमीशन और कमेटी में अन्तर करना चाहते हैं। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि ऐसे आयोगों को हम राष्ट्रपति के आयोग (प्रेसीडेंट्स कमीशन) कह सकते हैं। जैसे उनके यहां रायल कमीशन है वैसे हमारे यहां प्रेसीडेंट्स कमीशन (राष्ट्रपति के आयोग) हो सकते हैं और इस प्रकार इनमें और सरकार की समितियों में अन्तर किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : (१) मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य सभा ने २५ फरवरी, १९६० को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा श्री एल० डी० राजा के निधन के फलस्वरूप समवाय (संशोधन) विधेयक १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के रिक्त हुए स्थान पर एक सदस्य की नियुक्ति करे और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थान को भरने के लिये राज्य सभा के सदस्य, श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी को मनोनीत किया जाये ।"

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से एक और सन्देश प्राप्त हुआ जिसके साथ उन्होंने राज्य-सभा द्वारा १९ फरवरी, १९६० की बैठक में पारित किये गये श्री कैलाश बिहारी लाल के अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक १९६० की एक प्रति संलग्न की है ।

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव** : मैं श्री कलाश बिहारी लाल के अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम): मैं लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपुरा में जंगली चूहों के उपद्रव के कारण उत्पन्न स्थिति

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूँ कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"त्रिपुरा के आदिम जाति क्षेत्र में जंगली चूहों के उपद्रव के कारण उत्पन्न गंभीर अकाल की स्थिति ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान दिलाना

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): पिछली फसल में त्रिपुरा के धर्मनगर, कैला-शहर, कमालपुर, तथा खोवाई सब-डिवीजनों में झूम की फसल को जंगली चूहों के उपद्रव के कारण बहुत नुकसान पहुंचा। चौमानु घाटी, सारवन, पहाड़ियों के कुछ भागों (कैलाशहर सब-डिवीजन) तथा दमचेरा (धरमनगर सब-डिवीजन) में, अन्य दोनों सब-डिवीजनों की तुलना में अधिक हानि हुई है। झूम की खेती वाली २३,१५५ ऐकड़ भूमि में से लगभग ६,५४४ एकड़ भूमि (लगभग २८ प्रतिशत) में हानि हुई है।

त्रिपुरा में खाद्यान्नों की कमी है तथा कमी को पूरा करने के लिये प्रत्येक वर्ष भारत सरकार २०,००० टन चावल का संभरण करती है। दो-तीन महीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासन पर्याप्त भांडार बनाये रखता है। ३१ जनवरी, १९६० को यह भांडार ९,४८८ टन था।

३१ जनवरी को समाप्त होने वाले पखवाड़े में हानि वाले क्षेत्रों में चावल का औसत बाजार भाव १७.१९ रुपये प्रतिमन बताया गया था, पिछले वर्ष इस समय औसत बाजार भाव २२ रुपये प्रतिमन था। उचित मूल्य की दूकानों पर चावल बेचने के फुटकर भाव १८ रुपये प्रतिमन है। यद्यपि फसल के मौसम के आरंभ होने के समय से चावल के औसत बाजार भाव कुछ बढ़ गये हैं परन्तु फिर भी वे उचित मूल्य की दुकानों के विक्रय मूल्य से कम ही हैं तथा पिछले वर्ष के बाजार भाव से बहुत कम है। परन्तु त्रिपुरा प्रशासन स्थिति के प्रति जागरुक है और यदि चावल के मूल्य और बढ़ते हैं तो हानि वाले क्षेत्र में उचित मूल्य की दूकानें खोलदी जायेंगी। जैसा कि बताया जा चुका है प्रशासन के पास चावल का पर्याप्त भंडार है।

त्रिपुरा में सहायता कार्यों के लिए प्रशासन को पर्याप्त रुपया दे दिया गया है। जहां भी आवश्यक हो उन स्थानों पर सहायता पहुंचाने के सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। फसल को और अधिक नुकसान न पहुंचे इसके लिए चूहे मारने वाले दल संगठित किए गए हैं। चूहे मारने का विष बांटा गया है तथा चूहे दानों के इस्तमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। चौमानु और ताहसभा में चिकित्सा दल स्थापित किए गए हैं। कैलाशहर सब-डिवीजन में चौमानुघाटी में चार स्थानों पर तथा कमालपुर सब-डिवीजन में दो स्थानों पर सहायता कार्य आरंभ किया जा चुका है। हानि वाले अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर इसी प्रकार के कार्य आरंभ किए जा रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री दशरथ देव: इस क्षेत्र में अधिकांश जनता झूम की खेती पर ही पूर्णतः निर्भर करती है और इसके अतिरिक्त वहां पर कोई काम भी नहीं है, इसलिये क्या सरकार ऐसा कोई कार्य कर रही है जिससे यहां की जनता कुछ धन कमा कर चावल खरीद सके?

†श्री गो० ब० पन्त: जैसा कि मने बताया कुछ सहायता कार्य शुरू कर दिये गए हैं तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार और सहायता कार्य आरंभ किए जायेंग।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, २९ फरवरी १९६० को आरंभ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा:—

(१) १९६०–६१ को रेलवे आय–व्ययक पर अग्रेतर चर्चा ;

(२) अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०–६१; और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६०–६१ पर विचार तथा मतदान;

(३) दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, १९५९, पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में, अग्रेतर विचार तथा उसे पारित किया जाना।

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना:—
मनीपुर भू–राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ; तथा
त्रिपुरा भू–राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(५) ३ मार्च, १९६० को ३ बजे श्री दीवान चन्द शर्मा तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक प्रस्ताव पर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा २७ नवम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये दण्डकारण्य विकास प्राधिकार सम्बन्धी विवरण पर चर्चा ।

जैसा सदस्यों को ज्ञात है, २९ फरवरी के ५ बजे शाम को वर्ष १९६०–६१ के लियें सामान्य आय–व्ययक उपस्थापित किया जायेगा।

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम रेलवे आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रखेंगे। श्री प्र० ना० सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट पर कल बहस शुरू करते हुए मैं ने इस बात को रखा था कि सन् १९५७–५८ के मुकम्मिल तखमीने के मुकाबले में जो १९६०–६१ का तखमीना है उस से ७४ करोड़ ३० लाख रुपये की अधिक आमदनी दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि जहां रेलवेज की आमदनी बढ़ रही है वहां पर रेलवेज का खर्चा भी दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी दशा में हम यह महसूस करते हैं कि रेलवेज की वित्तीय स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी हालत में नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि जो डैप्रीसिएशन रिजर्व फंड द्वित्तीय पंच-वर्षीय योजना के शुरू होने के पहले ९.८ करोड़ था वह साल के खत्म होते होते १८ करोड़ पर चला जायेगा और इस के साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि जो कज की हालत है वह कज की हालत रेलवेज पर बढ़ रही है। माननीय रेलवे मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात को बतलाया है कि विश्व बैंक से ८ करोड़ ५० लाख डालर का कर्जा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० ना० सिंह]

सन् ५९ में लिया गया और उसी के साथ साथ ५ करोड़ डालर के और कर्जे की बात थी। साथ ही साथ अमरीका की विकास ऋण निधि से ३ करोड़ डालर लेने की बात तय हो चुकी है। हम यह देखते हैं कि सामान्य बजट राजस्व से भी कर्जा जो ५९-६० के साल में ८ करोड़ लेने का सवाल था अगले साल के खत्म होते होते करीब करीब १४ या १५ करोड़ हो जायगा। ऐसी हालत में मैं यह महसूस करता हूं कि रेलवेज पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। जब हम इस बात को देखते हैं कि एक तरफ तो रेलवेज पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और साथ ही साथ इस बात को भी देखते हैं कि रेलवेज का खर्च भी बढ़ रहा है तो हम यह महसूस करते हैं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना रेलवेज के सामने आयेगी उस में रेलवेज की एकोनामी पर बहुत बड़ा स्ट्रेन होगा हम इस बात को देखते हैं कि रेल उद्योग के सिलसिले में जो कुछ भी इस सदन में कहा गया और माननीय मंत्री की जो तारीफ इस सम्बन्ध में की गई वह अपनी जगह पर थोड़ी बहुत ठीक है। उन्नति हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवेज में अथवा रेलवेज के माल को तैयार करने में लोको-मोटिव्स् तैयार करने में और रेलवेज की जो दूसरी तरह के माल हैं उनको तैयार करने में रेलवेज की तरफ से काफी इनीशिएटिव लिया गया है लेकिन इसी के साथ साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारी जो रेलवेज इंडस्ट्री है उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे सामने भाप के इंजनों का सवाल है। कोयले का खर्च इतना अधिक है कि यदि हम मौडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जायेंगे तो कोयले पर होने वाला खर्चा इतना अधिक होगा कि हम ओवरआल एकोनामी को ठीक नहीं कर सकते हैं और इसीलिए एलक्ट्रिफिकेशन का सवाल हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पीड के लिए भी और ओवरआल एकोनामी के लिए भी मौडर्नाइजेशन का प्रश्न हमारे सामने है यह ठीक है कि मौडर्नाइजेशन के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां तक बिजली से चलने वाले इंजनों के निर्माण का सम्बन्ध है उसका अभी शुरुआत हम करने जा रहे हैं जहां तक बिजली से चलने वाले इंजनों के लिए लाइनें बिछाने का सवाल है या उसके दूसरे सामानों का सवाल है उन सब के वास्ते हमको बाहर के ही माल पर निर्भर करना पड़ेगा। जिस स्टेज पर आज दुनिया के दूसरे तर की पसन्द मुल्क पहुंच चुके हैं वहां से हमको शुरुआत करनी है। इसलिए रेलवेज के सामने और गवर्नमेंट के सामने इस रेलवे विभाग को लेकर के एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का सवाल है। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात को भी देखते हैं कि एक तरफ तो जब सन् १८५३ में पहली रेलवेज लाइन बनी, हमारे हिन्दुस्तान में जी० आई० पी० रेलवेज, कम्पनी द्वारा जब यह पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाना तब केवल १६ मील की यह लाइन बनी थी, उसके आगे चल कर सन् १९४७ में जब कि देश को आजादी मिली तो इस देश में ३४, ३५ हजार मील लम्बी रेलवे लाइन बिछी हुई थीं। इसका मतलब यह है कि ९४ वर्ष में ३५ हजार मील लम्बी रेलों की पटरियां इस देश में बिछाई गईं। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो अंदाज यह आता है कि एक साल में ३७०-७२ मील लम्बी पटरियां हमारे देश में उस समय बिछी जब कि अंगेजों का राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में एक साल के भीतर ३७२ मील लम्बी रेल की पटरियां बिछती थीं। कहने का मतलब यह है कि एक दिन में एक मील रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने में बिछाई गई थी। लेकिन जब हम माननीय रेलवे मंत्री की स्पीच में देखते हैं तो पाते हैं कि पंचसाला योजना के चौथे साल के खत्म होते होते ६०० मील लम्बी लाइनें बिछ जायेंगी अर्थात् ढाई दिन में केवल एक मील रेलवे लाइन बिछेगी। जब हम विकासवादी अर्थ व्यवस्था की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि हमें बहुत काफी विकास करना है और दुनिया के तरक्की

प्राप्त मुल्कों की बराबरी में खड़े होना है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह ढाई दिन में एक मील रेलवे लाइन बिछाना कहां तक हमें विकास पथ की ओर अग्रेसर करता है ? वर्तमान प्रगति के ऊपर ही यदि रेलवे मंत्रालय संतोष कर लेता है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह उचित नहीं होगा। इसलिए मुझे इस बात को कहना है कि देश में जो स्थिति है उस को देखते हुए रेलवे विभाग को बहुत कुछ करना है और साथ ही साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जो एकोनोमी : स्ट्रेन रेलवे मंत्रालय पर पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए अभी से उसके सम्बन्ध में ठीक तरह की प्लानिंग होनी चाहिए।

इसी के साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि ओपरेशनल एफिशिएंसी की बात बहुत काफी यहां पर की गई। ओपरेशनल एफिशिएंसी के सिल सिले में चार बातें मुख्य रूप से मैं रखना चाहता हूं। एक तो स्पीड की बात। दूसरी बात स्पीड के साथ गाड़ियों के ठीक समय पर पहुंचने का सवाल। तीसरी चीज इसके साथ साथ वैगंस और कोचेज का अधिक से अधिक इस्तेमाल, अधिक से अधिक लोडिंग, अधिक से अधिक प्रोसेस में इसके इस्तेमाल का सवाल और चौथी बात एक्सीडेंट का सवाल। इन चारों बातों को ओपरेशनल एफिशिएंसी में मैं लेना चाहता हूं। जहां तक ठीक समय पर गाड़ियों के पहुंचने का सवाल है मैं माननीय मंत्री जी तथा जो हमारे इस रेलवे बोर्ड के लोग, जनरल मैनेजर्स या और दूसरे लोग जिन के कि ऊपर आज इस इंडस्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी है, इस सदन के द्वारा उनके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि यह समय से पहुंचने का जो टाइम लिमिट पहले फिक्स्ड था और जिस टाइम लिमिट पर पहले गाड़ियां चलती थीं क्या आज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उसी टाइम लिमिट में पहुंचने की कोशिश की जाती है ? यदि ४१, ४२ और ४३ के आंकड़े देखे जांय तो आप पायेंगे कि जो टाइम लिमिट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की होती थी वह तब से आज बढ़ा दिया गया है और यदि उस पहले वाली टाइम लिमिट को बढ़ा कर यह कहा जाय कि हम रेल गाड़ियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ठीक समय पर पहुंचा देते हैं तो मैं कहूंगा कि यह तो एक बनावटी तरीके से (आर्टिफिशिएल) तरीके से ट्रेंस की पंक्चुएलिटी वाली बात होगी। माननीय रेलवे मंत्री ने अपने रेलवे बजट के भाषण में यह ट्रेनों के ठीक समय पर पहुंचाने की परसेंटेज में जो बढ़ोत्तरी दिखाई है वह असल में बढ़ोत्तरी नहीं है बल्कि वह बनावटी है क्योंकि पहले वाली टाइम लिमिट में इजाफा हो गया है। इसी के साथ साथ स्पीड के सवाल को ले लीजिये। पहले जो पैसेंजर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की स्पीड थी उस में और आज की स्पीड में क्या फर्क हुआ है ? टाइम लिमिट का फैक्टर जरूरी चीज है। जो पहले वाला टाइम लिमिट था और जो अब है उसको लेते हुए हम एक पंक्चुएलिटी की बात कर रहे हैं। अब इस बारे में जो मुझे थोड़ी बहुत बातें मालूम हुई हैं उस से मुझे यह लगता है कि जो समय बढ़ाया गया है पंक्चुएलिटी को कीप अप करने के लिए, उसकी वजह से जो पंक्चुएलिटी बनी है उस को मैं वाकई पंक्चुएलिटी नहीं मान सकता जब तक कि टाइम फैक्टर को ठीक जैसे पहले था वैसा न रक्खें।

इसी के साथ साथ वैगन लोडिंग का सवाल है। यह ठीक है कि माननीय रेलवे मंत्री ने अपने रेलवे बजट की स्पीच में इस बात को बतलाया है कि जो बैगंस् की मांग थी और उस मांग का जो बकाया था १९५९ के माह अक्तूबर के अन्त तक उस में कमी हुई, यह सही बात उन्होंने कही है और इस बारे में कोई दो राय नहीं है।

एक बात और भी मैं रेलवे मंत्रालय के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक बैगंस् का सवाल है, इस बात को भी देखें कि क्या वैगंस् पहले जिस तरह से रिपेयर होते थे जिस

[श्री प्र० ना० सिंह]

तरीके से पहले वैगनों की मरम्मत होती थी क्या उसी तरीके से आज भी वैगनों की मरम्मत हो रही है? पहले ६ महीने में एक रोज के लिए वैगन सिक लाइन में जाता था। ठीक तरीके से उसकी मरम्मत होती थी। लेकिन इस समय आर्डर यह है कि यार्ड में ही उसकी घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में मरम्मत की जाए। तो इस तरह से पहले के मुकाबले में आज रख रखाव की स्थिति में गिरावट आ गयी है। रेलवे बोर्ड ने केवल चार फी सदी का मार्जिन दिया है। मैं समझता हूं कि इस मामले को भी देखने की जरूरत है।

एक्सीडेंट्स के मामले में एक एक्सीडेंट एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी जिसके चैयरमैन माननीय डिप्टी रेलवे मिनिस्टर श्री शाहनवाज़ साहब थे। उस कमेटी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि श्री शाहनवाज और उस कमेटी के मेम्बरों की जो राय थी उससे रेलवे बोर्ड की राय मुख्तलिफ है। ट्रेन एग्जामिनिर्स के बारे में उस रिपोर्ट में पैरा १३८ में यह बात कही गयी है कि वैगन्स के मामले में जो ट्रेन एग्जामिनर्स को दोष देने की बात है उस सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन पर यह बोझा डाला जाता है कि इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इसका नतीजा यह है कि एक्सीडेंट अपनी जगह पर कारण है। वैगन्स का ठीक इन्तिजाम नहीं होता। ऐसी हालत में नतीजा यह होगा कि एक्सीडेंट बढ़ेंगे। हमारे सामने जो एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट है उस में एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा कमी नहीं दिखायी देती। सन् १९५७, ५८ और ५९ के जो फिगर हैं उन में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं दिखाई देता। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९५९ में जो एक्सीडेंट हुए उन में से ५२ पर सेंट इंजिनों और रोलिंग स्टाक की गड़बड़ी के कारण हुए। उनकी मरम्मत के लिए जो इक्विपमेंट मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, और उसकी कमी के कारण ये ५२ पर सेंट एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी रेलवे कर्मचारियों पर डाली है। यह सही है कि रेलवे कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी देखना चाहिए कि उनको वैगन्स को, कोचेज को और ट्रेन्स को ठीक तरह से एग्जामिन करने की भी सुविधा मिले। उनकी इस सिलसिले में जो दिक्कतें हैं उन को दूर किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में एक्सीडेंट एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पैरा १५५ में यह बात कही गयी है :

> "सभी चीफ मैकेनिकल इंजीनियरों ने ट्रेन एक्जामिनर्स के वेतन-क्रम के बारे में कहा। ट्रेन एक्जामिनरों का काम बहुत ही टेकनिकल नेचर का होता है और बड़ी डिफिकल्ट कन्डीशंस में उन्हें अपना काम करना पड़ता है। उनके काम में फिटर चार्ज मैन से कम स्किल की जरूरत नहीं होती, फिर भी उनका वेतन-क्रम बहुत कम है।"

इसके बाद कमेटी का एक आवजरवेशन है। वह इस प्रकार है :

> "हम सिफारिश करते हैं कि ट्रेन एक्जामिनरों के मामले में पूरी छानबीन की जाये और उनके वेतन-क्रम में समुचित परिवर्तन किया जाये, ताकि ये कर्मचारी ऐसा न सोचें कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनमें निराशा की भावना न पैदा होने पावे।"

साथ ही उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा १४० में यह भी कहा है कि हम इस निष्कष पर पहुंचे हैं कि आज रेलवे में ट्रेन एक्जामिनर ही सबसे अधिक उपेक्षित कर्मचारी हैं। दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुये इनकी स्थिति काफी चिन्ताजनक है और उसे शीघ्र ही ठीक करने की आवश्यकता है। तो यह रेलवे की एक्सीडेंट एन्क्वायरी कमेटी का कहना है। लेकिन जब रेलवे बोर्ड के लोग गवाही में पे कमीशन के सामने गये तो उन्होंने कहा कि यह बहुत एलीमेंटरी कार्य है इसके लिये कोई विशेष

योग्यता का सवाल नहीं है। तो आप देखें कि एक तरफ तो डिप्टी मिनिस्टर और कमेटी की एक राय है और दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड की उससे भिन्न राय है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री जी देख कि यह अन्तर क्यों है।

इसी के साथ साथ मैं उस प्रश्न को भी उठाना चाहता हूं जिसको कि माननीय रेलवे मंत्री जी ने भी उठाया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि रेलवे कर्मचारियों का प्रसाशन में, संगठन में हिस्सा बटाने का सवाल भी उनके सामने है। मैं जानता हूं कि हमारे रेलवे मंत्री जी जिस परिवार से आते हैं वह हमेशा से पीड़ित वर्ग का रहा है। ऐसी हालत में अगर यह प्रश्न उनके सामने है तो उचित ही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सिद्धान्त का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की जो हमारे देश में बुनियाद पड़ रही है, उस राष्ट्रीयकरण की परिभाषा क्या है। क्या उसकी यह परिभाषा है कि जिस तरह से पहले अफसरशाही के द्वारा काम चलाया जाता था उसी तरह से चलाया जाएगा या अन्य काम करने वालों को भी प्रशासन में हिस्सा दिया जाएगा। जिस हद तक किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो उस हद तक उसमें जो काम करने वाले हैं उनको प्रशासन के कार्य में हिस्सा मिलना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद पूंजी पति के स्थान पर केवल सरकार आ जाए। मैं समझता हूं कि इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकरण का सीधा साधा मतलब समाजीकरण होना चाहिए और इसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं। वह कौनसा दिन आएगा जब कि हमारे रेलवे में काम करने वाले फोरमैन, खलासी, ड्राइवर आदि ऊँचे से ऊंचे पदों पर जा सकगे। अभी तो आप एक अफसर को ४००० रुपये मासिक देकर अफसरशाही द्वारा रेलवे का काम चलवाते हैं। यह तरीका खत्म होना चाहिये। मैं रेलवे मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों को प्रशासन में हिस्सा देने का एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से भ्रष्टाचार का सवाल है और दूसरे सवाल हैं। और इनका हल तभी निकल सकता है जब कि कर्मचारियों को रेलवे के कामों में अधिक से अधिक हिस्सा दिया जाए। हम यह महसूस करते हैं कि इन सैद्धान्तिक प्रश्नों को जिस तरह से उठाया जाना चाहिये उस तरह से नहीं उठाया जाता। माननीय रेलवे मंत्री जी को स्वभावत: इस प्रश्न में दिलचस्पी है और वह इस पर सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न को विचारते १२ वर्ष का समय हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी रेलवे का मजदूर अफसरशाही के नीचे दबा हुआ है। मैं चाहता हूं कि अब मंत्रालय इस अफसरशाही को खत्म करे और कर्मचारियों को प्रशासन में हिस्सा दे ताकि वे लोग भी समझें कि उनको प्रशासन में हिस्सा दिया जाता है और उनके साथी प्रशासन में हिस्सा ले रहे हैं इस तरह से करने पर रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ती चली जाएगी।

इसी के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों के लिये जो पे कमीशन ने सिफारिश की हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज रेलवे का मजदूर समझता है कि उसकी बचत अगर हो सकती है तो रेलवे मंत्री के द्वारा ही हो सकती है, लेकिन मंत्री जी ने रेलवे के मजदूरों के पक्ष को कैबिनेट के सामने ही नहीं रखा। एक शिकायत तो यह है कि रेलवे कर्मचारियों का एक जलूस यहां आया लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। उचित तो यह था कि स्वयं रेलवे मंत्री उनकी बातों को जाकर सुनते। लेकिन अभी तक यह परम्परा नहीं चलायी गई है यद्यपि हम बार बार इसकी मांग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो आपने उनको थोड़ा बहुत दिया है उसको उनकी दूसरी सुविधाएं कम करके कम न किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि आज वह स्थिति है जो कि सन् १९४९ में थी जब कि रेलवे मैन्स फेडेरेशन ने स्ट्राइक की नोटिस दी थी। मैं चाहता हूं कि जो आपने एक हाथ से दिया है उसको दूसरे हाथ से उनके कनसेशन्स को कम करके न छीनिये।

[श्री प्र० ना० सिंह]

मैं माननीय रेल मंत्री से इस बात को प्वायंटेडली कहना चाहता हूं कि कोई भी सोशलिस्ट स्टेट अपने वर्कर्स को दी हुई एमिनिटीज़ को छीन नहीं सकता है। जो स्टेट एक वर्कर्स स्टेट और सोशलिस्टिक पैटर्न की स्टेट होने का दावा करता है, वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। मैं रेलवे मंत्री जी के सामने यह रखना चाहता हूं कि अब रेलवे कर्मचारियों की अर्न्ड लीव ३३ दिनों से घटा कर ३०, २७, २१ दिन कर दी गई है, कैजुअल लीव १५ दिन से १२ दिन कर दी गई है, पब्लिक हालीडेज़ २३ दिन से घटा कर १६ दिन कर दी गई हैं और महीने में शनिवार की चार आधी छुट्टियों के स्थान पर सिर्फ एक पूरे शनिवार की छट्टी कर दी गई है। इस प्रकार रेलवे के मज़दूरों पर वर्क लोड बढ़ा है और उन की एमिनिटीज़ छीन ली गई हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस की एमिनिटीज़ छीनी गई हैं, क्या उस को इस बात की शिकायत करने का अधिकार भी नहीं है। अपने को सोशलिस्ट स्टेट कहने के बावजूद भी इन एमिनिटीज़ को छीना गया है।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सोशलिस्ट स्टेट में काम नहीं किया जाता है!

श्री प्र० ना० सिंह : काम किया जाता है, लेकिन एमिनिटीज़ को भी नहीं छीना जाता है। रेलवे कर्मचारियों से सरकार कहती है कि ज्यादा काम करो। वह ठीक बात है। एफ़िशेन्सी बढ़ाने की बात भी ठीक है। लेकिन जो दी हुई एमिनिटीज़ छीनी जाती हैं, काम के घंटे बढ़ाये जाते हैं, वह एक सोशलिस्ट स्टेट में नहीं होता है। वह तो एक बुर्जुआ कैपिटलिस्ट स्टेट में होता है। वर्कर्स के काम के घंटों को बढ़ाना, उन की एमिनिटीज़ को छीनना और उन पर वर्क लोड को बढ़ाना एक सोशलिस्ट स्टेट का काम नहीं हुआ करता है। अगर माननीय रेल मंत्री जी को यह बात समझ में नहीं आती, तो शायद सोशलिज्म की उन की डेफ़ीनीशन दूसरी हो, लेकिन सोशलिज्म की डेफ़ीनीशन यह है कि वर्कर्ज़ की आसायश को छीनने की कोशिश न की जाये।

उन लोगों की फ़्री मेडिकल एड को भी बन्द कर दिया गया है।

श्री जगजीवन राम : कहां बन्द कर दिया है ?

श्री प्र० ना० सिंह : अगर सैकंड पे कमीशन की रीकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने विचार नहीं किया, तो उन की फ़्री मेडिकल एड बन्द हो जायगी और कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम लागू हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सोशलिस्ट स्टेट में एक वक्त में तो एक आदमी ही बोलेगा।

श्री प्र० ना० सिंह : जहां तक हाउस रेंट का सवाल है, उस में भी इज़ाफ़ा हो गया है और फ़ोर्थ क्लास एम्पलाईज़ को फ़्री हाउस के बजाय अब रेंट देना पड़ेगा। पास और पी० टी० ओ० भी कम कर दिया गया है।

श्री जगजीवन राम : कहां कम कर दिया है ? माननीय सदस्य ग़लत-बयानी करते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : जो फ़ैसला सरकार को देना चाहिये, वह उसने नहीं दिया है।

श्री प्र० ना० सिंह : अगर माननीय मंत्री जी यह एलान कर दें कि हम कम नहीं करने जा रहे हैं, तो हम को बड़ी खुशी होगी। हम को खतरा है कि सैकंड पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद उन तमाम चीज़ों को कर दिया जायगा।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य तो कहते हैं कि "कर दिया"।

श्री प्र० ना० सिंह : अगर इस सम्बन्ध में वह एलान कर दें, तो मुझे खुशी होगी।

ऐमिनिटीज़ के सम्बन्ध में २,२० लाख रुपये रखने का ज़िक्र किया गया है। उस के सम्बन्ध में मैं यह महसूस करता हूं कि इतने बड़े रेलवे बजट में एमिनिटीज़ के लिए यह रकम पर्याप्त नहीं है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

माननीय मंत्री जी यह महसूस करेंगे कि रेलवे बजट में आमदनी का मुख्य ज़रिया तृतीय श्रेणी के यात्री हैं और इस में कोई शक नहीं कि उनके लिए कुछ किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अभी हमें बहुत कुछ करना है। मैं समझता हूं कि एमिनिटीज़ के लिए यह जो रकम रखी गई है, वह कम है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्र० ना० सिंह : आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो पांच पैसे फ़ेट बढ़ाने की घोषणा की गई है, उस में जीवन की आवश्यक वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा गया है। मैं समझता हूं कि इस समय जो महंगाई बढ़ रही है, इससे उस में और भी इज़ाफ़ा होगा। फ़ेट का बढ़ाया जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है ।

माननीय मंत्री जी ने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में एक बात कही है कि जहां पर भी देशी भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती है, वहां पर एजूकेशन को फ़्री कर दिया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांस्टीच्यूशन में १९६० तक चौदह साल के बच्चों को हायर सैकंडरी स्टेज तक फ़्री एजूकेशन देने की बात कही गई है। अगर कांस्टीच्यूशन में किये गये इस वादे को देश के अन्य हिस्सों में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो औद्योगिक सभ्यता में एक नई ज़िन्दगी लाने के लिये, उस को एक नए आधार पर खड़ा करने के लिये कम से कम इतने बड़े उद्योग में, जिस से करोड़ों रुपये की आमदनी सरकार के ख़ज़ाने को होती है, कम से कम रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के सम्बन्ध में उस को ज़रूर पूरा किया जाये ।

श्री जगजीवन राम : यह डिस्क्रिमिनेशन होगी ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मेरा ख्याल है कि रेलवे का काम अच्छा रहा है और सभा ने तथा सारे राष्ट्र ने इस की प्रशंसा की है। रेलवे ने बड़ी सफलता से अपने उत्तरदायित्व पूरे किये हैं। इंजन, माल व सवारी डिब्बे तथा अन्य मशीन व औजार बनाने में भी रेलवे ने काफी प्रगति की है। सब से बड़ी बात यह है कि चितरंजन कारखाना एक ऐसा कारखाना है सरकारी क्षेत्र में, जिसकी कोई आलोचना नहीं की गई है। यह एक सफल कारखाना है ।

इतने बड़े संगठन में कुछ त्रुटियां व कमियां भी हैं, जिनको ठीक करना आवश्यक है।

अवक्षयण आरक्षित कोष के सम्बन्ध में रेलवे भाड़ा दर समिति ने कहा था कि १९६०-६१ के अन्त तक इस निधि में ६६ करोड़ रु० जमा हो जायेंगे। पर अभी तक कुल ४५ करोड़ रुपये ही जमा हो पाये हैं। यह स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। और मंत्री महोदय ने भी अपने आय-व्ययक भाषण में कहा था कि स्थिति संतोषजनक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त विकास निधि तथा आरक्षित निधि की स्थिति भी अच्छी नहीं है। विकास निधि तो बड़े घाटे में है । आरक्षित निधि में भी कुछ जमा नहीं किया जा सका है । १५०० करोड़ की भारित पूंजी वाला उद्योग ऐसी गम्भीर आर्थिक स्थिति में चले, यह अच्छी बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० चं० गुह]

पिछले दिनों में कार्य संचालन व्यय भी राजस्व की अपेक्षा अधिक रहा है । १९६०-६१ में राजस्व में २८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई पर व्यय में ३८ करोड़ रु० की वृद्धि थी। इस प्रकार राजस्व तथा व्यय का असंतुलन इस उद्योग के लिए हितकारी नहीं है ।

कोयले के इस उद्योग की मात्रा के सम्बन्ध में कुछ सुधार अवश्य हुआ है । पर अभी और भी सुधार हो सकता है । माननीय मंत्री ने स्वयं भी कहा है कि इस में सुधार की गुंजाइश है । रेलवे स्वयं अपनी कोयला-शोधन शालायें क्यों नहीं बढ़ाती । रेलवे को इस संबंध में विचार करना चाहिये ।

समय से गाड़ियों के आने जाने के संबंध में मेरा कहना है कि इस दिशा में समुचित सुधार नहीं हो सका है । १९५२-५३ तथा १९५७-५८ के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि हम ने इस दिशा में अपेक्षित उन्नति नहीं की है । रेलवे बोर्ड को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। पुराने इंजनों तथा डिब्बों व वैगनों के स्थान पर नये इंजन, डिब्बे व वैगन लाने की दिशा में भी काम बहुत पीछे है और इस संबंध में १९६०-६१ के लिए निर्धारित लक्ष्य भी पूरा होता नहीं दीखता ।

५० प्रतिशत के लगभग दुर्घटनायें पुराने इंजनों के कारण होती हैं । अतः नये इंजन लाने की दिशा में लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिए ।

भाड़े में जो ५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, उसका मैं समर्थन करता हूं । वास्तव में यह जरूरी भी था सब प्रकार की स्थितियों को देखते हुये । कुछ वस्तुओं को इस भार से मुक्त रखा गया है। मेरा ख्याल है कि खाद्यान्नों को भी इस वृद्धि से मुक्त रखा जाये । खाद्यान्नों का भाड़ा ५ प्रतिशत बढ़ाने से सामान्य व गरीब जनता पर बुरा असर पड़ेगा। अतः आशा है कि रेलवे बोर्ड इस पर विचार करेगा । इसी प्रकार उर्वरकों को भी शुल्क से मुक्त रखना चाहिए था क्योंकि खाद्यान्न तथा उर्वरक के भाड़े में वृद्धि करने से सामान्य जनता के रहन-सहन का व्यय बढ़ जायेगा । डाक, सेना तथा रेलवे विभागों के सामान को इस ५ प्रतिशत से क्यों छूट दी गयी है । गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा सरकारी उद्योगों में इस प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं है । आशा है कि माननीय मंत्री इस पर भी विचार करेंगे ।

अब मैं सियालदह स्टेशन व सियालदह सेक्शन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । वहां विद्युतीकरण का जो काम हो रहा है उसकी गति बहुत धीमी है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को यह बतायें कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा । सियालदह स्टेशन की हालत बहुत खराब है । गाड़ियां समय पर नहीं चलतीं । यदि समय पर आयें भी तो प्लेटफार्म खाली नहीं मिलते । इसके अतिरिक्त वहां बड़ी गन्दगी ह व स्टेशन को नये तरीके से बनाने की जरूरत है । वहां पर जो यात्री सुविधायें हैं, वे भी कुछ अच्छी नहीं हैं । उनकी ओर भी माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक विदेशी ऋण की बात है। ब्याज की दर जितनी तय हो जाये, उतनी देनी पड़ती है । कोई भी देश जो अविकसित हो, विदेश से ऋण लेता ही है। यदि विश्व बैंक बहुत अधिक ब्याज लेता है, तो माननीय मंत्री ब्याज की दर कम करायें या फिर कहीं और से कम दर पर ऋण लें ।

अन्त में मेरा यह कहना है कि रेलवे का सारा कार्य काफी संतोषजनक रहा है ।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : अध्यक्ष महोदय, जो रेलवे बजट पेश किया गया है और रेलवे मंत्रालय ने जो कुछ कार्रवाइयां आज तक की हैं, उन सब के लिए मैं रेल मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं। जो नई लाइनें बनी हैं या जिन लाइंस का डबलिंग हुआ है, जो स्टाफ़ की एमेनिटीज़ बढ़ी हैं तथा यात्रियों को जो सुविधायें दी गई हैं, वे सब ऐसी बातें हैं, जिन पर सन्तोष ही प्रकट किया जा सकता है और जब कोई इस तरह के अच्छे काम करें, उसके लिए हम उसको बधाई न दें तो उचित नहीं होगा। इस वास्ते मैं रेल मंत्री महोदय को इन सभी कामों के लिए बधाई देती हूं।

इतना कहने के बाद मैं आप के समाने कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो फ्रेट सरचार्ज बढ़ाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों बढ़ाया गया है। एक तरफ़ तो हम कहते हैं कि रेलों पर जो गुड्स लोड होता था वह रोड पर हो रहा है, रेल और रोड के बीच कम्पीटीशन चल रहा है उसको कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर आप फ़्रेट रेट बढ़ाते हैं, यह सब समझ में आने लायक बातें नहीं हैं। जब कम्पीटीशन चल रहा है तो फ़्रेट रेट को बढ़ाने के बजाय घटाना चाहिये था और यह बहुत आवश्यिस सी चीज़ है। फ़्रेट स्ट्रक्चर कमेटी ने जो कुछ कहा है वह मौजूदा परिस्थिति काबिल नहीं हैं। मैं समझती हूं कि इससे रेलों को हानि ही होगी, कोई खास फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है।

एक और बात मैं इस सम्बध में कहना चाहती हूं। हमारे देश की जो इकोनोमी है वह बहुत सैंसेटिव हो गया है। इसको ज़रा सी भी ठेस पहुंचे, ज़रा सा भी सरचार्ज बढ़ जाए तो एकदम से प्राइसिस चढ़ जाती हैं। भाव चढ़ जाते हैं, सरचार्ज तो कम लगाया है मगर भावों में इससे दुगनी या इससे भी अधिक की वृद्धि हो जाती है। मैं समझती हूं कि इस मौके पर इसको बढ़ाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, संभव हो तो इसको घटा दिया जाय।

यह भी कहा गया है कि एक तो फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं और साथ ही साथ यह अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। हो सकता है कि दाम टैक्सेशन की वजह से कुछ बढ़ गए हों मगर जो क्वालिटी की बात कही गई है इसके बारे में अन्य माननीय सदस्यों की तरफ़ से भी कहा गया है पब्लिक सेक्टर के जो काम हैं, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और कोई न कोई तरीका निकाला जा सकता है जिससे अच्छी क्वालिटी की फ्यूल हम को मल सके। श्री बिमल घोष और श्री अ० चं० गुहा जी ने कहा है कि वाशरीज़ लगाई जायें या कोई और तरीका निकालें जिस से जिस क्वालिटी को हम चाहते हैं वह हमें उपलब्ध हो सके।

यह कहा गया है कि जो नेट प्राफ़िट है वह बढ़ रहा है और यह आनन्द की बात भी है। अगर फ़िगर्स को देखा जाए तो यह ठीक भी लगता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रेलवे का जो कनसर्न है वह कितना पूराना है और कितने सालों से चल रहा है और इससे कितनी इसमें पूंजी लगी हुई है और कितनी पूंजी हम आगे लगा रहे हैं और कितना लाभ होना चाहिये। एक बात यह भी है कि यात्रियों में सफ़र करने का शौक भी बढ़ रहा है और लोगों की सफ़र करने की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं और यह सब चीज़ें ऐसी हैं जिन से आमदनी बढ़ी है और बढ़ सकती है। हमें जो लाभ हुआ है उससे मैं समझती हूं कि हम सन्तोष ज़रूर मानें लेकिन कम्प्लेसेंट रहने की ज़रूरत नहीं है।

स्टाफ़ को कितनी एमेनिटीज़ मिलनी चाहिए इस बारे में हाउस में कुछ मतभेद है, डिफ़्रेंस आफ़ ओपिनियन है। जो एमेनिटीज़ इस वक्त मिली हुई हैं उतनी से ही कई माननीय सदस्य सैटिसफ़ाइड नहीं हैं, नाराज़ हैं। मगर मैं इस ढंग से नहीं सोचती हूं। हम ऊपर की ओर

[श्रीमती जयाबेन शाह]

देखें, अपने उच्चाधिकारियों की ओर देखें, जितनी सुविधायें और जो पे स्केल उनको मिले हुए हैं, उनके मुकाबले में क्लास ३ और क्लास ४ को बहुत कम मिलते हैं, उनको बहुत कम सहूलियतें मिली हुई हैं, उनके बीच का जो फ़ासला है, वह बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूं कि हो सके तो इस फ़ासले को हटाया जाए, इस को कम किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर आप बाहर की दुनिया को देखें, एग्रिकलचरल लेबर को देखें, जो गुमाश्ता है, उन सब को क्या मिलता है, उनकी लाइफ़ क्या है, उनको क्या सिक्योरिटी है, तो आप को पता चलेगा कि अगर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को सुविधाएं देने पर ही ज़ोर लगाया जाता रहा तो हमारे समाज में एक डिसपेरिटी सी आ जाएगी और आजकल भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सर्विस पर, रेलवे की सर्विस पर लोगों का सारे का सारा ध्यान लगा रहता है जिससे देश को नुकसान पहुंचता है। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि जो दूसरे पेशे हैं, उन सब को सामने रख कर हम सोचें।

रेलवे मंत्री जी ने पी० टी० ओ० और पासिस के बारे में कहा है कि कुछ ग़लतफ़हमी है। यह बहुत छोटी सी बात है और इसमें मैं समझती हूं हमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रेक्टिस में क्या होता है, पास मिले या न मिले, इसके बग़ैर भी वह अपना काम चला लेते हैं और आते-जाते रहते हैं। इस वास्ते मैं समझती हूं कि जो एमेनिटीज़ हमने उनको दे रखी हैं, उनको वापिस लेने की कोशिश हम न करें।

जो पोर्टर्स होते हैं, जो कुली होते हैं उनके लिए यह तय किया है कि एक हैड लोड के उनको तीन आने मिलें। मगर जिस तरह से प्राइसिस बढ़ रही हैं, और जिस तरह की इकोनोमी आज की है, उसमें तीन आने तो कोई चीज़ नहीं है और जो लेने वाला है वह लेने से इनकार कर देता है और उसके बाद कितना झगड़ा मुसाफ़िर और कुली के बीच होता है, इसको आप और हम सब जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यात्री आसानी से सफ़र करें, अगर हम चाहते हैं कि झगड़े न हों, तो जो हैड लोड का रेट फ़िक्स किया है, इसको कुछ हद तक बढ़ाया जाना चाहिये, तीन आना से काम नहीं चल सकता है।

अब मैं केटरिंग के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत कम दाम में खाना इत्यादि मिलता है, चपाती मिलती है। मैं चाहती हूं कि रेलवे बोर्ड के अधिकारीगण और यदि हो सके तो स्वयं माननीय मंत्री महोदय, जा कर इस खाने को टेस्ट करें और देखें कि कैसी क्वालिटी होती है। यह देखने लायक चीज़ है। दस आने में हम चीज़ तो ले सकते हैं मगर उसकी क्वालिटी इतनी हल्की होती है कि कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं कर

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : एक बार टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है।

श्रीमती जयाबेन शाह : तब मैं समझती हूं कि आप का टेस्ट कोई ख़ास किस्म का होगा।

आपने ५०० मील के यात्रियों के लिए स्लीपिंग की सुविधा सुलभ की है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मगर इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जो यात्री सौ मील से आगे का सफ़र करना चाहते हैं, उनको कम से कम बैठने की सुविधा तो मिलनी चाहिए। कुछ जगहों पर आपने रिज़र्वेशन की सुविधायें दे रखी हैं, मैं चाहती हूं कि ये सुविधाएं सभी जगहों पर सुलभ होनी चाहिएं। आजकल किसी न किसी तरह से कुछ लोग डिब्बों में घुस जाते हैं लेकिन उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है और मैं चाहती हूं कि उनको बैठने के लिए स्थान मिल सके, वे रिज़र्वेशन करा सकें, इसका इंतिज़ाम भी आपको जल्दी करना चाहिये और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है।

थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को अनेक सुविधायें दी गई हैं और यह ठीक भी है। मैं यहां पर एक दूसरी बात कहना चाहती हूं। आपने एक ऐसा रेग्युलेशन बनाया है कि खास खास किस्म का सामान मुसाफ़िर अपने साथ नहीं रख सकता है जिसको इम्प्लिमेंट नहीं किया जाता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो उस सामान को अपने साथ ले कर चलते हैं जिसको कि वे रेग्युलेशन के मुताबिक ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको कोई चैक ही नहीं करता है। लोग चारपाई और बड़ा बड़ा लगेज डिब्बे में रख लेते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जो पैसेज होता है वह रुक जाता है, आने जाने के लिए जगह नहीं रहती है, अगर कोई लैवेटरी में जाना चाहता है, जा नहीं सकता है, बहुत दिक्कत का सभी मुसाफ़िरों को सामना करना पड़ता है। इससे जो तकलीफ़ होती है उसको तीसरी क्लास के यात्री ही जानते हैं और मैं चाहती हूं कि उनकी इस तकलीफ़ को दूर करने का आप कोई उपाय करें।

आज हम ज़ोर देते हैं कि मोर प्रोडकशन हो, खेती की पैदावार बढ़े, इसके लिए आन्दोलन भी चलाते हैं। एक तरफ़ तो हम इस तरह की बातें करते हैं दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि जो चीज़ें इस लक्ष्य को सिद्ध करने में सहायक हो सकती हैं, उनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूं। सौराष्ट्र में वांकानेर के पास एक मच्छु डैम बना और उसको पूरे हुए तीन साल हो गए हैं। वहां पर एक नहर बनी जोकि रेलवे लाइन की हद तक आ गई। इसके बाद रेलवे लाइन की दूसरी ओर से भी नहर खोद दी गई। अब रेलवे लाइन के नीचे से जो नहर खुदनी थी, तीन साल हो गए हैं ये गर्डर नहीं लगाये जा सके हैं। अब पता चला है कि रेलवे ने उसके लिए कुछ मंजूरी दे दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि तीन साल तक उस नहर से कोई लाभ नहीं उठाया जा सका क्योंकि नहर पूरी ही नहीं हुई। हम कहते हैं कि सारे देश की तसवीर को हमें अपने सामने रखना चाहिए, सारे देश के चित्र को अपने सामने रखना चाहिये और दूसरी ओर जब इस तरह के ज़रूरी कामों में ऐसी देरी की जाती है, तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि इस तरह के ज़रूरी कामों में देरी नहीं की जानी चाहिये।

ऐसा भी कई बार होता है कि नदियों का करेंट बदल जाता है, बहाव बदल जाता है, बाढ़ आ जाती है जिसके वास्ते स्टेट गवर्नमेंट को या पी० डब्ल्यू० डी० को कुछ काम करने पड़ते हैं, ज़मीन को कहीं ऊंचा करना पड़ता है, कहीं नीचा करना पड़ता है जिसके लिए स्कीम बनाई जाती है। ऐसे कामों में जहां रेलवे लाइन बीच में आ जाती है और उसकी मंजूरी किसी काम के लिए लेनी पड़ती है। हम ने ऐसी बातें अक्सर देखी हैं और लिखी भी हैं। जब कोई ऐसी बात आ जाए तो हम को तुरन्त ही उसे कर देना चाहिए। स्टेट वाले कहते हैं कि यह हमारे अधिकार में नहीं है क्योंकि रेलवे हमारे नीचे नहीं है और जब रेलवे से हम लोग कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास प्राविज़न नहीं है। मैं समझती हूं कि जब कोई ऐसी बात आये और सारे नेशन का सवाल हो तो उस में खास दिलचस्पी ले कर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

यहां पर रेलवे मंत्रालय की किताबों में यह बताया गया है कि रेलवे की ओर से शालायें चलती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई ५० हज़ार विद्यार्थी पढ़ते भी हैं। जहां तक मैं समझती हूं, और बहुत से लोगों ने बतलाया भी है कि कांस्टिट्यूशन के अन्दर यह ज़िम्मेदारी स्टेट की है। प्राइमरी शिक्षा की ज़िम्मेदारी स्टेट की है। रेलवे स्टाफ़ के लिए रेलवे की ओर से पढ़ाई का इन्तज़ाम होने पर भी उस ज़िम्मेदारी से स्टेट बच नहीं सकती। इसलिए इस ज़िम्मेदारी को इम्प्लिमेंट करने का काम स्टेट पर ही छोड़ देना चाहिये। हम चाहे जिस तरह की शालायें बनायें, उन के लिए जो भी प्राविज़न करें, उन में यूनिफ़ार्मिटी रहती है या नहीं और कैसा प्रबन्ध हो रहा है इस को कौन

[श्रीमती जयाबेन शाह]

देख सकता है ? मैं समझती हूं कि यह काम हमारा नहीं है और उसका बोझ शिक्षा मंत्रालय पर ही छोड़ देना चाहिए ।

एक बात मेरी कांस्टिट्युएंसी की है । हम ने देखा है कि झिझक गांव का एक बड़ा भारी प्रकरण बन गया । वहां के लिए नहीं मालूम कैसे रातों रात स्पेशल ट्रेन मंजूर की गई । ऐसा भी सुना गया है कि वहां पर रेलवे कर्मचारियों को ले जाने के लिये खुले डिब्बे रक्खे हुए थे उन का भी उपयोग उस पैसेन्जर के लिए किया गया । वहां अमृत बेल के छोटे स्टेशन के नज़दीक पुल के पास कल्वर्ट की तरह से है । उसके पास न जाने कैसे गैर-कानूनी सा स्टेशन बन गया और लोगों ने उस को देवीनगर नाम दे दिया । वहां पर ट्रेन्स रुकतीं । स्पेशल ट्रेनों में पैसन्जर्स वहां गये । जब कभी कोई ऐसी सुविधा के लिए कहता है तो कह दिया जाता है कि हमारे पास वैन्स नहीं हैं, बोगीज़ नहीं हैं लेकिन यहां पर ऐसा कैसे हुआ, तो कामर्शल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने किसी को जवाब दिया कि जब हमें पैसा मिलता है तो हम जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं । मैं समझती हूं कि रेलवे जो है वह ऐसा कोई व्यापारिक कंसर्न नहीं है जो कि कभी पैसा मिलने का मौका होता है तो उसे छोड़ती नहीं । हमें देखना चाहिये कि किस लिए स्पेशल ट्रेन लोग चाहते हैं । वहां तो एक अन्ध श्रद्धा के कारण इतने लोग इकट्ठा हो गये थे । इस तरह से तो इन्डाइरेक्टली उन को प्रोत्साहन मिल गया और इतने आदमी वहां पर मर गये । हम सब के सामने यह बातें मौजूद हैं । वहां मेरा-किल्स की जो इतनी बातें चलीं तो जो हमारे रेलवे अधिकारीगण थे वे भी उन से बच नहीं सके । मैं समझती हूं कि यह ठीक नहीं हुआ । इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिये कि किस के लिए स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत है और वह दी जानी चाहिये या नहीं ।

रेलवे मंत्री जी ने बताया है कि मेजर ऐक्सीडेन्ट्स बहुत कम हुए हैं, बल्कि नहीं हुए हैं । अगर ऐसा है तो यह बड़ी तसल्ली की बात है लेकिन चलती ट्रेंस में, खास कर लेडीज़ कम्पार्टमेंट्स में, दुर्घटनायें होती हैं वह बहुत दुखद चीज़ हैं । आज कल पैसेन्जर्स इतने घबराये हुए हैं कि उनको अकेले चलने में डर लगता है । मेरे जैसी कुछ बहनें अकेली सफ़र करती रही हैं । लेकिन जो पिछले दो तीन इन्सीडेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए तो कहा जा सकता है कि पूरी सावधानी रखने पर भी उन से बचा नहीं जा सकता । हमें सोचना चाहिये कि कोई न कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिस में जो लोग अकेले सफ़र करना चाहें वे कर सकें । हमारी बहनें पहले अकेले चलने में हेज़िटेट करती थीं लेकिन अब और भी हेज़ीटेट करने लगी हैं । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हम को तो छोड़िये, अब अकेले चलने में आदमियों के दिल में भी डर पैदा हो गया है कि कहीं कुछ हो न जाय । यहां पर बटन की डिवाइस निकालने की बात कही गई है उस के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि उस से किस तरह से काम लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई एलैक्ट्रिक डिवाइस की तरह की चीज़ हो जिस में कोई हाथ भी न लगा सके, तो अच्छा होगा । इस के लिए आज कल जो स्थित है उस में कुछ सुधार होना चाहिये जिस में लोगों को अकेले सफ़र करने में डर न रहे ।

मैं सौराष्ट्र से आती हूं । यहां पंक्चुअलिटी आफ ट्रेन्स की बात कही गई है । मैं समझती हूं कि जहां पर कम से कम पंक्चुअलिटी है वह हमारा प्रदेश है । छोटी छोटी लाइनें हैं, यहां के स्लीपर, वहां के डब्बे और एंजिन इतने पुराने हैं जितने कि हमारे स्टेट पुराने थे । मैं समझती हूं कि इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

यहां पर टिकेटलैस ट्रैवल की बात हुई है । आंकड़े दिये गये हैं कि ६ लाख आदमी पकड़े गये हैं और उन से १ करोड़ रुपया वसूल किया गया है । मैं समझती हूं कि जितने लोग पकड़े गये हैं उन से कहीं ज्यादा टिकेटलैस ट्रैवेलर्स हैं और इस सिलसिले में इतना करप्शन चल रहा है जिस को मैं बतला नहीं सकती । जो रेलवे का स्टाफ है वह भी उन लोगों के साथ मिल जाता है और बिना

टिकट चलने वालों से टिकट का कुछ पैसा ले कर छोड़ देता है। इस के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

अब आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि बम्बई का बाइफर्केशन हो रहा है। इस बड़े राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात बनेंगे। अब तक गुजरात का क्षेत्र बम्बई के साथ था इसलिये किसी खास सुविधा की मांग नहीं की जाती थी। अब गुजरात नये सिरे से बन रहा है। रेलवे में गुजरात के लोगों को जितनी तकलीफें हैं उन के बारे में मैं समझती हूं कि रेलवे मंत्री जी को खास तौर पर सोचना होगा क्योंकि जिस तरह से आज कल गुजरात में रेलवे चल रही है उस से नये बनने वाले राज्य का काम नहीं चल सकता है।

इन सब बातों के कहने के बाद भी जो हमारे रेलवे मंत्रालय ने प्राग्रेस की है उस के लिये मैं कह सकती हूं कि शायद ही किसी और मंत्रालय ने की हो। हमें उस की प्राग्रेस से काफी सन्तोष है और मैं उस के लिये अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हर एक तरफ से रेलवे मंत्री जी को और रेलवे मंत्रालय को बधाई दी गई है और मैं समझता हूं कि वह बहुत हद तक दुरुस्त भी है, इस लिहाज से कि इन दिनों में रेलवे की काफी प्रगति हुई है और जितना रुपया उस को पांच साल की अवधि में खर्च करना था उस के मुताबिक चार साल का जो शेड्यूल बना था उतना वह खर्च कर रही है। यही नहीं बल्कि हमें चितरंजन और पेरम्बूर को देखने का भी मौका मिला और वहां पर भी हमें यह देख कर खुशी हुई कि जो टार्गेट मुकर्रर किये गये हैं एंजिन बनाने के और गाड़ियां बनाने के उन टार्गेट्स से भी ज्यादा गाड़ियां पेरम्बूर में तैयार हुई हैं और टार्गेट्स के अनुसार एंजिन बनाने के काम में प्रगति हो रही है। हम ने वहां एक चीज जो देखी वह यह थी कि चितरंजन में खास तौर पर इन्सेन्टिव सिस्टम है। मैं समझता हूं कि जो यह इन्सेन्टिव सिस्टम है उस से जहां काम में एफिशिएंसी पैदा होगी वहां काम भी बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि जितनी आपकी वर्कशाप्स हैं उन में से हर एक जगह यह इन्सेन्टिव सिस्टम हो जाना चाहिये।

लेकिन इसके साथ साथ मैं एक अर्ज जरूर करना चाहता हूं कि जहां आप ने हर एक जगह यह बतलाया है कि आपने पैसेन्जरों के लिये बहुत सी सुविधायें दी हैं वहां पर आपका जो उल्लेख है वह केवल दो प्रकार के गेजेज़ के संबंध में है। एक तो है ब्राड गेज और दूसरा है मीटर गेज। लेकिन एक और गेज है जो कि नेरो गेज के नाम से चलता है। अगर उसको देखा जाय तो आप पायेंगे कि केवल इतना भर उल्लेख किया गया है कि नेरो गेज भी मौजूद है। लेकिन उसकी क्या तरक्की हुई यह आपकी रिपोर्ट्स में कहीं पर नहीं मिलता। बल्कि देखने में तो यह आ रहा है कि जो भी आप का नेरो गेज है उसके मुताल्लिक आपने जो आंकड़े दिये हैं उस के मुताबिक ब्राड गेज पर जो लोको-मोटिव्ज का ओल्ड स्टाक है वह २७-३२ परसेंट है। मीटर गेज पर रौलिंग स्टौक का एव्रेज १८—६३ है लेकिन वही नेरोगेज पर जाकर ३४—१५ हो जाता है। इसी तरह कोचेज के मुताल्लिक है। जो ब्रौड गेज है वहां पर आपका जो रौलिंग स्टौक है वह ३६—५ है मीटर गेज पर २९—६० है लेकिन वही एव्रेज नेरो गेज पर ५६—३८ परसेंट हो जाता है। वेगनों के मुताल्लिक भी यही है कि जहां ब्रौड गेज पर वह ११ परसेंट है, मीटर गेज पर १२ परसेंट है वहीं नेरो गेज में जाकर ५१—५९ परसेंट हो जाता है। इससे यह जरूर पता चलता है कि नेरो गेज जो कि आठ जोनों में से सात में चलता है उसकी ओर रेलवे मंत्रालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है और उसको नगलेक्ट किया जाता है। जहां यह नेरो गेज है वहां पर आपका किराया भी ज्यादा है और टैक्स भी ज्यादा लगेंगे। मुझे यह चीज बड़े खेद के साथ कहनी पड़ती है कि आपने उसकी तरफ ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया और उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि जहां आप ब्रौड गेज

[श्री हेमराज]

पर और मीटर गेज पर इतना ध्यान दे रहे हैं वहां उसी के साथ साथ आप इस नेरो गेज पर भी ध्यान दें ।

मैंने एक मर्त्तबा यहां पर सवाल किया था तो उसके मुताल्लिक आपने फरमाया था कि यहां पर नेरो गेज के लिये खासतौर पर किसी किस्म की फेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है जहां पर कि रेलें बन सकें और लोकोमोटिव्स बन सकें । आज हालत यह है कि उसका कोई हिस्सा खराब हो जाय और आपकी जो एक नार्दर्न रेलवे वर्कशाप कालका में मौजूद है वहां पर कोई चीज मरम्मत के लिये जाय तो ६ महीने और ढाई साल के बाद कहीं वह मरम्मत होकर आती है। बाहर से नई चीज के वास्ते आर्डर देने और उसके आने में तो काफी समय निकल जाता है । अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बतलाऊं कि हमारी जो कांगड़ा वेली रेलवे है उसकी यह हालत है कि करीब ५० परसेंट रौलिंग स्टौक खराब है और काबिले मरम्मत है और केवल ५० परसेंट ही वर्किंग आर्डर में है और वह मरम्मत के लिये कालका की वर्कशौप में जाता है जहां कि साल साल और दो दो साल लग जाते हैं और अभी तक वह बन कर नहीं आया है और जिसका कि परिणाम यह हो रहा है कि रेलगाड़ियों में ओवर-क्राउडिंग रहती है ।

जहां तक वैगनों का सवाल है टाइम पर । अगर माल बुक करना हो तो उसके लिये वैगन नहीं मिलते ।

इस दफा जब मुझे दक्षिण भारत में जाने का मौका मिला तो वहां पर भी रेलगाड़ियों की यही हालत देखी । नेरो गेज पर यही हालत वहां पर भी है । आउट स्टेशंस और मोफस्सिल एरियाज में काफी ओवरक्राउडिंग रहती है । अब यह दिल्ली को जाने दीजिये जहां कि मेन लाइंस् हैं लेकिन नेरो गेज में रेलगाड़ियों की वही खराब हालत है उनकी सफाई की हालत तसल्लीबख्श नहीं है और हमें तो आशा है कि आप जहां बाकी जगह यह प्रगति दिखा रहे हैं वहां इस तरफ भी कुछ ध्यान देंगे ।

इसके साथ साथ एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं खाली नेरो गेज की नहीं बल्कि आमतौर पर कहना चाहता हूं अलबत्ता नेरो गेज की मिसाल जरूर देना चाहता हूं और वह यह है कि आपकी तरफ से जो यह रिपोर्ट में लिखा गया है कि पंक्चुएल्टी आफ ट्रेंस और स्पीड आफ ट्रेंस आगे से बढ़ रही है तो जिस वक्त यहां एक सवाल हुआ और उसका जवाब आपने यहां दिया तो उससे तो यह पता चलता है कि जो आपकी स्पीड १९३९ में थी उस स्पीड तक आज आप नहीं पहुंच पाये हैं । एक सवाल के जवाब में यहां पर जो यह कहा गया था कि ट्रेनों की स्पीड आगे से बढ़ रही है तो यह तो मैं मान सकता हूं कि हमारी रेलगाड़ियों की स्पीड सन् १९५२ की अपेक्षा तो जरूर बढ़ गयी है लेकिन सन् १९३९ में जो उनकी स्पीड थी उससे नहीं बढ़ी है । इसके मुताल्लिक मैं आपको थोड़े से फिगर्स देना चाहता हूं और वह यह हैं कि सन् १९३९ में कांगड़ा वेली रेलवे की स्पीड १३–८ रही जब कि अबकी स्पीड केवल १०–८ है जिससे यह सिद्ध होता है कि सन् १९३९ की स्पीड से आज की स्पीड बढ़ी नहीं है बल्कि कम ही हुई है । यह स्पीड बढ़नी चाहिये ।

एक मर्त्तबा आगे भी मैं आपके नोटिस में यह चीज लाया था कि १५ मील का जो यह एक हिस्सा है इसमें जाकर आपकी स्पीड केवल ५ मील फी घंटा ही रह जाती है अर्थात् ५ घंटे में रेलगाड़ी बैजनाथ से जुगेन्द्रनगर पहुंचती है । मैं समझता हूं कि यह बात आपके ध्यान में रखने योग्य है कि इसके मुकाबिले यदि पठानकोट से कोई मोटर में वहां के लिये रवाना हो तो वह ७ या ८ घंटे में पहुंच जाये जबकि रेलगाड़ी आपकी वहां उसको १३, १४ घंटे में पहुंचायेगी । इसकी ओर भी मुझे उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रक्खेंगे ।

एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता था और पहले भी उसके बारे में मैंने अर्ज किया था और वह स्लीपिंग अरेंजमेंट के संबंध में है। यह ब्रौड गेज पर जो आपने थ्री टायर कोचेज बनाई हैं तो यह किसी कदर मुसाफिरों के लिये तकलीफदेह साबित हुई हैं। उसमें सबसे निचला जो टायर है जहां पर बैठने की जगह है वहां अगर एक आदमी सो जाय तो जैसे पहले आजादी के दिनों में हम लोगों को आंदोलनों के सिलसिले में जेलखाने जाना पड़ता था और वहां अगर अकेले एक कोठरी में भेजते थे तो वहां पर एक छोटी सी जगह होती थी जहां पर सोने के बाद अगर आदमी उठना चाहे तो उठ कर बैठ नहीं सकता था, ठीक वही हालत आज आपकी इन थ्री टाइर कोचेज की है। मेरी राय में टू टायर कोचेज कर दें तो बैठने के लिये सुभीता हो सकता है। यह देखा गया है कि जिस वक्त इन थ्री टायर कोचेज में आदमी जल्दी से उठे तो उसका सिर ऊपर की सीट से लग जाये और हो सकता है कि उसका सिर फट जाय.....

श्री **राजेन्द्र सिंह** : ऐसा आपको तजुर्बा हुआ है? क्या आपका सिर इस तरह से फटा है ?

श्री हेम राज : जी सिर तो नहीं फटा भाग्य से लेकिन मेरा तजुर्बा इस बारे में है और बेहतर तो यह होगा कि आप भी थोड़ा सा उसका तजुर्बा करें और मिनिस्टर साहबान भी अगर उसका तजुर्बा करके देखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं अर्ज कर रहा था कि बजाय थ्री टायर के टू टायर्स कोचेज कर दें तो ज्यादा सुभीता हो सकता है।

श्री जगजीवन राम : आपका सिर क्या जेल की कोठरी में फूटा था ?

श्री हेम राज : जी हां, टूटा था तभी तो मैं यह कह रहा हूं। यह ठीक है कि आपने हमें रेलवेज के लिये पासेज दे दिये हैं लेकिन हमें इसका तजुर्बा करने की गरज से थर्ड क्लास में सफर करने की जरूरत पड़ जाती है कि देखें वहां पर क्या हालत है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि यह जो कोचेज हैं यह इतनी खराब हैं कि इनसे यात्रियों को बजाय सहूलियत के तकलीफ हो सकती है।

श्री शाहनवाज खां : नई थ्री टायर कोचेज बहुत अच्छी हैं।

श्री हेम राज : मैं तो पुरानी की बाबत अर्ज कर रहा हूं।

आपने जो रौलिंग स्टौक सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान में नैरो गेज के लिये प्रोवाइड किया था तो आपने एक सवाल के जवाब में यह बतलाया था कि लोकोमोटिव्स् २४, कोचेज ३३५ और वैगंस १२५८ हैं लेकिन आपके भाषण में और जो रिपोर्ट दी गई है उसमें भी आपने बतलाया था कि जो रौलिंग स्टौक इस वक्त यहां देश में तैयार हुआ है उसमें कोचेज १२७ हैं, और वैगंस १३५ हैं। एक साल बकाया रह गया है और जो हालत इस वक्त नैरो गेज पर है उससे हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर जो हालत है. पैसेंजर ट्रैफिक की वहां पर जो हालत है और वैगंस से माल ढोने की जो हालत है वह कुछ तसल्लीबख्स है। जैसा कि मैंने अर्ज किया एक व्यापारी को अपना माल लदवाने के लिये बहुत समय तक ठहरना पड़ता है। जहां तक मुसाफिरों का सवाल है, उनको भी बहुत तकलीफ है। जब हम मौके पर जाते हैं तो देखते हैं, आपने तो कभी उधर गाड़ी से सफर नहीं किया। वहां हालत यह है कि गाड़ियां इतनी भरी हुई जाती हैं कि मुसाफिर छतों पर बैठ कर जाते हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नैरो गेज पर भी वैगन्स और कोचेज की तादाद बढ़ायी जाये ताकि भीड़ कम हो सके और माल भजन में आसानी हो सके।

[श्री हेम राज]

जहां तक करप्शन का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें कमी हो सकती है। इस बारे में मैंने एक सवाल किया था कि क्या इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आदमी भी इनवाल्व्ड हैं। आपने जो फिगर दिये हैं उनको देखकर हैरानी होती है कि आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आदमी भी इन थेफ्ट्स और पिलफरेजेज़ में शामिल हैं। आप देखें कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या खतरा पैदा हो सकता है। आपने इस फोर्स को इसलिये बढ़ाया कि आपके माल की हिफाजत हो लेकिन फिगर्स से पता चलता है कि ये चोरियां पहले से बढ़ गयी हैं। आपने यह बात अपने भाषण में कही थी और यहां एक सवाल के जवाब में भी कहा था कि यह देश के कामन पैटर्न की वजह से है। लेकिन गवर्नमेंट का काम ऐसा कहने से नहीं चल सकता। जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसको चाहिये कि वह स्ट्रांग हैंड से इसको बन्द करे।

श्री शाहनवाज़ खां : बड़े सख्त हाथ के साथ उनके साथ सलूक किया जाता है।

श्री हेम राज : सख्त सलूक होता नहीं। अगर आप ऐसा करें तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं।

एक बात मैं आपके नोटिस में और लाना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने एक बार एक बिल भी दिया था। हमारे दो फाइव इअर प्लान गुजर गये, और उनमें बहुत सी सड़कें बनीं हैं। लेकिन जब ये सड़कें रेलवे के पास जाती हैं तो उनको आगे बढ़ाने में आपका एकोमोडेशन वर्क्स का सैक्शन ११ हायल हो जाता है। और लोगों ने जो काम किया है वह रुक जाता है। आपके ऐसे रूल हैं कि पहले आप एक परसेंटेज लेते हैं, फिर सर्वे के लिये परसेंटेज लेते हैं, फिर और परसेंटेज लेते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जो ५०० का काम होता है वह ५००० का हो जाता है। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने ओवर ब्रिजेज़ और अंडर ब्रिजेज़ के लिये असेसमेंट करवाया है और इसको राज्य सरकारों से मांगा है इसी तरह से जो देहात में डेवेलपमेंट वर्क हुये हैं उनके बारे में भी असेसमेंट होना चाहिये। और देहात वालों के लिये भी सहूलियतें होनी चाहिय। आपकी तीसरी फाइव इअर प्लान आ रही है। आप इन डेवेलपमेंट के कामों का भी असेसमेंट करवा लें ताकि जो काम रुके हुये हैं वह आगे बढ़ सकें और कुलहे और वाटर चैनल्स जारी हो सकें।

एक बात मैं पंजाब के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता था। चंडीगढ़ पंजाब का कैपीटल बन गया है। लेकिन आज तक चंडीगढ़ को मेन लाइन पर नहीं लाया गया है। इसके लिये पंजाब सरकार ने भी आपको लिखा है और बाकी सदस्य भी इस बात को आपके नोटिस में ला चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरफ भी तवज्जह देंगे कि चंडीगढ़ मेन लाइन पर आ जाये।

इसी के साथ साथ मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप नंगल ऊना लाइन को बना दें। नंगल तक आपकी लाइन है और ऊना वहां से पांच छः मील पर है। और वह पहाड़ की मंडी है। आपकी लाइन नंगल से आगे भी खाद फैक्टरी तक गयी है। वहां से ऊना का फासला बहुत कम रह जाता है। अगर आप उस लाइन को ऊना तक बढ़ा दें तो पहाड़ी इलाके को बहुत फायदा हो सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह यह कि आपने जो कांगड़ा वैली में परोर स्टेशन बनाया है वह जंगल में है। अगर वह आबादी के नजदीक आ जाये तो उससे आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है और लोगों को भी सहूलियत हो सकती है। जो जगह पबलिक ने इसके लिये तजवीज की है वह बहुत अच्छी है। मौजूदा स्टेशन जंगल में है। वहां लोगों को पहुंचना मुश्किल होता है और वहां कुली वगैरह भी नहीं मिलते।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। आपने इस लिहाज से कि आपका और मोटर का मुकाबला है आउट एजेंसीज़ बढ़ायी हैं। आपने हमारे यहां की आउट एजेंसी को रिवाइव नहीं किया। वह आज से तीस साल पहले वहां थी। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि धर्मशाला जो कि हमारे जिले का हैडक्वार्टर है वहां आउट एजेंसी को कायम किया जाये। यह कांगड़ा से ११ मील है और नगरोटा से १२, १३ मील के फासले पर है। मैं समझता हूं कि आप इस तरफ तवज्जह फरमायेंगे और जो मैंने नैरोगेज के बारे में अर्ज किया है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : इस बार भी रेलवे मंत्री का आय-व्ययक भाषण वैसा ही है, जैसा हर वर्ष होता है। उनका एक अपना ढंग है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। माननीय मंत्री चाहते हैं कि आय-व्ययक पर चर्चा एक विशेष ढंग से हो। लोगों को उलझाने के लिये वे कोई न कोई ऐसी बात उपस्थित कर देते हैं। गत वर्ष उन्होंने सड़क-रेल प्रतिस्पर्द्धा की बात सामने रखी थी और इस वर्ष उन्होंने आत्मनिर्भरता तथा निर्यात की बात जनता के सामने रखी है। उनके भाषण में सफलताओं का जिक्र ज्यादा है, कठिनाइयों तथा पूरे किये जाने वाले लक्ष्यों का कम है।

यह दूसरी योजना का अन्तिम वर्ष है। माननीय मंत्री को चाहिए था कि वह सभा को बताते कि किन-किन संबंधों में लक्ष्यों को कहां तक पूर्ति हो गयी है।

इंजनों के निर्यात की बात उन्होंने कही। मैं जानती हूं कि इंजनों पर भी बहुत हद तक परिचालन कार्यकुशलता निर्भर होती है। अभी भी हमारे पुराने इंजनों के स्थान पर नये इंजन नहीं आ पाये हैं। इसके अतिरिक्त आगे भी हमारे इंजन पुराने होते जायेंगे और उनके स्थान पर नये इंजन लाने होंगे, ऐसी स्थिति में निर्यात की बात कहां व कैसे पैदा हो सकती है। वैगन व डिब्बों की कमी के संबंध में उन्होंने कहा कि इस्पात की कमी के कारण ऐसा हुआ। मैं पूछती हूं कि ऐसी स्थिति में रेलवे निर्यात की बात कैसे सोच सकता है।

पुरानी लाइनों के स्थान पर नई लाइन लगाने के काम संबंधी लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति हुई है, इस संबंध में माननीय मंत्री ने कुछ नहीं बताया। पर, यह स्पष्ट है कि अभी बहुत कुछ काम बाकी है। लगभग ६००० मील में नयी लाइन नहीं लगाई गई हैं। क्या इसके बिना हम दूसरी योजना में निर्धारित यात्री व माल के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा, तो गाड़ियों की क्षमता खराब होगी। गाड़ियों में बड़ी भीड़ होगी। क्या यही माननीय मंत्री चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

मैं पूछती हूं कि जनता को इस आय-व्ययक से क्या सुविधा है। गाड़ियों में भीड़भाड़ वैसे ही है। भीड़ की कोई कमी नहीं है। लोगों को खड़े-खड़े चलना पड़ता है। मैं मानती हूं कि इस संबंध में कुछ सुधार हुआ है पर वास्तव में रेलवे बोर्ड अभी इस समस्या को हल नहीं कर पाया है। इस पर अच्छी तरह विचार करने की जरूरत है। केवल इतना ही काफी नहीं है कि भीड़भाड़ में हुई कुछ कमी को देख कर हम चुपचाप बैठ जायें और कहें कि काफी सुधार हो गया है।

रेलवे कर्मचारियों के संबंध में माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनको रियायतें दी जायेंगी। मेरा कहना है कि रेलवे में यात्रा व माल यातायात दोनों बढ़े हैं। आय बढ़ी है पर रेलवे के कर्मचारियों को क्या दिया जा रहा है। क्या उनकी आय भी रेलवे की आय के साथ बढ़ी है। इस संबंध में आंकड़े देना चाहती हूं। १९५४ में रेलवे की कुल आय २७४.२९ करोड़ रु० थी और १९६० में ४२३.२८ करोड़ रु० लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि है। पर क्या कर्मचारियों को भी इतनी ही वृद्धि वेतन या आय में मिली है। उनकी आय १९५४ में १३५.०९ करोड़ रु० थी

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

और १९५९ में १८३.०५ रु० रही। इस प्रकार वृद्धि हुई है। पर नये कर्मचारी भी तो रखे गये हैं। उनके कारण ही यह वृद्धि हुई है। अतः पूछने की बात यह है कि क्या मूल्यों में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही वृद्धि उनकी आय में भी हुई है। यह बात नहीं मानी जा सकती कि रेलवे कर्मचारियों को भी उसी अनुपात से लाभ हो रहा है, जितना रेलवे को हो रहा है।

अतः माननीय मंत्री हमें बतायें कि इस २० करोड़ की राशि में से कितनी राशि भविष्य निधि में जायेगी, कितनी राशि जुलाई १९५९ से अब तक का बकाया दिया जायेगा। कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं उनकी अनेक सुविधायें कम की जा रही हैं, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अतः अच्छा होगा यदि माननीय मंत्री बतायें कि कर्मचारियों को वास्तव में क्या दिया जा रहा है।

रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारियों की मांग के संबंध में श्री त० ब० विट्ठल राव पहले ही कह चुके हैं। उनकी मांगें पूरी की जानी चाहियें। टी० टी० लोगों की भी मांग यह है कि उन्हें भी वे सब सुविधायें व भत्ते दिये जाने चाहियें जो अन्य रनिंग स्टाफ को दी जाती हैं। आकस्मिक मजदूरों की समस्या भी ध्यान देने लायक है। इनको अधिकतर स्थायी किया जाये और आकस्मिक मजदूरों की संख्या कम कर दी जाये।

माननीय मंत्री ने अवकाश गृह आदि की बात कही। मैं पूछती हूं कि उनका कितना अपेक्षित लाभ रहा है।

आवास व्यवस्था के संबंध में माननीय मंत्री ने सिर्फ यही बताया है कि इतने मकान बनाये जा चुके हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने कर्मचारियों को अभी मकान नहीं दिये गये हैं और उनको रेलवे कितना मकान-किराया देती है।

तीसरी योजना के दौरान हमें कर्मचारियों को अधिकाधिक सुविधायें देनी होंगी। प्रबन्ध तथा कर्मचारियों का अधिकाधिक सहयोग होने से चोरी, बरबादी, भ्रष्टाचार आदि रुकेंगे और दुर्घटनायें कम होंगी व परिचालन संबंधी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। माननीय मंत्री ने कहा कि दोनों (प्रबन्ध व कर्मचारियों) की कुछ समितियां बना दी गई हैं। हम जानना चाहते हैं कि किन स्तरों पर ये समितियां बनाई गई हैं और उनके सदस्यों को चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। यदि चुनाव द्वारा ये समितियां सभी स्तरों पर बनाई जायें, तो कार्य अधिक अच्छी तरह होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे प्रगति भी अच्छी होगी।

प्रसन्नता की बात है कि कर्मचारियों के दोनों संघों को मान्यता दे दी गई है। पर कुछ और भी छोटे-छोटे संघ हैं। यदि उनको भी मान्यता दे दी जाये, तो काम अधिक अच्छा हो। आशा है माननीय मंत्री इस बात पर भी विचार करेंगे।

अन्त में, मेरा निवेदन है कि भाड़े की दर बढ़ाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। इससे कुछ आवश्यक वस्तुओं के दाम और भी बढ़ जायेंगे और जनता को कष्ट होगा। इससे रेलवे को भी कुछ बहुत अधिक आय नहीं होगी। अतः माननीय मंत्री इस बात पर विचार करके इस भाड़ा वृद्धि को वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, महिला के बाद महिला को ही मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, आप ही बोल लीजिये ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : हमारे माननीय रेलवे मंत्री महोदय ने जो रेलवे बजट पेश किया है, यह बड़े ही सुन्दर ढंग का है और इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं ।

पिछले दस सालों में रेलों ने जो तरक्की की है उस पर हम गर्व कर सकते हैं । जैसा मेरी बहन ने कहा है रेलों का जो नक्शा है, वह बहुत सुन्दर है, बड़े अच्छे ढंग का बना है, और मैं उनसे इस बात में सहमत हूं । हमारा देश अभी बालक है और इसको सम्भलने में जरा कुछ दिन लगेंगे । इन हालात में हमारी रेलों ने जो तरक्की की है, जिन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा है और जिस तरह से उनको हल किया गया है, उन सब के लिये हम माननीय मंत्री जी की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते हैं । और बड़ी लाभदायक है । जनता में असन्तोष जरूर है लेकिन तरक्की काफी हुई है । असन्तोष इस लिये है कि हमारे यहां की जनता बहुत पढ़ी लिखी नहीं है और अच्छे ढंग से रेल का इस्तेमाल नहीं कर सकती । हमारी गाड़ियों के अन्दर जब जनता चलती है और रेलवे का कोई अफसर, कंडक्टर, वगैरह उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो भी वह मानती नहीं है । अन्धाधुन्ध डब्बे में बैठती है, उनको खराब करती है और रेलवे वालों को गालियां देती है । हमारे यहां इतने तो रेलवे सर्वेंट्स हैं नहीं कि एक एक डब्बे में १०, १० चढ़ें और जनता को सुधार सकें । मैं जानती हूं कि उसका सुधारना बड़ा कठिन है ।

माननीय मंत्री जी से मुझे एक प्रार्थना जरूर करनी है कि हमारे रेलवे विभाग में जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये । भ्रष्टाचार कैसे है कि हमारे जो रेलवे सर्वेंट्स हैं उनमें बहुत कमजोरियां हैं । किसी भी जगह चले जाइये, उनमें भ्रष्टाचार और लेन देन चलता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है । आप को इस ओर बहुत ध्यान देना है । मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहती, न कोई मिसाल रखना चाहती हूं हालांकि मेरे पास कई मिसालें हैं जो रखने लायक हैं, लेकिन उनको मैं रखना नहीं चाहती क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं जो कि गल्तियां करते हैं, उनका सुधार करना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : मिसाल दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : उनको कैसे पकड़ा जा सकता है अगर आप खबर नहीं देंगी ?

श्रीमती सहोदरा बाई राय : मिसाल बतलाऊं? आपको नहीं मालूम? अगर कोई नौकरी के लिये जाता है तो जब वह डिपार्टमेंट के आदमी को १०० रु० दे तो उसे भरती किया जायेगा । मैं मिसालें इसलिये नहीं रखना चाहती कि किसी के ऊपर ऐसा असर न पड़े कि वह नौकरी से चला जाय, लेकिन भविष्य के लिये उनको ठीक करने के लिये इस पर ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

अब मैं रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में कहना चाहती हूं । जहां पर आज पहले से रेलवे लाइनें अच्छी तरह से पड़ी हुई हैं, गाड़ियां चलती हैं वहां अब ज्यादा लाइनें बनाने और रेलें चलाने की जरूरत नहीं है । उन जगहों पर उनको बनाने की जरूरत है जहां पर वह पहले से नहीं बनी हुई हैं । हमारे लोग बार-बार मांग करते हैं कि दिल्ली को अच्छा बनाओ, सागर को अच्छा बनाओ, लेकिन देहात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिलाता है जहां पर कि पहले से रेलें नहीं हैं और जहां की जनता को तकलीफ है । उन लोगों की बात सोचने की हमें जरूरत है । अब हमारा पैसा उस तरफ नहीं जाना चाहिये जहां अच्छी चीजें हैं । अच्छी रेलगाड़ियां हैं, अच्छे स्टेशन हैं, अच्छे प्लेटफार्म हैं, अच्छे शेड्स हैं । वहां पर और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, देहातों में बनाने की जरूरत है जहां पर कि खेती करने वाले किसान रहते हैं । उन लोगों की तरफ आप का ध्यान नहीं है । जहां पर स्कूटर

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

हैं, रिक्शा हैं, तांगे हैं, मोटर हैं, और और चीजें हैं, वहां की जनता को हर एक सहूलियत है। देहात के लोगों को ज्यादा तकलीफ है, आपको उधर देखना चाहिये।

आपको रेलवे सर्वेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिये जिनके पास रहने के लिये क्वार्टर्स नहीं हैं, लिखाई पढ़ाई जिन में बहुत कम है, स्वास्थ्य जिनके पास नहीं है, और कई चीजों की कमी है, उनकी हालत को ठीक करना गवर्नमेंट का काम है और रेलवे को उसमें अपनी पूंजी को लगाना चाहिये। उनकी हालत को ठीक करने के लिये कदम उठाने चाहियें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है अगर आप बड़ी-बड़ी लाइनें बनावेंगे तो हमारे देश की उपज कम हो जायेगी, बेचारे किसान क्या करेंगे? जब रेल निकलती है तो उसका फैलाव कम से कम एक एकड़ का होता है। रेल की लाइन बनाने से हजारों एकड़ जमीन खत्म हो जाती है। इसलिये उतनी ही रेल लाइनें बनाई जायें जितनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी रेलों में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र सभी नौकर हैं। कहीं-कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि अब भी छुआ छूत की भावना चल रही है और छोटे लोगों को काफी दिक्कत पैदा होती है। उनकी हालत को सुधारने की जरूरत है। कहीं-कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि दस-दस साल तक कर्मचारी नहीं गये हैं, लेकिन उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस तरह से काम उन लोगों को करना पड़ता है। इसको भी देखने की जरूरत है। जनता बार-बार यह शिकायत करती है कि वह लोग लापरवाही से काम करते हैं और नाजायज काम करते हैं। ऐसे आदमियों को जो गल्तियां करते हैं उनको अलग कर देना चाहिये।

हमारे ड्राइवर्स लोग जो एंजिन चलाते हैं, अंग्रेजी शराब पी कर गाड़ी को चलाते हैं इसलिये कभी-कभी ऐक्सिडेंट हो जाते हैं। इसको भी आपको देखना चाहिये। यह बड़ी अजीब बात है जिसका हमको ख्याल रखना चाहिये। वे लोग बड़ी लापरवाही से गाड़ी को चलाते हैं, इससे ऐक्सिडेंट्स होते हैं, चोरियां होती हैं, गाड़ियों से माल उतर जाता है, इसमें रेलवे सर्वेंट्स का बहुत हाथ होता है। उन लोगों को इस तरह से चोरी करने वाले लोग मिला लेते हैं और माल उतार ले जाते हैं। इस तरह का जो भ्रष्टाचार होता है उसको हमारे मंत्री महोदय को बन्द करना चाहिये।

अब मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि बहुत से बोलने वाले लोग हैं और मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। मैं तो केवल अपनी बात बतला सकती हूं। और वह भी थोड़े शब्दों में बतलाऊंगी, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। जो सरकार को करना है वह तो वह करेगी ही, चाहे आप बोलें या मैं बोलूं। जो वे चाहेंगे वह होगा, इसमें ज्यादा बोलने की बात भी नहीं है। बजट में यह चीजें दी भी हुई हैं। लेकिन वह तो केवल बड़ी-बड़ी जगहों के लिये ही सब कुछ करना चाहते हैं, इसमें उनको देखना चाहिये कि जो लोग जमीन पर काम करते हैं आज उनको किस चीज की जरूरत है। मैं कहना चाहती हूं कि मैं बी० ए० या एम० ए० पास नहीं हूं, हिन्दी बोलती हूं, लेकिन हिन्दी की यहां कोई बात नहीं पूछता है। मैं कहना चाहती हूं कि मिनिस्टर को हिन्दी स्पीचों का जवाब हिन्दी में देना चाहिये लेकिन वह इंग्लिश में देते हैं। इसलिये मैं उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो हिन्दी जानने वाले मिनिस्टर हैं वे कभी-कभी तो हिन्दी में जवाब दिया करें।

मैं कहना चाहती हूं कि जो बजट तैयार किया गया है वह अति सुन्दर है, जब से हमारे दूसरे माननीय मंत्री जी आ गये हैं तब से बहुत प्रगति हुई है। वे सबको एक भाव से देखते हैं। उनके सामने

न तो बड़े का सवाल है न छोटे का । जब भी कोई फैसला होता है तो इन्साफ से होता है । भले ही कोई कहे कि इन्साफ नहीं हुआ, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जो भी फैसले हुये हैं वह बहुत अच्छे हुये हैं । मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कह रही हूं, मैं अपने अनुभव से कह रही हूं । रेलवे का जो बजट है वह बड़ा सुन्दर है । गल्तियां सब लोग करते हैं हम भी करते हैं । माननीय मंत्री जी तो कोई भ्रष्टाचार करने जाते नहीं हैं । इसलिये भी मैं कहना चाहती हूं कि वे ऐसे कदम उठायें जिसमें भ्रष्टाचार न बढ़े और काम सही तरीके से चले । जनता में सन्तोष हो और हम लोगों को अपने क्षेत्रों में गालियां न मिलें । हम लोगों को अपने क्षेत्रों में गालियां मिलती हैं कि अरे बाई, तुम को हमने पार्लियामेंट के लिये मेम्बर चुना और तुम हमारे लिये एक शेड भी नहीं बनवा सकीं, एक प्लेटफार्म भी नहीं बनवा सकीं, तुम को वहां भेजने से क्या फायदा है ? मेरी प्रार्थना है कि हर एक मेम्बर की कांस्टिटूएंसी के लिये जो कि पार्लियामेंट में आता है, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम रुपये में चार आना तो काम होना चाहिये जिसमें लोग कह सकें कि फलाने को चुना तो कुछ तो हुआ । जब हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो हमको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । वह बार बार कहते हैं कि तुम को चुना था पर हुआ कुछ नहीं हमारे लिये । वहां हमको जवाब देना पड़ता है । हम जानते हैं कि बजट में पैसा ज्यादा नहीं है, देश हमारा गरीब है, तरह तरह से हम पैसा लाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को जवाब देना बड़ा कठिन है । यहां पर अपनी बात सुनाना हमारा काम है, उसको सुनाते सुनाते समय निकल जाता है, हम अपने सुझाव रक्खेंगे, आप करें य न करें । मैं तो सीधी सादी भाषा में बात करती हूं ।

मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बार बार हमको मौका देते हैं क्योंकि महिलाओं पर आप की बड़ी कृपा है । आपने महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया है, बल्कि ज्यादा वक्त देते हैं । अगर मुझ से बोलने में कहीं भूल हो गई हो तो क्षमा कीजियेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा न कहिये, नहीं तो हमारे भाई कहेंगे कि मैं ज्यादा हक में हूं महिलाओं के और उनको ज्यादा वक्त देता हूं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं रेलवे मंत्री को उनके प्रेरक भाषण के लिये धन्यवाद देता हूं । इसमें सन्देह नहीं कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये काफी सुविधायें दी जा रही हैं तथापि अब भी तीसरे दर्जे में बड़ी भीड़-भाड़ रहती है ।

हम रेलवे मंत्री को कई बार यह लिख चुके हैं कि जम्मू और काश्मीर राज्य में अभी तक रेलवे लाइन नहीं है । वहां भी तत्काल रेलवे लाइन बननी चाहिये । मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे हमें बतायें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे राज्य में कहां और कितनी दूरी तक रेलवे लाइन बिछाई जायेगी । कहां तक रेलवे लाइन बिछाने का निश्चय पिछले वर्ष हो चुका था अतः मैं जानना चाहता हूं कि कार्य कब प्रारम्भ होगा ।

पठानकोट स्टेशन में, जो कि काश्मीर जाने के लिये अन्तिम रेलवे स्टेशन है यात्रियों के लिये विश्रामगृहों, मुसाफिरखानों इत्यादि की काफी व्यवस्था नहीं है अतः वहां अधिक विश्रामगृहों का निर्माण किया जाय । दिल्ली से काश्मीर के लिये पूरे वर्ष यात्रियों की काफी संख्या जाती आती रहती है, लेकिन दिल्ली से पठानकोट जाने वाली दूसरी गाड़ी (डुप्लिकेट काश्मीर मेल) जाड़ों में बन्द हो जाती है । मेरा निवेदन है कि इसे बन्द न किया जाय और यदि इस गाड़ी को चलाना संभव

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

न हो तो पठानकोट से दिल्ली आने वाली काश्मीर मेल का समय ५.५० बजे शाम से बदल कर ६.३० कर दिया जाय ।

काश्मीर से प्रतिवर्ष हजारों यात्री हज जाते हैं। सरकार को चाहिये कि उनके लिये विशेष गाड़ियों या डिब्बों की व्यवस्था की जाय ।

कुछ समय पूर्व रेलवे बोर्ड ने यह कार्यक्रम घोषित किया था कि समस्त काश्मीर राज्य में आउट एजेंसियां खोली जायेंगी । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि पहिले आवश्यक आंकड़े तैयार कर लिये जायें और एक कच्चा कार्यक्रम तैयार कर लिया जाय । तत्पश्चात् उसके अनुरूप कार्य किया जाय ।

गाड़ियों में खाने की व्यवस्था इतनी बुरी है कि मुसाफिर लोग बिना खाये पिये यात्रा करना अधिक अच्छा समझते हैं। सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : निसन्देह रेलवे में बहुमुखी प्रगति हुई है तथापि इस प्रगति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह ठोस वाणिज्यक सिद्धांतों पर आधारित है।

रेलवे के कार्य में बड़ी तेजी से प्रगति हुई है तथापि ऋणों को चुकाने और पुराने इंजिन डिब्बों को बदलने के लिये कोई राशि निश्चित नहीं की गई है। रेलवे की प्रभारित पूंजी में ३५० करोड़ की वृद्धि हुई है तथापि अवक्षयण राशि में उस अनुपात में बृद्धि नहीं हुई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रखें। अब हम अगला कार्य लेंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन से, जो २४ फरवरी, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन से, जो २४ फरवरी, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के राष्ट्रमण्डल से अलग होने के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री ब्रजराज सिंह द्वारा १२ फरवरी, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"इस सभा की यह राय है कि भारत को राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिये।"

श्री ब्रजराज सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय। उस दिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि कामन वैल्थ (राष्ट्रमंडल) में रहने के कारण हमारे जो ऐतिहासिक कर्तव्य थे उन्हें निभाने में हम असफल रहे हैं। हमारी यह परम्परा थी कि जो भी गुलाम राष्ट्र दुनिया में हैं उनको गुलामी से छुटकारा दिलाने में हम उनकी सहायता करें, जिस प्रकार भी हो सके उस प्रकार। लेकिन उस सम्बन्ध में हम ने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं ने अफ्रीका का जिक्र किया था। अफ्रीका के अनेक देश आज भी गुलाम हैं। अभी अभी ट्यूनिस में अखिल अफ्रीकी जन कांग्रेस की कान्फरेंस हुई है और उसने निश्चय किया है कि सन् १९६३ तक की एक टारजेट डेट (निश्चित तिथि) मुकर्रर की जानी चाहिए जिस डेट तक कि अफ्रीका के सभी देश आजाद हो जायेंगे। इससे पहले भी पिछले साल अकरा में एक इसी तरह की कान्फरेंस हुई थी और उसमें भी हमें वहां जो आजादी की लहर दौड़ रही है उसका आभास मिला था। यह एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि जिसमें हिन्दुस्तान का भी हिस्सा होना चाहिए था। जो राष्ट्र आज गुलाम हैं हिन्दुस्तान को उनकी गुलामी हटाने के लिए कुछ करना चाहिए था। हम उन राष्ट्रों को चाहे छोड़ दें जहां स्पेन का या फ्रांस का साम्राज्य है, लेकिन हम उन राष्ट्रों की गुलामी दूर कराने में भी सफल नहीं हुए जिन पर कि ब्रिटेन का साम्राज्य है, जैसे कि अफ्रीका के कई देश हैं। हम ऐसा कोई काम करने में सफल नहीं हुए जिससे हम ब्रिटेन द्वारा उन राष्ट्रों के नागरिकों को उनके अधिकार दिला सकें। अफ्रीका के देशों के अलावा हमारे सामने साइप्रस का प्रश्न है। साइप्रस के बारे में कई बार यह घोषणा की गयी कि फलां तारीख तक साइप्रस को आजादी दे दी जायेगी। लेकिन उसे बार बार टाला जा रहा है। इसका कारण यह है कि वहां ब्रिटेन अपने फौजी अड्डे कायम रखना चाहता है, और वह भी छोटे मोटे नहीं, उनके लिए वह सैकड़ों वर्ग मील का क्षेत्र चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्री से जो कि विदेश मंत्री भी हैं कि राष्ट्रमंडल में शामिल रह कर उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में क्या बात की है।

हमें बताया जाता है कि हमारे कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सिद्धान्त हैं, कुछ उद्देश्य हैं। क्योंकि कामनवैल्थ में रहने से उन लक्ष्यों, उन सिद्धान्तों को पूरा करने में सहायता मिलती है इसलिए हम कामन वैल्थ में हैं। क्या हिन्दुस्तान के लक्ष्य हैं? हिन्दुस्तान का लक्ष्य है कि दुनिया में शान्ति हो, हिन्दुस्तान का लक्ष्य है कि दुनिया से गुलामी दूर हो, हिन्दुस्तान का यह लक्ष्य है कि दुनिया के जो अविकसित या अर्ध-विकसित देश हैं उनका विकास अच्छी तरह से हो। लेकिन इस गुलामी को दूर करने के लक्ष्य में हमको कौनसी सफलता प्राप्त हुई है या दुनिया में जहां तक शान्ति कायम करने के लक्ष्य का सवाल है उस लक्ष्य को पूरा करने में हम राष्ट्रमंडल में रहने के कारण कहां तक सफल हुए हैं। हम ब्रिटेन को मजबूर नहीं कर सकते कि जिन राष्ट्रों पर उसने अपना साम्राज्य कायम कर रखा है उसको खत्म कर दे। वह हमारी यह बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

दूसरी बात यह कही जाती है कि चूंकि ब्रिटेन के साथ हमारा सम्बन्ध है इसलिए हमें कुछ आर्थिक लाभ भी है । कहा जाता है कि हिन्दुस्तान अर्ध-विकसित देश है, बल्कि एक मानी में अविकसित देश है और इसलिए जो सम्पन्न देश हैं उनसे हम आर्थिक सहायता चाहते हैं, और कामन वैल्थ में रहने से हमें यह सहायता बहुत बड़ी मात्रा में मिल सकती है । उनकी यह दलील है कि कामन वैल्थ के देशों जैसे ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से हम को आर्थिक सहायता मिलती है । लेकिन जो अब तक हिन्दुस्तान को दूसरे देशों से आर्थिक सहायता मिली है उसके आंकड़ों को देखा जाये तो हम को पता चलेगा कि राष्ट्रमण्डल के देशों के मुकाबले हमको अन्य देशों से अधिक आर्थिक सहायता मिली है । यूनाइटेड किंगडम से हमें कर्ज और ग्रांट की शक्ल में १०३ करोड़ १३ लाख रुपया मिला । यह मैं गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित आंकड़े दे रहा हूं । इसी तरह से कनाडा की तरफ से जो कुल रुपया हमको मिला वह ८७ करोड़ १० लाख है, आस्ट्रेलिया से हम को कुल रुपया जो मिला वह ११ करोड़ ४२ लाख है और न्यूजीलैंड से हम को अब तक कुल ३ करोड़ और २३ लाख रुपया मिला, जिस में कर्ज और अनुदान दोनों शामिल हैं । इस प्रकार राष्ट्रमण्डल के देशों से हम को कुल २०४ करोड़ ८८ लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली । यदि हम राष्ट्र-मण्डल में रहने का आधार आर्थिक सहायता को ही मान लें, तो भी हम देखेंगे कि हमें दूसरे देशों से कहीं ज्यादा आर्थिक सहायता मिली है । संयुक्त राज्य अमरीका ने जब से हमको सहायता देना शुरू किया है तब से लेकर अब तक उसने हम को ५६५ करोड़ ७५ लाख कर्ज की शक्ल में और २१० करोड़ १९ लाख अनुदान की शक्ल में दिया है । रूस ने भी जब से सहायता देना शुरू किया है तब से अब तक हम को ३२२ करोड़ ५४ लाख रुपये की रकम कर्ज के रूप में और ७६ लाख रुपया अनुदान की शक्ल में दिया है । जितना रुपया हम को राष्ट्रमण्डलीय देशों से मिला है उतना तो हम को अकेले वैस्ट जर्मनी से ही मिल गया है ।

इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है । जहां तक कर्ज का सवाल है राष्ट्रमण्डल के देशों की शर्तों में और उन देशों की शर्तों में जिनका कि राष्ट्रमण्डल से कोई सम्बन्ध नहीं है बड़ा फर्क है । हम को जो सोवियत यूनियन से कर्ज मिला है या जो कर्ज हमको पूर्वी योरोप के देशों से मिला है उस की ब्याज की दर ढाई पर सेंट है जब कि यूनाइटेड किंगडम से और राष्ट्र मण्डल के दूसरे देशों से जो कर्ज हम को प्राप्त हुआ है उसकी ब्याज की दर ५ पर सेंट, ६ पर सेंट और साढ़े ६ पर सेंट है । तो मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रमण्डल में रहने के कारण हम को उतना आर्थिक लाभ नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था और जो कुछ भी मिला उसकी शर्तें उन देशों की शर्तों से कठिन हैं जिनका सम्बन्ध राष्ट्रमण्डल से नहीं है । तो फिर यह दलील भी कोई मजबूत दलील नहीं है कि हम को राष्ट्रमण्डल में रहने से आर्थिक लाभ होता है । मैं यह दलील मानने को तैयार नहीं हूं कि चूंकि हमारा देश अविकसित या अर्ध-विकसित है इसलिए हमें राष्ट्रमण्डल में रहना चाहिए क्योंकि हमें उससे आर्थिक सहायता मिलेगी । असल में आज की दुनिया में बदली हुई परिस्थितियों में जो साधन सम्पन्न देश हैं जिन के यहां मशीनें आदि बनी हुई चीजों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उन को बाजार चाहिए । वह बाजार कहां मिल सकता है । उनको बाजार ढूंढना पड़ता है । राष्ट्रमण्डल के कुछ देश साधन सम्पन्न हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम है, आस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस भी सम्पन्न देश हैं । ये देश अपने माल के लिए बाजार चाहते हैं । इसलिए उनके लिए ऐसे देशों को जो कि अर्ध-विकसित या अविकसित हैं जैसे हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा या अफ्रीका के देश, सभी को सहायता देना आवश्यक हो गया । अच्छा होता कि हिन्दुस्तान एक दूसरे सिद्धान्त का प्रतिपादन

करता । हिन्दुस्तान कहता कि हम यह चाहते हैं कि दुनिया के सब देश--चाहे वे साधन-सम्पन्न हों और चाहे पिछड़े हुए--एक संगठन कायम करें और उस के अधीन अपनी अपनी आमदनी के मुताबिक हिस्सा दे कर एक फंड कायम करें और उस फंड में से जिस मुल्क को जितनी जरूरत हो, उस को उतनी सहायता दी जाये । लेकिन हिन्दुस्तान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोशिश इसलिए नहीं होती है कि हम बंधे हुए हैं राष्ट्र-मण्डल से । बार बार यह कहा जाता है कि राष्ट्रमण्डल का कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है और उस का कोई बन्धन नहीं है, हम जब चाहे उस को छोड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और अन्य देशों के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं । लेकिन स्थिति यह है कि हमारी परम्परा और हमारा लक्ष्य तो यह है कि हम दुनिया में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं और राष्ट्रमण्डल के कई दूसरे देश **नैटो** और **सीएटो** की मदद करते हैं और **सैन्टो** में शामिल होते हैं और इस तरह के फौजी संगठन कायम करते हैं, जिन के कारण दुनिया में लड़ाई होने का और शांति-भंग होने का खतरा बढ़ता है । हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक, भावनात्मक या ऐतिहासिक परम्पराओं के दृष्टिकोण से देखें, दुनिया में शान्ति स्थापित करने के दृष्टिकोण से देखें या दुनिया के पिछड़े हुए देशों के विकास के दृष्टिकोण से देखें, राष्ट्रमण्डल की सदस्यता किसी भी तरह हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, किसी तरह भी हम को सहायता नहीं मिलती है । बल्कि इसके विपरीत हमारे रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं ।

यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रमण्डल के देशों में, पहले जो इम्पीरियलिस्ट प्रेफ़रेंस (साम्राज्यी वरीयता) कही जाती थी, उस के बाद अब कनज्यूमर्ज़ प्रेफ़रेंस (उपभोक्ता वरीयता) नाम की चीज़ है, जिस के मुताबिक इन राष्ट्रों में जो माल आये या जाये, उस की ड्यूटी में--प्रतिकर में कमी की जा सकती है । लेकिन इस का प्रभाव आज के हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था पर क्या पड़ रहा है ? पिछले ज़माने में भले ही हिन्दुस्तान ने इम्पोर्ट--आयात--न किया हो, कम किया हो, जिस से इंग्लैंड में करोड़ों की तादाद में हमारे स्टर्लिंग बैलेंसिज़ (पौण्ड पावना) जमा रहे । लेकिन आज हिन्दुस्तान एक्सपोर्ट के बजाये एम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है । निर्यात की निस्बत आयात ज्यादा होता है । जब आयात ज्यादा होता है, तो राष्ट्रमण्डल में रहने से हिन्दुस्तान को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता, जितना कि नुक्सान होता है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े, जो कि सरकार की तरफ से प्रकाशित किये गये हैं, आप के सामने रखना चाहता हूं । श्री कृष्णमाचारी ने, जब कि वह कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे, १९५३ में कहा था कि भारत का व्यापार-संतुलन लगभग सम है । यह उन्होंने १९५३ में व्यापार के सम्बन्ध में कहा था । उस के बाद जो स्थिति हुई है, उस का भी हम अध्ययन करें । १९५३ में उन्होंने कहा कि आयात और निर्यात में बराबरी का मामला है और हमें कोई फायदा या नुक्सान नहीं होता है । लेकिन इस के बाद हिन्दुस्तान से युनाइटिड किंगडम को जो एक्सपोर्ट हुआ, वह १९५४-५५ में १८८१ मिलियन रुपये का था । १९५५-५६ में वह १६४४ रुपयों का हो गया, अर्थात् घट गया । यह एक्सपोर्ट की स्थिति है और इम्पोर्ट १९५४-५५ में १५५३ मिलियन रुपये, १९५५-५६ में १७२७ मिलियन रुपये और १९५६-५७ में २१२९ मिलियन रुपये का हुआ । इस से साफ़ ज़ाहिर होता है कि हमारा आयात बढ़ रहा है और हमारा जो निर्यात युनाइटिड किंगडम को होता है, वह घट रहा है । उस का नतीजा यह है कि हालांकि कनज्यूमर्ज़ प्रेफ़रेंस की बात कही जाती है, लेकिन उस से फ़ायदा हम को न हो कर युनाइटिड किंगडम को हो रहा है । अगर हम राष्ट्रमण्डल में न हों, तो हम किसी भी देश को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं । युनाइटिड किंगडम के जो गुड्ज़ हमारे यहां आते हैं, दूसरे देशों के मुकाबले में हम उन की ड्यूटी माफ कर देते हैं । राष्ट्रमण्डल में न होने से हमारे लिए

[श्री ब्रजराज सिंह]

दूसरे देशों से माल लेना कुछ सस्ता पड़ जायगा, लेकिन वह हम नहीं कर रहे हैं । हम कहते हैं कि हम को आर्थिक लाभ होता है । जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया है, हम को उन देशों से भी सहायता मिली है, जो कि राष्ट्रमण्डल से बाहर हैं और आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रमण्डल में रहने या न रहने का सवाल नहीं है । दुनिया के साधन-सम्पन्न देशों के पास इतना धन है कि चाहे वे इस को एटामिक बम बना कर नष्ट कर दें या दुनिया के पिछड़े हुए देशों के विकास में लगा दें । उन्हें वह धन कहीं न कहीं देना ही है । यह दूसरी बात है कि वह धन हम किस तरह लेते हैं--हम राष्ट्रमण्डल का बहाना बना कर सहायता प्राप्त करते हैं या दुनिया में एक विश्व-सरकार बनाने के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर के सहायता लेते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी परम्पराओं और इतिहास की पृष्ठ-भूमि के विरुद्ध हम इस तरह के काम करते जा रहे हैं कि जिस से न सिर्फ हमारा आर्थिक नुक्सान हो रहा है, बल्कि भावनात्मक नुक्सान भी हो रहा है और साथ ही हम अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक भावनात्मक बात का उल्लेख करना चाहता हूं । आज दुनिया में केवल अंग्रेज़ी भाषा ही नहीं है, जिस का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो । चीनी, रूसी और दूसरी कई भाषायें भी हैं, जिन का बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है । लेकिन चूंकि हम राष्ट्रमण्डल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी सरकार की तरफ से यह नीति घोषित की जाती है कि इस देश में हिन्दी के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा न सिर्फ़ १९६५ तक रहेगी, बल्कि उस के बाद भी रहेगी । राष्ट्रमण्डल से हमारा सम्बन्ध होने के कारण हम को यह बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।

एक और छोटी सी बात है, जिसका अपने में कोई विशेष महत्व भले ही न हो । आज हम देखते हैं कि संसद् भवन के आस-पास उन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जो कि कल तक हम पर राज्य करते थे । मैं किसी के प्रति निरादर के भाव नहीं प्रकट करना चाहता हूं । मैं यह नहीं चाहता हूं कि उन मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए, लेकिन यह बात हमारे राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ़ है कि देश के आज़ाद होने के दस बारह सालों के बाद भी उन लोगों की मूर्तियां संसद् भवन के आस-पास और नई दिल्ली में चारों तरफ़ लगी रहें । अगर हम राष्ट्रमण्डल में न रहे होते, तो इन मूर्तियों को उठा कर कभी का अजायबघर में रख दिय गया होता । अजायबघर में, उन का महत्व हो सकता है । उन का ऐतिहासिक महत्व हो सकता है, लेकिन देश में स्थान स्थान पर लगी हुई इन मूर्तियों को देख कर हमारे छोटे छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? इन के स्थान पर अगर लाला लाजपत राय और दूसरे फ्रीडम फ़ाइटर्ज़ की--आज़ादी की लड़ाई के अन्य वीर योद्धाओं की मूर्तियां होतीं, तो आज के बच्चे गौरव प्राप्त करते, लेकिन वह नहीं किया गया है । और हम देखते हैं कि न सिर्फ दिल्ली में संसद् भवन के आस-पास, बल्कि देश के और भागों में भी अभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की मूर्तियां लगी हुई हैं । उन को हम हटा नहीं पाये हैं । जब भी इस सम्बन्ध में कोई बात कही जाती है, तो कहा जाता है कि हम राष्ट्रमण्डल में हैं, इस से उन को बुरा लग सकता है । अगर बुरा लग सकता है, तो लगे, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ़ कोई बात न करें । कहने के लिए यह बात छोटी सी है कि किस की मूर्तियां लगी हुई हैं ।

अंग्रेज़ी में कहावत है कि जो मर जाये, उस के लिए बुरी बात नहीं कही जानी चाहिए । मैं कोई बुरी बात कहता भी नहीं, लेकिन उस दिन यहां पर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट की एक परम्परा को तोड़ एक रेफ़रेंस हुआ । ऐसा क्यों होता है ? वह इसलिए होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्रमण्डल में रहने के नाते हमारे सम्बन्ध ब्रिटेन के अधिक नज़दीक हैं और दूसरे देशों के नहीं,

जिस के परिणामस्वरूप हम को ब्रिटेन के निहित स्वार्थों--वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स--के अनुकूल जाना पड़ता है । वे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स क्या हैं ? यहां पर बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रमण्डल में रहने के कारण कुछ अन्य देश भी राष्ट्रमण्डल में हैं और उस से हिन्दुस्तान का महत्व बढ़ रहा है, जैसे सीलोन, मलाया, घाना और सिंगापुर आदि । जो देश आज़ादी प्राप्त करते जा रहे हैं, उन को राष्ट्रमण्डल में इस लिए जाना पड़ता है कि वे देखते हैं कि हिन्दुस्तान जैसा शान्तिप्रिय देश, जो किसी पर हमला नहीं करना चाहता है और किसी की ज़मीन को हड़पने या किसी का शोषण करने की जिसकी आकांक्षा नहीं है, जब राष्ट्रमण्डल में है, तो हमको भी उसमें जाना चाहिए । इसी लिए राष्ट्रमण्डल का ट्रांसफार्मेशन (रूप परिवर्तन) हो रहा है, उस की शक्ल बदल रही है । यह ठीक है कि वह किसी का शोषण नहीं करना चाहता और यह भी ठीक है कि उस के नाम से "एम्पायर" शब्द हट गया और उस के बाद "ब्रिटिश" शब्द भी हट गया और अब वह सिर्फ कामनवैल्थ रह गया है, लेकिन अगर नाम के हटने के साथ साथ आत्मा भी नहीं हटती है, तो काम नहीं बनेगा । नाम हटा है, लेकिन आत्मा नहीं हटी है । अगर वह हटी होती, तो जिस तरह हिन्दुस्तान कहता है, उसी तरह ब्रिटेन को भी कहना चाहिए था कि जहां जहां हमारा राज्य है, हम उस को खत्म करते हैं हम उन को आज़ादी देते हैं । यह दलील दी गई कि ये पिछड़े हुए मुल्क हैं, खुद राज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन को गुलाम बनाये रखते हैं, अपनी सरकार यहां कायम रखते हैं । हम जानते हैं कि अफ्रीका में जो गोरों का राज्य है, चाहे वे स्पेनिश हों, फ्रेंच हों, ब्रिटिश हों, वे वहां के लोगों का बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं और आज भी यह शोषण जारी है । वे समझते हैं कि वहां की जनता को गुलाम बना रहना चाहिए, उनको आज़ादी नहीं दी जा सकती है, वे इस क़ाबिल ही नहीं हैं कि आज़ादी का उपभोग कर सकें । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही दलीलें हैं, जो अंग्रेज़ जब यहां थे, तो हमारे लिए दिया करते थे कि हम इस क़ाबिल नहीं हैं कि राज कर सकें । जब इस तरह की दलीलें अफ्रीकावासियों के लिए अंग्रेज़ों द्वारा या दूसरों द्वारा दी जाती हैं तो हिन्दुस्तान की सरकार उस में कोई भी बात नहीं कर पाती है, किसी भी तरह का इनिशियेटिव नहीं ले पाती है, एक नया उदाहरण पेश नहीं कर पाती है जिससे ये मुल्क आज़ाद हो सकें, या जो इन की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मददगार साबित हो सके ।

दूसरी ओर से कहा जायगा दलील के तौर पर कि हमारा यह काम नहीं है कि दूसरों के मामलों में दखल दें । लेकिन याद रहे कि जब प्रेज़ीडेंट नासिर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया था तो हम ने सुझाव दिया था जिसका अभी तक कोई भी कंट्रेडिकशन सरकार की तरफ से नहीं हुआ है । हमने प्रेज़ीडेंट टीटो को चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि यह हमारा तरीका नहीं हम इस तरह से नैशनलाइज़ेशन नहीं करना चाहते हैं । आपका यह तरीका हो या न हो लेकिन अगर प्रेज़ीडेंट नासिर इस तरीके पर चलना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान की जनता को उन्हें बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने साम्राज्यवादी चीज़ को खत्म किया है । लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने वह नहीं किया । जब समझौते का प्रश्न आया तो वह तैयार हो गई और कहने लगी कि नैशनलाइजेशन तो रहे लेकिन जो विदेशी जहाज़ चलते थे, वे वैसे ही चलते रहने चाहियें ।

हम कहते हैं कि एटम टैस्ट जो हो रहे हैं, वे खत्म होने चाहियें, न्यूकलियर टैस्ट खत्म होने चाहियें लेकिन हमारी इस भावना और इस मांग के बावजूद, हमारे इस लक्ष्य और मांग के बावजूद यू० के० (इंगलैंड) यह सब करता रहा है, हम उसे रोक नहीं पाये हैं । प्रश्न यह है कि जब हमें कोई फायदा नहीं है, जब हम कोई आर्थिक अथवा दूसरा फायदा नहीं उठा पाते हैं बल्कि भावनात्मक हमें नुक्सान होता है, हमारी परम्परा के खिलाफ वह चीज़ जाती है तब फिर हम कामनवैल्थ आफ नेशंस में क्यों हैं ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असल में इसके पीछे जो भावना है वह पुरानी कुछ चीजों से चिपकी रहने की है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ब्रिटेन में, जिन्होंने इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पाई है और उनको वहां का तरीका बहुत पसन्द है, वे उन तरीकों को यहां भी कायम रखने की बात सोचते हैं, वे समझते हैं कि नई दुनिया के तरीकों को न अपनाया जाये और उन्हीं से अगर चिपका रहा जाये तो अच्छा होगा फिर चाहे राष्ट्र के सम्मान को ही धक्का क्यों न लगता हो, चाहे आर्थिक नुकसान तथा दूसरे नुकसान ही क्यों न उठाने पड़ते हों। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो मनोवृत्ति है, इस को बदलना चाहिए। अब समय आ गया है जबकि हमें इस चीज पर पुनर्विचार करना होगा। हम काश्मीर के मसले को हल नहीं कर पाये हैं, तिब्बत के मसले को हल नहीं कर पाये हैं। सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का उस वक्त हित था चीन के साथ जुड़ा हुआ जिसके मुताबिक ब्रिटेन मानता था कि चीन की सुजरेनटी (आधिपत्य) तिब्बत के ऊपर हो। लेकिन जब ब्रिटेन चला गया तो उसे खत्म कर देना चाहिए था। वह हम ने खत्म क्यों नहीं की ? हम ने उसे इसलिए खत्म नहीं किया कि हम अपना सम्पर्क राष्ट्रमण्डल से बनाये हुए थे, वहां से हमें कुछ तो प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष इस तरह की सलाह मिलती थी जिससे हमें नुकसान हो जाया करता था। मुझे विश्वास है कि आजाद होने के बाद अगर हिन्दुस्तान ने राष्ट्रमण्डल से अपना नाता तोड़ दिया होता, गठबन्धन को तोड़ दिया होता तो तिब्बत की आजादी का हनन नहीं हुआ होता, तिब्बत की आजादी की हत्या न हुई होती। आज हिन्दुस्तान को जो मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में, वे मुसीबतें भी शायद न उठानी पड़तीं और हम बहुत ही अच्छी तरह से अपनी विकास की अवस्था में, उस तरह से रह सकते थे।

प्रश्न केवल तिब्बत का ही नहीं है। काश्मीर के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में, वहां पर प्रचलित रंग भेद की नीति के बारे में हम क्या कर पाये हैं ? साउथ अफ्रीका भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं। यहां पर तारीफ कर दी जाती है कि श्री मैकमिलन जोकि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि यह जो रंग भेद का तरीका है यह ब्रिटेन को पसन्द नहीं है, उसका यह तरीका नहीं लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। सवाल यह नहीं है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने क्या कह दिया है, सवाल यह भी नहीं है कि आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड क्या कहते हैं, सवाल यह है कि राष्ट्रमण्डल का एक देश जब रंगभेद की नीति अपनाता है और हम राष्ट्रमण्डल का सदस्य होते हुए भी उसको खत्म नहीं कर पाते हैं तो इसका क्या कारण है, इस राष्ट्रमण्डल से क्या लाभ है। आखिर यह राष्ट्रमण्डल बीमारी क्या है और किस के लिए है।

यह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया ऐसी नहीं है जिस में अलग रहा जा सकता हो। मैं मानता हूं कि आज की दुनिया में अलग नहीं रह सकते हैं। विज्ञान के चमत्कार ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, आज इस तरह के हथियार बन गये हैं कि अकेले रह कर कोई भी देश नष्ट हो सकता है। ये बातें सही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रमण्डल में रह कर ही क्या हम अकेलेपन को छोड़ सकते हैं। बांडुंग सम्मेलन हुआ था १९५५ में। एशिया और अफ्रीका के तीस देश उस में इकट्ठे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस बांडुंग सम्मेलन की दुबारा क्यों बैठकें नहीं हुई हैं, क्यों दूसरा सम्मेलन बुलाने की कोशिश नहीं की गई है ? उस में तो अकेले रहने की भावना नहीं थी, वे तो एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देश थे, उस में लड़ाई का सवाल नहीं था, वहां तो केवल अपने अधिकारों की बात होती है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है और जब ऐसी

बात है तो क्यों नहीं वह सम्मेलन दुबारा किया गया ? एक बार उस तरह का सम्मेलन करने के बाद दुबारा वैसा सम्मेलन करने की कोई बातचीत ही नहीं की जाती है । बांडुंग सम्मेलन में तो कोई अकेले रहने की बात नहीं थी । हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम सभी के साथ दोस्ती बनाये रखना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि कोई दूसरा हमें नुक्सान न पहुंचाये । इस वास्ते अकेले रहने का कोई सवाल नहीं है । जब अकेले पड़ जाने की दलील दी जाती है, तो यह थोथी दलील है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि राष्ट्रमण्डल से अलग हो जाने से कोई नुक्सान नहीं हो सकता है, इस तरह की भावना कि हम अकेले पड़ जायेंगे, निर्मूल है ।

१९४९ में प्रधान मंत्री ने कांस्टिट्युएंट असैम्बली में भाषण करते हुए कहा था कि यदि हम राष्ट्रमण्डल छोड़ दें, तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जायेंगे ।

१९-४-१९४९ को उन्होंने यह कहा था । लेकिन आज तो १९६० है, १९४९ नहीं है । दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है । आज दुनिया के बहुत से देश हिन्दुस्तान की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि यह उनको रास्ता दिखाये । हिन्दुस्तान किसी पर राज्य कायम नहीं करना चाहता है, वह किसी का शोषण करना नहीं चाहता है, वह किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहता है, वह तो चाहता है कि दुनिया से लड़ाई का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाये । यह वह राष्ट्रमण्डल में रह कर नहीं कर सकता है । इस दिशा में उस ने एक पग बांडुंग सम्मेलन करके उठाया था जबकि दुनिया के ३० देश मिले थे जिनकी आबादी दुनिया की तीन चौथाई है । अगर उसने इन देशों का सम्मेलन फिर बुलाया होता तो ये देश उसकी इस परम्परा के साथ रहे होते । मैं नहीं चाहता कि आप कोई गुट बनायें या कोई ब्लाक बनायें या किसी के खिलाफ़ लड़ाई छेड़ दें । वहां पर हमारी जो समस्यायें हैं उन पर हम विचार कर सकते हैं, पारस्परिक हित के जो मामले हैं उन पर विचार कर सकते हैं, समान उद्देश्यों पर बहस कर सकते हैं और इस तरह से दुनिया की तीन चौथाई आबादी के देशों का एक संगठन बन सकता था जिसको तृतीय शक्ति का रूप दिया जा सकता था वह इसलिए नहीं कि किसी पर हम हमला करना चाहते हैं बल्कि इसलिए कि दुनिया में हम शान्ति कायम रखना चाहते हैं, दुनिया से लड़ाई का हमेशा के लिए खात्मा करना चाहते हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बारे में बहुत ही बुरी तरह से फेल रही है, असफल नहीं है, उसने इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया है और राष्ट्रमण्डल में रह कर, अपने कुछ पुराने ताल्लुकात की बजह से कहिये, या अपने सम्बन्धों की वजह से कहिये, उसने न केवल हिन्दुस्तान के हितों को नुकसान पहुंचाया है, नेपाल को नुक्सान पहुंचाया है, हिमालय का जो हमारा बार्डर है, हमारी जो उत्तरी सीमा है, उसको नुक्सान पहुंचा रही है, अफ्रीका के जो देश गुलाम हैं, उनके हितों को नुक्सान पहुंचा रही है, बल्कि दुनिया में स्थायी शान्ति की स्थापना की दिशा में भी कुछ नहीं कर पा रही है ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थिति १९४९ में थी, जो परिस्थिति १९५६ में थी, वह आज नहीं है । हम चाहते हैं कि आस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, मलाया के साथ तथा दुनिया के सभी देशों के साथ हमारे जो दोस्ती के सम्बन्ध हैं वे और भी गहरे हों लेकिन हम किसी तरह से भी अपने को बांधे रखना नहीं चाहते हैं जिस तरह से कि हम ने अपने आप को राष्ट्रमण्डल के साथ बांध रखा है ।

मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रमण्डल में केवल वही देश हैं जोकि किसी वक्त ब्रिटेन के गुलाम थे । ऐसा क्यों है ? कोई भी उस में ऐसा नहीं है जोकि उसका गुलाम न

[श्री ब्रज राज सिंह]

रहा हो । इस तरह से जो देश उसके गुलाम थे उनको राष्ट्रमण्डल के साथ बांध दिया जाता है जोकि किसी भी हालत में ठीक नहीं है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हिन्दुस्तान की सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि हम राष्ट्रमण्डल से बंधे हुए नहीं हैं और न इस बात से बंधे हुए हैं कि हम राष्ट्रमण्डल में रहें । राष्ट्रमण्डल में रह कर हम जिन सिद्धान्तों को चाहते हैं, जो उद्देश्य हमारा है, उस को हानि पहुंचती है और उस में रुकावट पड़ती है । हमारा एक उद्देश्य था कि हम जनतंत्र को पनपायेंगे, लेकिन हम ने देखा कि हमारे एक पड़ोसी देश में जो कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा, जनतंत्र की हत्या कर दी गई । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो इच्छा रही है, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य और जो परम्परा हमारी रही है, उस को राष्ट्रमण्डल में रहने से हानि पहुंच रही है और हिन्दुस्तान की सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि हम अपना सम्बन्ध राष्ट्रमण्डल से तोड़ दें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री केशव ने दो संशोधनों की सूचना दी है । दोनों ही नकारात्मक रूप में हैं, इसलिए नियमबाह्य हैं । फिर भी यदि वह चाहें तो मैं उन्हें बोलने का अवसर दे दूंगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं श्री ब्रजराज सिंह के इस संकल्प का स्वागत करता हूं । आपको याद होगा कि कुछ समय पहले राष्ट्रमण्डल से नाता तोड़ने के प्रश्न पर लगभग हर महीने बहस होती थी । राष्ट्रमण्डल वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक दूसरा नाम है । भेड़िये भी कभी-कभी भेड़ की खाल ओढ़ लेते हैं । हमें १९३० में ली गई अपनी शपथ का ध्यान रखना चाहिए ।

मैं प्रधान मंत्री के इस तर्क से सहमत नहीं कि राष्ट्रमण्डल में रहने से हमारी व्यावहारिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । मैं इस संकल्प का समर्थन न करता, यदि मुझे थोड़ा भी विश्वास होता कि राष्ट्रमण्डल में रहने से हमें किंचित भी कोई लाभ हुआ है । ब्रिटेन से हमारा कोई जातीय या राष्ट्रीय वैर नहीं है । हम सभी देशों की जनता के साथ मैत्री चाहते हैं । हम में से कई ऐसे भी हैं जिन्हें इंगलैंड बड़ा प्रिय है । मैं स्वयं उनमें से एक हूं । लेकिन हम साम्राज्य की पद्धति के विरुद्ध हैं, और राष्ट्रमण्डल उसका ही दूसरा नाम है ।

हमारे देश के कुछ लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं अपने उपनिवेश छोड़ता जा रहा है । वह फ्रेंच साम्राज्य जैसा नहीं है । फ्रेंच साम्राज्य तो जोर-जबर्दस्ती के बल पर अफ्रीका में अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहता है । वास्तव में, इन दोनों में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है । केन्या और न्यासालैण्ड को देखिये । वह जब तक भी हो सके, वहां चिपका रहना चाहता है ।

फिर यह तर्क भी सही नहीं है कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच समझदारी बढ़ाता है; उन्हें अपने विकास में मदद मिलती है और उससे शान्ति का क्षेत्र व्यापक होता है । उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत के परस्पर सम्बन्धों को ही लीजिये । इससे ज्यादा घनिष्ठ सम्बन्ध तो हमारे बरमा, अफ़गानिस्तान, इण्डोनेशिया, और संयुक्त अरब गणतंत्र के साथ हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

जो राष्ट्रमण्डल के सदस्य नहीं हैं । फिर पता नहीं हमें राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से कौन सा ऐसा लाभ होता है, जिसे आम लोग नहीं समझ पाते । और यह कहना भी ग़लत है कि ब्रिटेन हमारी समस्याओं के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण रुख रखता है । इंगलैंड पुर्तगाल को रोकने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं है । वह भारत में पुर्तगाली बस्तियों के बारे में मैत्रीपूर्ण रुख नहीं अपनाता ।

दूसरा उदाहरण है पाकिस्तान का । सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बिगाड़ने के लिए क्या-क्या किया है ।

अभी १ दिसम्बर, १९५९ को प्रधान मंत्री ने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यूनाइटेड किंगडम हाई कमीशन **कामनवैल्थ इन ब्रीफ** नामक ग्रंथ को संशोधित करने की सोच रहा है, जिस में काश्मीर को गलत ढंग से दिखाया गया था । उसकी प्रतियां, भारत के अतिरिक्त, अन्य सभी देशों में वितरित हुई हैं ।

गोआ के बारे में इंगलैंड के उदारपंथी पत्र **मैनचेस्टर गार्डियन वीकली** ने १० अप्रैल, १९५८ के अपने सम्पादकीय में लिखा था कि जिस तरह भारतीय लोग काश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बताते हैं, उसी तरह पुर्तगाली कहते हैं कि गोआ पुर्तगाल का अविभाज्य अंग है । पुर्तगाल का भी गोआ पर उतना ही वैधानिक और राजनीतिक अधिकार है । यह इसलिए कि वे भारत के सामने कठिनाइयां पैदा करने में मज़ा लेते हैं ।

ब्रिटेन हमारे आत्म-सम्मान पर इस तरह बार-बार चोट क्यों करता है ? १९५३ में **इंडिया आफिस लायब्रेरी** को भारत में लाने की बात चल रही है । मौलाना आज़ाद स्वयं उसके लिए इंगलैंड गये थे । लेकिन आज तक उसका कोई फल नहीं निकला । यह उनका हमारे साथ व्यवहार है । इंगलैंड इसी तरह हमारे साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव कर रहा है ।

राष्ट्रमण्डल में रहने से हमें कोई आर्थिक लाभ भी नहीं है । अभी कुछ ही दिन पहले हमारे वित्त मंत्री इंगलैंड गये थे । उन्होंने अपने एक भाषण में शिकायत की थी कि यूरोपीय सामान्य बाजार और निर्बाध व्यापार क्षेत्र से भारत के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । ब्रिटेन की साम्राज्य-वादी नीति के कारण ही हम अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं । ब्रिटेन ने हमारे देश को जानबूझ कर पिछड़ा रखा है । इसीलिए हमारा देश आज भी जूट और चाय के निर्यात पर ही निर्भर रहता है । ब्रिटेन ने हमारे वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आश्वासन भी नहीं दिया है । बस यही कह दिया है कि इस पर उदारता से विचार करेंगे ।

और, ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वयं में जो शरारत की थी, उसके कारण हमारी योजना की भाड़ा-लागत १५-२० करोड़ रुपये और बढ़ गई थी । हमें परिवहन पर इतनी अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ी थी ।

अभी हाल में, इंगलैंड ने भारत से पूछे बिना ही अपने देश में बैंक-दर बढ़ा दी है । उससे भारत को लगभग २५ करोड़ रुपयों की हानि हुई है ।

ब्रिटेन ने हमारी योजना में भी कोई सहायता नहीं की है । भारत की सहायता के नाम पर जो भी कुछ दिया गया है, वह वास्तव में ब्रिटेन ने अपने लाभ के लिए ही किया है । हमारे देश में ब्रिटेन का निजी विनियोजन, १९५७ के अन्त तक, ४१२·७ करोड़ रुपये था । उसके मुनाफे का सारा रुपया इंगलैंड भेजा गया है, भारत में विनियोजित नहीं किया गया ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

गत वर्ष मुनाफे के रूप में लगभग २४ करोड़ रुपये इंगलैंड भेजे गये हैं । उनके मुनाफे भी, भारतीय व्यावसायिक संस्थाओं के मुकाबले, कहीं ज्यादा होते हैं । उन्हें हमारी सहायता करने की जरा भी चिन्ता नहीं है ।

हमारी सब से बड़ी कठिनाई विदेशी मुद्रा की है । इसी को देख कर एक अमरीकी अर्थशास्त्री ने सुझाव रखा था कि भारत को जो भी ऋण दिये जायें उन की अदायगी का काल ५० वर्ष रखना चाहिए, और अदायगी की किस्तें २५ वर्ष से पूर्व शुरू नहीं होनी चाहिए । लेकिन ब्रिटेन ने कभी भी ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा । ब्रिटेन ने दुर्गापुर और इस्कोन कारखानों का प्रस्ताव भी तब रखा है जब उसने देखा कि समाजवादी देशों की ओर से हमें सहायता मिलने लगी है । इससे पहले नहीं । १९४८ तक हम ने लोहा और इस्पात कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में ब्रिटिश विशेषज्ञों से जो सलाह ली थी, उसके लिए हमें १० लाख रुपये से अधिक अदा करने पड़े थे । यही ब्रिटेन की दोस्ती है ।

ब्रिटेन अभी भी हमारे साथ गोरे साहब की तरह बर्ताव करता है । इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं कि हमें राष्ट्रमण्डल से नाता तोड़ देना चाहिए । उससे हमारे देश के आत्म-सम्मान को चोट पहुंचती है ।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : संकल्प के प्रस्तावक, माननीय सदस्य ने एक बड़ा विचित्र तर्क रखा है कि अगर हम राष्ट्रमण्डल में रहें तो दुनिया की गुलामी दूर नहीं होती । क्या हमारे राष्ट्रमण्डल छोड़ देने से दुनिया की गुलामी दूर हो जायेगी ? माननीय प्रस्तावक, और श्री मुकर्जी भी, ब्रिटेन से चिढ़े हुए हैं । यदि वह राष्ट्रमण्डल में न रहे, तो उन्हें शायद भारत की सदस्यता पर कोई आपत्ति नहीं रहेगी ।

अफसोस की बात है कि वे राष्ट्रमण्डल की हमारी सदस्यता का वास्तविक उपयोग और प्रयोजन नहीं समझ पाये हैं । इससे सिद्ध होता है कि हम अपनी गुलामी की मनोवृत्ति को दूर नहीं कर पाये हैं ।

बड़े राष्ट्र होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारा राष्ट्र विशाल और शक्तिशाली हो, बल्कि यह भी कि हमारे सोचने का तरीका भी अधिक ऊंचे स्तर का हो । वह हमारे कामों और हमारी हर चीज़ में झलके ।

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता का यह अर्थ नहीं होता कि हम ब्रिटेन के गुलाम हैं । यह राष्ट्रमण्डल बना कैसे ? इंगलैंड के कुछ लोग बहुत पहले कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि देशों में जाकर बस गये थे । वे स्वतंत्र होने के बाद भी ब्रिटेन से सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे । तभी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल बना था ।

१९४७ में भारत और पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुए और उन्होंने भी राष्ट्रमण्डल में रहना स्वीकार किया । इसकी सदस्यता ऐच्छिक है । सभी स्वतंत्र सदस्य अपनी इच्छा से ही इस में सम्मिलित होते हैं ।

राष्ट्रमण्डल के सदस्य किसी एक ही नीति पर चलने के लिए बाध्य नहीं हैं । भारत किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति पर चलता है और दक्षिण अफ्रीका जाति तथा रंग-भेद की नीति पर ।

राष्ट्रमण्डल के विकास का यह दूसरा चरण था। अब तो "ब्रिटिश" शब्द भी हटा दिया गया है। साम्राज्ञी तो राष्ट्रमण्डल की एक सभा नेत्री की भांति ही है, एक प्रतीकस्वरूप। उसमें चुनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम राष्ट्रमण्डल में रह कर शान्ति के उद्देश्य को बढ़ावा दे रहे हैं। उसकी सदस्यता हमारी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक नहीं है। उससे हमारी अपनी नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारा संविधान एक बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है।

स्वेज संकट का उदाहरण हमारे सामने है। हमने ब्रिटेन के कारनामों की कितनी कड़ी निन्दा की थी।

पिछली बातों को हमें भूलना ही पड़ेगा। हमारी परम्परा भी यही रही है। हम बुराई को हमेशा जारी नहीं रहने देते। हम अब स्वतंत्र राष्ट्र हैं, और हमें अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में स्वतंत्रता महसूस करनी चाहिए।

'नाटो' और 'सियेटो' पैक्टों से शान्ति के उद्देश्य को कोई लाभ नहीं पहुंचता। शान्ति के उद्देश्य को लाभ तभी पहुंचेगा जब और भी बहुत से स्वतंत्र राष्ट्र इसी तरह के राष्ट्रमण्डल बनायें। तभी स्वतंत्रता, प्रगति, कल्याण और शान्ति की अभिवृद्धि होगी।

श्री मुकर्जी ने पूछा है कि राष्ट्रमण्डल में रहने से लाभ क्या है? उन्होंने इस सिलसिले में एक अमरीकी अर्थ-शास्त्री का मत उद्धृत किया है। हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं।

ब्रिटेन तो एक ऐसा देश है जो हमेशा ही अपने लाभ की सोचता है। यह उस देश का स्वभाव है। हमें स्वतंत्रता देने में भी इंगलैंड ने यही किया था। लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम अपने हित उनके लिए छोड़ देंगे।

राष्ट्रमण्डल के जरिये, हमें आपस में मिलने-जुलने और दूसरों को समझने का मौका तो मिलता है। हम उसके जरिये एक दूसरे के व्यावहारिक ज्ञान और प्राविधिक ज्ञान इत्यादि से लाभान्वित हो सकते हैं।

राष्ट्रमण्डल से नाता तोड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि माननीय प्रस्तावक सभी राष्ट्रों से अलग पड़ने, अकेले रहने की नीति को सही नहीं मानते, तो फिर उन्हें राष्ट्रमण्डल पर आपत्ति ही क्या है?

मैं इस में, राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बनाये रखने में, कोई हानि नहीं देखता।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री ब्रज राज सिंह ने तथा श्री ही० ना० मुकर्जी ने जो राष्ट्रमण्डल से अलग होने के सम्बन्ध में दलीलें रखी हैं, उनको तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ तो ये राजनीति थीं, कुछ आर्थिक और कुछ भावनात्मक। जहां तक राजनीतिक दलीलों का सम्बन्ध है श्री ब्रज राज सिंह ने कहा है कि जो राष्ट्र अभी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, उन को मुक्त कराने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसका सारा दोष उन्होंने कामनवैल्थ में हमारे बने रहने को दिया है। मैं समझता हूं कि ये दोनों उनकी बातें गलत हैं। जहां तक इस दलील का सम्बन्ध है कि वे आज़ाद होने में सफल नहीं हो पा रहे हैं इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोशिश कोई साफ तौर से किसी नेता के द्वारा, या ऊपर से नहीं की जा सकती है जिस प्रकार की कोशिशें हमारे नेताओं द्वारा हो रही हैं, और जिस प्रकार

[श्री हेडा]

की नीतियां हमारी हैं और खास तौर पर हमारे राष्ट्रपिता से जो प्रेरणा इन देशों को मिली है और अब मिल रही है और जिस प्रकार से वे प्रयत्न कर रहे हैं आजाद होने के, उससे श्री ब्रज राज सिंह जी की जो धारणा है वह गलत सिद्ध हो जाती है ।

दूसरी बात यह है कि कामनवैल्थ से बाहर जाने से उनको गुलामी से मुक्त कराने में हम किस प्रकार से अधिक सहायक हो सकते हैं, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अंग्रेजों की दृष्टि से सोचें तब मैं कहूंगा और उलटा कहूंगा कि चूंकि हम कामनवैल्थ में हैं इस कारण से एक साधारण अंग्रेज नागरिक यह समझ सकता है कि अगर गुलाम देश को आजादी दे दी जाये तो कोई हर्ज बात नहीं है क्योंकि इसके बाद भी मित्रता के सम्बन्ध बने रह सकते हैं और वह कटुता और विषमता पैदा नहीं हो सकती है जिसका कि किसी को भी डर हो सकता है । मेरा खयाल है कि जो हमने स्टैंड लिया है उसके कारण जो राष्ट्र आज भी बदकिस्मती से अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनको गुलामी से मुक्त होने में बराबर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल रही है ।

आर्थिक दृष्टि से जो दलीलें इन दोनों माननीय सदस्यों ने दी हैं मैं समझता हूं उनके ऊपर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे उनके विरुद्ध जाती हैं । सच बात तो यह है कि हमारे आर्थिक संबंध कोई विशेष संबंध नहीं है । हमारे अगर आर्थिक संबंध आज अंग्रेजों के साथ ज्यादा हैं तो इसका कारण यह है कि जिन चीजों की हमें आवश्यकता है या जो चीजें हम बाहर भेजते हैं उन सबकी आवश्यकतायें या तो हमको अधिक हैं या उनको अधिक हैं और पारस्परिक विश्वास की भावना से यह सब चलता है । वर्ना अगर हमारी चीजों की आवश्यकता कहीं और बढ़ जाये तो वे वहां भी जाने लग जायेंगी । इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ भी रही है । इस वास्ते आर्थिक लाभ और हानि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । आर्थिक हानि और लाभ की दृष्टि से भी यह मालूम होगा कि राष्ट्र मंडल के अन्दर जो राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे जो आयात और निर्यात के संबंध हैं वे बहुत ज्यादा हैं, हमारा जो निर्यात होता है वह २।३ से अधिक इन्हीं राष्ट्रों के साथ होता है और जो आयात होता है वह भी २।३ से अधिक इन्हीं राष्ट्रों के साथ होता है । इस प्रकार हम देखेंगे कि जो भी चीजें हों, चाहे वह चाय हो, जूट हो, तेल हो, मसाले हों, कोई भी चीज हो, जो बाहर भेजी जाती है, उनको भेजने में इतनी अधिक कोशिश करने के बावजूद भी, दूसरे देशों में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं और इन्हीं राष्ट्रों में भेजने में हम सफल हो रहे हैं । अतः यह कहना कि आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं होता है बल्कि नुक्सान होता है, गलत है । मैं जानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनमें हमें नुक्सान दिखाई देता है । मैं एक मिसाल देता हूं । हम अगर रुपया वैस्ट जर्मनी या फ्रांस के साथ भी कोई व्यापार करते हैं और हम अगर रुपया वैस्ट जर्मनी को या फ्रांस को भेजते हैं तब भी यह रुपया हमें बैंक आफ इंगलैंड के जरिये भेजना पड़ता है । लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि हम कामनवैल्थ में हैं । इसका कारण यह है कि कोई सीधा रास्ता अभी तक हम हासिल नहीं कर पाये हैं । ऐसी चीजें अभी भी हो जाती हैं । लेकिन इसका कारण यह है कि वे मैदान में बहुत पहले से हैं, हम नये नये आये हैं । इतना होने पर भी हम उनको देख रहे हैं और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं । जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, वैसे वैसे हम लोग ज्यादा लाभ उठाते जा रहे हैं । यहां पर इम्पीरियल प्रेफ्रेंसिस का भी जिक्र किया गया है । उनके बारे में मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं । यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको स्वीकार करें या न करें । यह कोई जबर्दस्ती की चीज नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि इन चीजों को हमें करना ही होगा । जो चीज हमें मुनासिब दिखाई देती है उसको हम कहते हैं, जो मुनासिब नहीं दिखाई देती है उसको नहीं करते हैं ।

मैं सोचता था कि श्री मोरारजी देसाई का जो भाषण इंग्लैंड में हुआ था और जिसका रेफ़ेंस श्री मुकर्जी ने किया है उसको वह उद्धृत करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इत्तिफाक से मैं भी उस वक्त वहां था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह जो यूरोपियन कामनवैल्थ मार्किट हुई है इसकी वजह से उसे हानि पहुंच सकती है लेकिन हमें हानि पहुंचेगी इसलिये इंग्लैंड रुकता नहीं और वह लाभ और हानि देखेगा और हम भी देखेंगे कि हमें लाभ होता है या हानि होती है और इसके बारे में हम भी इंग्लैंड का इंतिजार करने वाले नहीं हैं और जो ठीक होगा वही करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि इसके ऊपर हम निगरानी रखेंगे कि किस प्रकार यह चीज हो रही है और अगर हमें हानि होती दिखाई दी तो उसको दूर करने की बात करेंगे।

तीसरी बात श्री ब्रज राज सिंह जी ने भावनात्मक कही है। उन्होंने कहा है कि अभी भी हम अंग्रेजी भाषा से चिपके हुये हैं, अभी भी अंग्रेजों के स्टेचू यहां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कामनवैल्थ की आत्मा इंग्लैंड माना जाता है। इन चीजों में भी मैं समझता हूं कि कोई तथ्य की बात नहीं है। असल बात यह है कि किसी न किसी वजह से हमने इनके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। कौन सी चीज है जोकि हमें इन स्टेचूज़ को हटाने से रोकती है या इनको संग्रहालयों में भेजने से रोकती है? मैं समझता हूं कि कोई भी चीज हमारे रास्ते में बाधक नहीं होती है। यह बात जरूर है कि बहुत जल्दी हम इसको नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं।

इस संबंध में उन्होंने एक बात यह कही कि क्यों नहीं इन स्टेचूज़ के स्थान पर लाला लाजपत राय या लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रीय नेताओं के स्टेचू लगाये जाते हैं। बात असल में यह है कि जिस प्रकार के शिल्पी हमें मिलने चाहियें, जिस प्रकार से जनता से सहयोग इस बारे में हमें मिलना चाहिये जिस प्रकार से जनता को आगे आकर काम करना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। असली रुकावट यह है कि हम इसके आदी हो गये हैं कि हर काम हकूमत पर छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि वही सब कुछ करे और अगर वह अच्छा करती है तो हम ताली बजा कर हर्ष प्रकट कर देते हैं और अगर खराब करती है, तो उसकी टीका करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारी . . . .

श्री ब्रज राज सिंह : अगर कोई मूर्तियां हटाता है तो उसे बन्द कर दिया जाता है।

श्री हेडा : अगर हम चाहें तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई सज्जन, अगर कोई वालेंटरी आर्गेनाइजेशन किसी भी बड़े राष्ट्र नायक की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव करती है, तो कोई रुकावट उसके रास्ते में होने वाली नहीं है, कोई बाधा उपस्थित होने वाली नहीं है, उसके प्रयत्न अवश्य सफल होंगे और हम सब का सहयोग उसे बराबर मिलेगा। लेकिन कोई इनिशियेटिव नहीं लेता है, किसी को प्रेरणा नहीं मिलती है, किसी को स्फूर्ति नहीं मिलती है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी शिकायत की कि कामनवैल्थ की जो आत्मा है, वह इंग्लैंड है। मैं समझता हूं कि यह उनका भ्रम है। ऐसा जब हम कहते हैं तो जो असलियत है उसको हम भूल जाते हैं। इंग्लैंड में भी यह भावना है कि कामनवैल्थ का जो सैंटर है वह लन्दन से हटता जा रहा है। आज कनाडा ने क्या स्टैंड लिया, आस्ट्रेलिया ने क्या स्टैंड लिया, ये देश भी जो इंग्लैंड के बहुत नजदीक हैं, एक समय सोचते थे कि इंग्लैंड के स्टैंड का इन पर बहुत प्रभाव पड़ता था लेकिन आज ये भी यह सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि अब सब से ज्यादा भारत की नीति का प्रभाव इस कामनवैल्थ में पड़ता जा रहा है और इंग्लैंड की नीति का उतना नहीं जितना पहले था। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आत्मा इंग्लैंड में रहने की बात है, वह आत्मा दिल्ली में आ जायेगी अगर कामनवैल्थ की जो सभायें हैं, ये सभायें लन्दन में करते रहने के बजाय दिल्ली, कोलम्बो इत्यादि दूसरे स्थानों में करने की प्रथा शुरू हो जाये।

[श्री हेडा]

श्री मुकर्जी ने इसका संकेत किया है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी बताया है कि इंग्लैंड की जो रानी है वह एक सिम्बालिक हैड कामनवैल्थ की मानी जाती है। इस संबंध में मेरा जो अध्ययन है वह मुझे यह बताता है कि उसके सिम्बालिक हैड होने या न होने का किसी भी तरह से कोई असर नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि हमने कहीं भी इस बात को कबूल नहीं किया है, कभी भी स्वीकार नहीं किया है और न ही अपने विधान में कहीं कहा है कि रानी का कोई स्थान है। वह उसी प्रकार एक राष्ट्र की हैड हैं जिस प्रकार दूसरे राष्ट्रों के दूसरे हैड्स हैं। उसका और प्रेजीडेंट आइजनहावर का या श्री ख्रुश्चेव का हमारे सम्मुख बिल्कुल समान स्थान है। यह बात और है कि राष्ट्र मंडल में चूंकि ऐसे सदस्य काफी हैं जो उनको अपना हैड मानते हैं और इस लिहाज से थोड़े से भ्रम का निर्माण होता है। इस धारणा को पैदा करने में कुछ उन राष्ट्रों की तरफ से वक्तव्य निकले हैं जोकि कामनवैल्थ में नहीं हैं और उनकी वजह से भी यह चीज, यह भ्रम फैला है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र मंडल का केन्द्र आज लंदन है तो अगर इसकी सभायें अलग अलग राष्ट्रों के अन्दर होने लग जायें और वहां पर सारा विचार विमर्श होने लग जाये तो मेरे दोस्तों को जो शिकायत है वह दूर हो जायेगी और कुछ जो उनके अन्दर, विद्वेष की भावना तो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि दोनों ही बड़े सज्जन हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत उनके अन्दर विकार है, वह दूर हो जायेगा और उन्हें इसके लाभ साफ तौर पर दिखाई देने लग जायेंगे और हिन्दुस्तान की जो स्पिरिट इसके पीछे है वह उनको दिखाई देने लग जायेगी और वे उसकी सराहना करने लग जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं राष्ट्रमंडल से अलग होने की मांग का समर्थन करता हूं। यह मांग बहुत समय से की जा रही है परन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक समय ऐसा था जब स्वयं प्रधान मंत्री उन लोगों के समर्थक थे जो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम अपने वचनों को भूल गये हैं जो जनता को दिये गये थे। यह ठीक है कि वर्तमान राष्ट्रमंडल का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा है परन्तु फिर भी राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का केवल लन्दन में ही किया जाना इस बात का प्रतीक है कि हम पुरानी व्यवस्था को किसी हद तक कायम रखना चाहते हैं। समस्त सम्मेलनों का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री ही करते हैं। यह ठीक नहीं है। जब हम स्वतंत्र हैं और अन्य देश भी स्वतंत्र हो गये हैं तो राष्ट्रमंडल का नाम बदला जाना चाहिये। यही नहीं, अन्य एशियाई राष्ट्रों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये ताकि उनका भी विकास हो सके।

कहा जाता है कि राष्ट्रमंडल से अलग होने में भावनात्मक कठिनाई है। मेरा निवेदन है कि कोई एक व्यक्ति भले ही राष्ट्रमंडल में रहने की इच्छा रखता हो परन्तु राष्ट्रीय भावना तो यही है कि हमें अलग हो जाना चाहिये। राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये क्योंकि हमारा शासन प्रजातांत्रिक है। यदि आप कहते हैं कि राष्ट्रमंडल में रहने से हमें लाभ हो रहा है तो हम इससे सहमत नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि स्वेज के संकट के समय ब्रिटेन ने अन्य राष्ट्रों से परामर्श किया परन्तु हमारे प्रधान मंत्री से कोई परामर्श नहीं किया गया। योरपीय सामान्य बाजार के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। इसलिये मेरा विचार है कि हमें राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिये।

राष्ट्रमंडल से अलग हो जाने से हमें एक लाभ और होगा। हम जातीय भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेदभाव समाप्त हो परन्तु वह अभी तक

†मूल अंग्रेजी में

कायम है। हम यह कह सकते हैं कि जातीय भेदभाव राष्ट्रसंघ के चार्टर के विरूद्ध है इसलिये हम राष्ट्रमंडल से अलग होते हैं। इसका उन देशों पर बहुत असर पड़ेगा जिनमें जातीय भेदभाव अभी तक चल रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार जब तक इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी तब तक समय समय इस प्रकार की चर्चा होती रहेगी और सरकार को विवश होकर राष्ट्रमंडल से अलग होना ही पड़ेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : यह संकल्प एक प्रकार से गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने के समान है। हम सब राष्ट्रमण्डल के साथ सम्बन्ध को स्वीकार कर चुके हैं। यही कारण है कि बहुत समय से इस विषय पर विदेश मामलों सम्बन्धी चर्चा में कुछ नहीं कहा गया है। जो लोग इसका विरोध करते हैं मैं समझता हूं वे राष्ट्रमण्डल का पुराना अर्थ ही लगाते हैं। वे उसे एक राजनैतिक संगठन मानते हैं जो विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देता है। मैं समझता हूं कि यह धारणा सर्वथा गलत है। राष्ट्रमण्डल स्वतंत्र राष्ट्रों का ऐच्छिक संघ है जो पराधीन देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। राष्ट्रमण्डल में रहने से हमारी स्वतंत्र नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए राष्ट्रमण्डल से अलग होने का कोई कारण नहीं है। मेरा विचार है कि हमें राष्ट्रमण्डल में बना रहना चाहिए। राष्ट्रमण्डल के सब देश अपनी इच्छानुसार कार्य करने को स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि उन देशों पर कोई विशेष नीति थोपी जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं हमारे देश ने राष्ट्रमण्डल में रह कर कोई गलती नहीं की है।

जहां तक आर्थिक और राजनैतिक लाभों का प्रश्न है वह निरर्थक है क्योंकि कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं और कुछ अस्पष्ट भी होते हैं। राष्ट्रमण्डल में रहने से हमें कुछ ऐसे ही लाभ हैं जो अस्पष्ट हैं। राष्ट्रमण्डल के सभी देश स्वतंत्रता के समर्थक हैं और आप देखेंगे कि समय की गति के साथ अधिकाधिक देशों को स्वतंत्रता मिलेगी।

कुछ सदस्यों ने कहा कि अफ्रीका के सम्बन्ध में हम ने क्या किया? मुझे इस पर आश्चर्य है क्योंकि प्रधान मंत्री ने कल ही यह कहा था कि यह दशक अफ्रीका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के उत्तर में भी प्रधान मंत्री ने अफ्रीका का निर्देश किया था। मैं समझता हूं कि हमारा देश उन देशों का समर्थक रहा है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह स्वतंत्रता का स्रोत है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कोई भी देश सर्वथा अलग नहीं रह सकता। प्रजातंत्र के लिए मंत्रणा, सम्मेलन, समितियां और आदान प्रदान आवश्यक हैं और मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के साथ अपने सम्बन्ध से हमें अनेक प्रकार से लाभ हुआ है। हमारे यहां से लोग उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ हैं। मैं समझता हूं कि उन सम्बन्धों को एकदम खत्म कर देने का कोई उचित कारण नहीं है।

यही नहीं, राष्ट्रमण्डल में रहने से हमें अनेक प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होती है। विभिन्न सम्मेलनों से हमें दूर-संचार, कृषि, वैज्ञानिक प्रगति सम्बन्धी जानकारी मिलती रहती है। यदि भारत को संसार की विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति से सम्पर्क रखना है तो हमारा राष्ट्रमण्डल में रहना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रमण्डल में जैसे जैसे स्वतंत्र देशों की संख्या बढ़ती जायेगी हमारे राष्ट्रमण्डल के साथ सम्बन्ध दृढ़तर होते जायेंगे। राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

हमारे अनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं और उससे हमें अनेक प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं। इसलिए हमें राष्ट्रमण्डल से अलग नहीं होना चाहिए।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : राष्ट्रमण्डल में रहने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसको सुनने के पश्चात् मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। यदि हम राष्ट्रमण्डल के किसी देश की किसी नीति को अच्छा नहीं समझते हैं तो उसका इलाज यह नहीं है कि हम राष्ट्रमण्डल से अलग हो जायें। हमें उनकी नीतियों के अनुसार अपने सम्बन्धों का समायोजन करना चाहिए। मेरा विचार है कि हमारे राष्ट्रमण्डल में रहने से उन लोगों को बहुत बल मिल रहा है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उपनिवेशवाद के निराकरण के लिए हमारा राष्ट्रमण्डल में रहना आवश्यक है। यदि हम अलग हो जायेंगे तो न केवल हमारा नुकसान होगा वरन् उन सभी लोगों का नुकसान होगा जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम उनका मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। हमारे सदस्य रहने से उन देशों को सहायता मिलती है जिन्हें अभी स्वतंत्रता नहीं मिली है। अफ्रीका के अनेकों देश अब स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार हम उपनिवेशवाद की समाप्ति में सहायक हो रहे हैं।

यह ठीक है कि किसी समय हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थे और हम ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। परन्तु अब हम उनके बराबर हैं, गुलाम नहीं। हम उनके साथ बराबरी के स्तर पर बैठते हैं। उनके साथ बैठने से हमारा अपमान नहीं होता वरन् अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती ही है। इसलिए राष्ट्रमण्डल से अलग होने का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत राष्ट्रमण्डल में हमारा रहना उन लोगों के लिए हितकारी है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर भावनात्मक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से इस प्रश्न पर केवल इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि राष्ट्रमण्डल में रहने से हमारी स्वतंत्रता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ?

पिछले दस-बारह वर्षों का अनुभव यह बताता है कि जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है हम बिना किसी राष्ट्रमण्डलीय देश के दबाव के अपनी नीति का अनुसरण करते रहे हैं। हमारी विदेश नीति के आधार में यह स्वतंत्रता की भावना ही मुख्य वस्तु है। हम संसार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहते। हमारे प्रधान मंत्री ने राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनों में प्रतिरक्षा के प्रश्न पर सदैव तटस्थता दिखाई है और संसार के सभी देश उसकी प्रशंसा करते हैं।

प्रस्तावक महोदय ने कहा कि हमें राष्ट्रमण्डलीय देशों से समुचित आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों से हमें अधिक सहायता मिली है। मेरा निवेदन है प्रत्येक देश अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमारी सहायता कर सकता है। इंग्लैंड की अमेरिका अथवा रूस के साथ तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी अधिकांश राष्ट्रमण्डलीय देश भारत की विकास योजनाओं में सहायता दे रहे हैं।

जैसा पहले कहा जा चुका है यह संगठन सर्वथा ऐच्छिक है, किसी को किसी बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। हम देख चुके हैं कि स्वेज के मामले में हम ने अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त तक बनाये रखा। उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में भी हमारे प्रधान मंत्री ने ही सर्वप्रथम बांडुंग सम्मेलन का आह्वान किया और यदि आवश्यकता हुई तो भविष्य में भी वैसा प्रयत्न किया जायगा।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमें राष्ट्रमण्डल में बने रहना चाहिए। जैसा कि प्रधान मंत्री पहले अवसरों पर कह चुके हैं राष्ट्रमण्डल में रहने से हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम राष्ट्रमण्डल से अलग हो जायेंगे तो संसार में सर्वथा अकेले रह जायेंगे। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि माननीय सदस्य उसे वापस कर लें।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : इस प्रकार के संकल्प अनेक बार रखे जा चुके हैं तथा वे अस्वीकृत हुए हैं अथवा वापस ले लिये गये हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हम ने राष्ट्रमण्डल में बने रहने का निर्णय किया था तथा अभी भी उस निर्णय पर दृढ़ हैं। पता नहीं फिर इस प्रकार के प्रस्ताव यहां क्यों उपस्थित किये जाते हैं। हम ने शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की थी इसलिए राष्ट्रमण्डल से हमारे सम्बन्ध कायम हैं। यदि हम ने हिंसात्मक तरीकों से आजादी ली होती तब सम्भवतः हम राष्ट्रमण्डल में न रहे होते।

इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत ने राष्ट्रमण्डल में रहने का निर्णय किया था तब नई स्थिति के अनुसार उसका नाम भी बदल दिया गया था क्योंकि पहले नाम में साम्राज्य की सी ध्वनि थी। आज का राष्ट्रमण्डल स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन है जिसमें कोई भी किसी दूसरे के अधीन नहीं है। इसलिए राष्ट्रमण्डल की सदस्यता का इस आधार पर विरोध करना निरर्थक है कि उसकी प्रधान ब्रिटेन की रानी है। रानी तो नाममात्र की प्रधान है, उसके प्रधान होने से हमारी स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

मेरा विचार है कि यह राष्ट्रमण्डल शरीर के एपेनडिक्स के समान है जिसका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है। जिस प्रकार एपेनडिक्स से कोई लाभ न होने पर भी उसे साधारणतः शरीर में रहने दिया जाता है उसी तरह हम भी राष्ट्रमण्डल में बने हुए हैं क्योंकि उस में रहने से यदि हमें कोई लाभ नहीं होता तो हानि भी नहीं हो रही है। इसलिए अभी उस से अलग होने का प्रयत्न करना बेकार है। हां, आगे चल कर यदि कोई नुकसान होगा तो हम वैसा कर सकते हैं।

इस संकल्प के प्रस्तावक महोदय ने अनेक तर्क प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रमण्डल में रहने से किसी प्रकार का राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार की लाभ प्राप्ति के लिए राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित नहीं है। वह एक अन्तराष्ट्रीय क्लब के समान है जिस में बैठ कर हम बातचीत करते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव प्रधान मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। जब प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन होता है तो उन सम्मेलनों में एक ही व्यक्ति को सभापतित्व नहीं करना चाहिए। प्रत्येक सम्मेलन में नया सभापति होना चाहिए। ऐसा करने से ब्रिटेन के प्रभुत्व की बात खत्म हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इसके सम्बन्ध में पहले भी चर्चा हो चुकी है इसलिए इसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : भारत के राष्ट्रमण्डल में रहने के संबंध में यह कहा जाता है यह देश की मर्यादा और सम्मान के विरुद्ध है। यह ठीक नहीं है। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और ब्रिटेन के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते हैं। हम केवल उन आदर्शों को मानते हैं जो राष्ट्रमंडल की आत्मा है—प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का औपनिवेशिक जनता में विस्तार। राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में हम अनेक उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक हुए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अफ्रीका के बहुत से उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं।

यह कहा गया कि राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन लन्दन में ही हुआ करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों की बैठक मान्ट्रियल में भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन १९५७ में भारत में हुआ था और इस वर्ष राष्ट्रमण्डलीय प्रसारण सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ था। ऐसे सम्मेलनों का स्थान सुविधा की दृष्टि से निश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की रीनी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करती हैं और न उनमें कोई निर्णय किए जाते हैं। इन सम्मेलनों में कुछ पारस्परिक हितों के विषयों की चर्चा होती है और हल निकालने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए राष्ट्र-मण्डल से अलग होने का कोई कारण नहीं है।

इसके अतिरिक्त हमारा राष्ट्रमण्डल में रहना अपनी वैदेशिक नीति के सिद्धान्तों के प्रति भी असंगत नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र-मण्डल से अलग होना ही हमारे लिए हानिकर होगा।

यह कहा गया कि स्वेज के संबंध में हमारे देश से परामर्श नहीं किया गया। क्या बल का प्रयोग करते समय कोई देश किसी अन्य देश के साथ मंत्रणा करता है ? इसके अतिरिक्त हमारे प्रधान मंत्री ने लोक-सभा में १३ सितम्बर, १९५६ को शांति की अपील की थी और उसी के परिणामस्वरूप स्वेज संकट शीघ्र हल हो गया। इस प्रकार की बातें राष्ट्रमंडल में रह कर ही हो सकती हैं।

जहां तक आर्थिक प्रश्न का संबंध है, जनवरी, १९५० में कोलम्बो योजना बनाई गई थी जिसका उद्देश्य अविकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना है। हमारी विकास योज-नायें चल रही हैं और हमें अन्य देशों से सहायता मिल रही है।

श्री मुकर्जी ने कहा कि ब्रिटेन ने गोवा और काश्मीर की समस्याएं सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। मेरा निवेदन है कि जब श्री मेनन ने ब्रिटिश व अमरीकी हस्तक्षेप की अपील की थी तो श्री मुकर्जी ने ही इस पर आपत्ति की थी। अब वही ऐसा कहते हैं। हमें तर्क संगत बात कहनी चाहिए।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी की समस्या का उल्लेख भी इस संबंध में किया गया। मेरा निवे-दन है कि उसके हल में विलम्ब का कारण ब्रिटेन की अनिच्छा नहीं है वरन् यह है कि पा-किस्तान ने कुछ आपत्तियां पेश की हैं। मैं समझता हूं कि हमें ऐसी छोटी बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसलिए मैं श्री ब्रजराज सिंह से अपील करूंगा कि वह इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में वाक्छल से काम लिया है, उस के अन्दर कोई सारभूत बात नहीं थी। हमारा सिद्धान्त है

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से मेल मिलाप करना, सब की बात सुनना और सब को अपनी बात सुनाना, दुनियां के अन्दर दुश्मनी को खत्म करना और अपने दिल के अन्दर से दुश्मनी को निकालना। जो कल हमारे दुश्मन थे आज अगर वह अपनी गद्दी से उतर कर हम से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि साथ मिल कर अपने को उन्नत बनायेंगे तो इस से ज्यादा उत्तम बात कोई और नहीं हो सकती।

यह गलत बात है कि कामनवैल्थ में रहते हुए हिन्दुस्तान ने जो छोटे मुल्क थे या जिन को दूसरों ने दबाया हुआ था, उन को मदद नहीं की। ईरान में जब अंग्रेजों को तेल के चश्मों से ढकेला गया तो हिन्दुस्तान ने वहां पर ईरान की मदद की। ईजिप्ट (मिश्र) में ईजिप्शियन्स की मदद की। हम ने कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडल) में रह कर किसी ऐसे मुल्क की मदद नहीं की सिर्फ इसलिये कि वह वहां पर था या इसलिये कि वह हमारा साथी था। सब से बड़ी बात यह है कि वह एक ऐसी संस्था है जिस में जो जब तक चाहे रह सकता है और जिस वक्त चाहे निकल सकता है। उसके ऊपर किसी का दवाब नहीं होता है। और अगर कोई मुल्क उस में इस किस्म के हैं और अगर उन के साथ हमारा मेल मिलाप है, तो लाजिमी बात है कि हम उन को साथ ले कर जितना नर्म बना सकते हैं उतना उन को अलग रख कर के और उन को गालियां दे कर किसी मुल्क के अनुकूल नहीं बना सकते। हम किसी भी मुल्क को इस तरह से अपनी बात मनवाने के लिये तैयार नहीं कर सकते। इस लिये हिन्दुस्तान ने जो बुद्धिमना की पालिसी अख्तयार की है, उस से ज्यादा अच्छी पालिसी और दूसरी नहीं हो सकती।

यदि किसी के दिल में ऐसा विचार है कि हम कामनवेल्थ के साथ इस लिये जुड़े हुए हैं कि हमें कोई आर्थिक सहायता मिले या कोई पोलिटिकल सहायता मिले, तो यह गलत है। वहां हर एक देश को समानता का अधिकार है। अगर वह हमें कोई चीज देते हैं तो हम भी देते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में उन के और हमारे बराबर के अधिकार हैं और दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। यह गलत बात है कि हम उन के साथ इस लिये हैं कि हम को पैसे की लालच है। हमें दूसरे मुल्कों से भी अपने कामों के लिये सहायता मिलती है इसलिये हमें कामनवेल्थ में रहने से कोई लाभ नहीं है और हमें उस से पृथक हो जाना चाहिये, इस को मैं ठीक नहीं मानता हूं। छोटी छोटी बातें यहां पर उठाई जाती हैं जैसे कि यहां पर अंग्रेजों की मूर्तियां हैं उन को नहीं हटाया गया। जो मूर्तियां यहां पहले से बनी हुई हैं उन को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट में देख लीजिये जो मूर्तियां हाल में विदेशियों की थीं उन को नहीं रक्खा गया।

एक माननीय सदस्य : लेकिन और जगहों पर तो हैं।

श्री पद्म देव : जो हैं वह निकाली जा रही हैं। और अगर कभी ऐसा वक्त आया कि उस का विरोध किया जाय और श्री ब्रज राज सिंह उस के लिये सत्याग्रह करेंगे तो मैं उन का साथ दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ उनके सत्याग्रह में साथ देंगे।

एक माननीय सदस्य : जेल तक साथ देंगे।

श्री पद्म देव : इस तरह की गलतफहमी फैलाना ठीक नहीं है जैसी कि हमारे मित्र फैलाना चाहते हैं। आज हमारा मुल्क काफी बातों में दुनियां के और मुल्कों से आगे है और कुछ

[श्री पद्म देव]

के बराबर भी है। हम ने आर्थिक विषयों में कुछ कदम उठाये हैं। यह कहना कि कामनवैल्थ में रहने से यह हो जायेगा या वह हो जायेगा, यह गलत चीज है।

यह कहना कि कामनवेल्थ के साथ रहने से हम गुलाम बन गये, यह भी ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि कौन वहां रहने से कैसे गुलाम हो गया क्योंकि वहां तो सब एक साथी के नाते हैं, जिस के मन में यह जरूरत महसूस हुई है कि वह उस से अलग हो जाय, वह उसे छोड़ भी सकता है। आना चाहे तो आ भी सकता है, और जैसा एक साथी ने कहा कि उसका दफ्तर इंग्लैंड में ही है। तो वह हिन्दुस्तान में भी हो सकता है। शायद कम्यूनिस्ट पार्टी के अन्दर यह भावना हो हम एक वैस्टर्न ब्लाक (पश्चिमी गुट) का नारा लगा रहे हैं और हम सारे संसार को दूसरे ब्लाक में लाना चाहते हैं, और शायद वह यह समझते हों कि इस में उन के साथियों की बराबरी कम हो जायेगी, तो यहां ऐसी कोई बात नहो है। यहां न डंडे का जोर है और न पैसे का जोर है, यहां तो बराबरी की बात है। यहां कामनवैल्थ के सम्बन्ध में अक्सर प्रश्न आते हैं, भाषणों में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं नहीं समझता कि इस के ऊपर क्यों इतनी आपत्ति की जाती है। इस लिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

†**श्री पी० च० मलिक** (धनबाद) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। मेरे विचार से हमें राष्ट्रमंडल में रहने से कोई नुक्सान नहीं है। हम अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल से सम्पर्क बनाये हुए हैं। वस्तुतः हमें राष्ट्रमंडल को विश्व संघ की भूमिका का रूप देना चाहिये और उसके क्षेत्र तथा संभावना का विकास करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में राष्ट्र-मंडलीय राष्ट्रों में हमारा प्रभाव इंग्लैंड से भी बढ़ जायेगा। हमारे राष्ट्रमंडल में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी वैदेशिक नीतियों में इंग्लैंड का अनुकरण करे। स्वेज नहर के मामले में हमारे प्रधान मंत्री ने इंग्लैंड और फ्रांस का विरोध किया था आज भी भारतीय सेनायें संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं।

राष्ट्रमंडलीय देशों को उनके आयात पर १५१० की छूट मिलती है। इंग्लैंड में हमारा आयात काफी बढ़ा है इस प्रकार हम इस छट से लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड हमें युद्धपोत दे रहा है तथा हमारी नौ सेनाओं को प्रशिक्षण भी दे रहा है। दूसरे राष्ट्र हमें यह सुविधायें देने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रमंडल में रहने के कारण ही हमें पौंड पावने की राशि प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त हमें डालर पुंज तथा पौंड निधि से भी सहायता मिल रही है। अतः हमारे हित में यही अच्छा है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहें।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मुझे विश्वास है कि अगर माननीय सदस्य ने बालफोर आयोग १९२६ के प्रतिवेदन में उल्लिखित राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों को देखा होता अथवा बाद के वेस्टमिनिस्टर परिनियम, १९३१ को देखा होता तो वे ऐसा संकल्प न रखते। यदि उन्हों ने शासित लोगों की स्वतन्त्रता के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये गये कार्यों पर व्यापक रूप से ही दृष्टिपात किया होता तो वह भी इस संकल्प का विरोध करते। प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह राष्ट्रमंडल की नीतियों पर दूसरे शब्दों में, इंग्लैंड पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते कि ब्रिटेन अफ्रीका छोड़ दे। साइप्रस के मामले में हम कोई रचनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं करते। दक्षिण अफ्रीका, अलजीरिया आदि की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने कोई काम क्यों नहीं किया। वह आशा करते हैं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य के नाते भारत विश्व-मत को अधिक प्रभावी एवं जोरदार ढ़ंग से प्रभावित क्यों नहीं करता। और विशेष रूप से इंगलिस्तान की नीतियों को क्यों नहीं करता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इन बातों को वाद-विवाद की दृष्टि से ही कह रहे हैं, इस दृष्टि से नहीं कि ऐसी चीजें कोई देश विश्व में कर भी सकता है।

विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया है कि हम परतंत्र लोगों की बात प्रभावी ढ़ंग से इस लिये नहीं कह सकते कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से क्या लाभ जब कि हमारे तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच कोई सामानता नहीं है। यह ठीक है कि हमारे तथा दक्षिण अफ्रीका संघ के बीच समानता नहीं है और साथ ही यह भी सही है कि हमारे तथा इंगलिस्तान के बीच बहुत सी बातों में मतभेद है किन्तु फिर भी हम अपनी स्वतन्त्रता और वाक् स्वतन्त्रता को ज्यों का त्यों रखे हुए उस संगठन के सदस्य हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है।

कुछ ऐसी बातें हैं जिन का उत्तर दिया जा चुका है जैसे इंडिया आफिस पुस्तकालय। भारत तथा पाकिस्तान के बीच इस पुस्तकालय के विभाजन के बारे में मतभेद होने के कारण कोई समझौता संभव नहीं है। यह पूछा गया है कि हमें कठिनाई में देखकर इंगलिस्तान आनन्द का अनुभव क्यों करता है। कहा गया है कि इंगलिस्तान ने गोआ की समस्या को हल करने के लिये कुछ नहीं किया। हम नहीं चाहते कि बाहरी व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करें। गत १२ वर्षों में हम ने अपनी समस्याओं को हल करने में काफी अग्रणीय भाग लिया है एवं उन को समझा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें बाहरी व्यक्तियों की सहायता नहीं लेनी चाहिये। हमारी अपनी समस्यायें हैं और उन को हल करने के लिये हमारी अपनी प्रक्रिया एवं ढ़ंग है। विरोधी सदस्यों की अधीरता को मैं समझता हूं। क्योंकि यदि वे अधीरता न दिखाये तो वे अपने अस्तित्व को फिर किस प्रकार बनायें। उन्हें तो सरकारी नीतियों की आलोचना करनी ही है और वह इसलिये नहीं कि उन नीतियों की आलोचना होनी चाहिये बल्कि इसलिये कि वह यह समझते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का एक तरीका यह भी है कि हमारी नीति के संचालन में रोड़े अटकाये जायें। अगर उनमें मानवीय भावना एवं राजनैतिक जागृति होती तो वे कभी भी इस संकल्प को प्रस्तुत नहीं करते। राष्ट्रमंडल में बने रहने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के भाषणों का उल्लेख किया गया है। मेरा निवेदन है कि जिस बारे में निर्णय हो चुका है उस के बारे में सभा का समय नष्ट करने से क्या लाभ। यह निर्णय सारे देश को मान्य है। १९५७ में जब आम चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ उस का कारण भी यही थी कि जनता सरकार की नीति से सहमत है। सरकार की एक नीति यह भी है कि हम राष्ट्रमंडल में बने रहें। विरोधी सदस्यों ने जनता के सामने हमारी इस नीति की आलोचना की थी कि हम राष्ट्रमंडल में रहना चाहते हैं। जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रमंडल में हमारे बने रहने की नीति का विरोध किया था वे भी आज कहते हैं कि हमें व्यापक राष्ट्रमंडल बनाना चाहिये। उन का कहना है कि यह केवल वर्तमान सदस्यों अथवा उन देशों तक जो पहले परतंत्र थे लेकिन अब स्वतन्त्र हो गये हैं सीमित नहीं रहना चाहिये। भले ही वे प्रधान मंत्री के भाषण की आलोचना करते हों लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा देश राष्ट्र-मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। वे देश ही जिन के प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्रता के बारे में समान आदर्श हों, इसके सदस्य हो सकते हैं। यह प्रश्न किया जा सकता है कि जो देश पहले परतन्त्र थे या ब्रिटिश उपनिवेश थे और अब स्वतन्त्र हो गये हैं लेकिन फिर भी वे राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहते हैं इस का कारण क्या है? चूंकि वे समझते हैं कि यहां एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है कि इसमें भाग लेने

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

वाले देशों को अपनी स्वतंत्रता एवं निष्ठा को उन बातों के हित में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो कि दूसरे देश उन पर थोपना चाहते हैं। कुछ ऐसे परतन्त्र देश अवश्य हैं जिन्हों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया। लेकिन यह उन की स्वेच्छा पर निर्भर है। जो देश इस में बना रहना चाहते हैं उन का उद्देश्य यही है कि वे यह अनुभव करते हैं कि अपनी नीति जारी रखने के लिये यही एक अच्छा साधन है ।

विरोधी पक्ष के सदस्य, श्री मुकर्जी ने कहा है कि भिलाई के लिये दी गई सहायता के लिये हमें समाजवादी देश को धन्यवाद देना चाहिये। मैं उन से पूछना चाहती हूं कि हमारे देश में आणविक शक्ति के विकास के लिये यहां कनाडियन भट्टी बनाने का तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से सहायता मिलने का क्या कारण था क्या इसीलिये कि एक समाजवादी देश ने इमें सहायता दी थी अतः उस की समता के लिये राष्ट्रमंडलीय देश ने भी सहायता दी ? हमें तथ्यों को उसी रूप में समझने का प्रयत्न करना चाहिये जिस रूप में कि वे हैं न कि किसी सिद्धान्त अथवा निष्ठा को समझने के लिये उन्हें तोड़ मरोड़ कर रखा जाये। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जो राष्ट्र मंडल का सदस्य होने के नाते हम कर सके हैं। कुछ सदस्य इंगलैंड में शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत से विद्यार्थियों का उल्लेख कर चुके हैं। इस के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों को ६ वर्ष तक सहायता देने के लिये इंगलैंड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में दिये गये ६०० लाख पाउंड का भी उल्लेख किया जा चुका है। कनाडा तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से भी हमें बहुत सी सहायता मिली है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रमंडलीय देश हमें काफी सहायता नहीं दे रहे हैं अतः हमें उसे छोड़ देना चाहिये तो क्या उन का अभिप्राय यह है कि हमें अमरीका के साथ मिल जाना चाहिये। चूंकि वह हमें काफी वित्तीय सहायता दे रहा है। क्या उन का अभिप्राय यह है जो हमें सहायता दे हम उसी के साथ मिल जायें। ये सुझाव बड़े उपहासास्पद हैं और तर्कहीन हैं। एक ओर आप कहते हैं कि हमें इस से अलग हो जाना चाहिये दूसरी ओर आप कहते हैं कि हमें किसी संगठन में सम्मिलित हो जाना चाहिये क्योंकि उनसे हमें सहायता मिलती है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ।

राष्ट्रमंडल में बने रहने के कारण सभी जानते हैं। इस परिवर्तनशील विश्व में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि एक देश दूसरे देश के साथ मिल कर रहे। जिन देशों के सिद्धान्त आदर्श एवं लक्ष्य एक से हों वे सब एक साथ मिल जायें और मिलकर कार्य करें ताकि राष्ट्रों को भलाई हो सके ।

यह भी पूछा गया है कि इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ही इन सम्मेलनों की अध्यक्षता क्यों करते हैं कोई और क्यों नहीं करते। हो सकता है कि आगामी वर्षों में इन नीतियों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो जाये ।

यह राष्ट्रमण्डल अब ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। अब वह दिन दूर नहीं है जबकि वे देश जो कभी परतन्त्र थे, स्वतन्त्र होकर अधिक संख्या में इसके सदस्य बनेंगे। यह उनके हाथ में है कि वे राष्ट्रमण्डलीय देशों की नीतियों पर प्रभाव डालें ताकि वे ही आदर्श हो सकें जो कि अमरीका के चार्टर में निहित हैं।

यह ठीक है कि इस राष्ट्रमण्डल में कोई निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता। लेकिन यह विचारधारा एवं नीति पर प्रभाव डालता है। अभी ब्रिटिश प्रधान मंत्री भारत तथा अन्य देशों में आये

थे। जो कुछ उन्होंने इन देशों में देखा उससे उनकी विचारधारा प्रभावित हुई। इस प्रकार मिलने जुलने के प्रभाव अवश्य ही पड़ते हैं।

व्यापार नीति के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। मैं बता देना चाहूंगी कि विश्व के कुल व्यापार में राष्ट्र मण्डलीय व्यापार का $^{3}/_{5}$ वां हाथ है जिसमें से भारत का आयात अंश १९५७ में ३४ प्रतिशत और १९५८ में ३३ प्रतिशत था और निर्यात अंश १९५७ में ४७ प्रतिशत तथा १९५८ में ५१.७६ प्रतिशत था। जनवरी १९५९ से अक्तूबर १९५९ तक के ये आंकड़े ४६ प्रतिशत हैं। इसका यह अभिप्राय है कि हम इंगलिस्तान तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों को निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने लगे हैं।

यूरोपीय सामान्य बाजार राष्ट्रमण्डल का नहीं बल्कि एक निश्चित व्यापार प्रयोजन की दृष्टि से सारे यूरोपीय देशों का एक संगठन है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस बात को लेकर राष्ट्रमण्डल में रहने के लिये हमारी सरकार पर किस प्रकार लांछन लगाया जा सकता है।

हमारे ऊपर किसी बात का दबाव नहीं है कि हम इसके सदस्य बने रहें। जाति भेद का प्रश्न भी उठाया गया है जिसका कि राष्ट्रमण्डल के एक देश से सम्बन्ध है। यह कहा गया है कि जब असेम्बली में इस पर चर्चा हुई थी तो भारत ने विरोध स्वरूप असेम्बली भवन को क्यों नहीं छोड़ दिया। भारत चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ नीति का समर्थन करता था इसलिये उसने नहीं छोड़ा। अफ्रीकी सदस्य ने भवन इसलिये छोड़ा क्योंकि उसने अपने देश द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति लज्जा अनुभव की,न कि इसलिये कि वह राष्ट्रमण्डल का सदस्य था। इसलिये मैं कह सकती हूं कि हमारे ऊपर कोई दवाब नहीं है कि हम राष्ट्रमण्डल में बने रहें और न हमारी नीतियों पर इस दृष्टि से ही कोई प्रभाव पड़ा है कि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। हम स्वतन्त्र विचार रखते हैं और सभी अवसरों पर हमने अपने विचार स्वतन्त्र रखे भी हैं। चाहे वह मामला स्वेज का रहा हो अथवा जातिभेद का अथवा अल्जीरिया का अथवा अन्य कोई। अतः मैं आशा करती हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ताकि उन्हें बहुमत द्वारा इसके अस्वीकृत होने पर लज्जा का सामना न करना पड़े।

श्री ब्रज राज सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस प्रस्ताव पर आज बहस हुई है, खास तौर पर सरकारी बैंचिज की तरफ से उसके खिलाफ मैं अपना सख्त विरोध प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसके खिलाफ भी अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो उस समय पहले से ही जब हमारे विदेश मंत्री महोदय को मालूम हो और वह जान बूझ कर अपने आप को गैर-हाजिर रखें, तो यह किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सरकारी बैंचों के माननीय सदस्य शायद यह समझते हैं कि बुद्धि का भण्डार वे ही हैं।

एक से अधिक माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि जब इस पर मुल्क की राय पहले से मालूम है, मुल्क ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत में भेजा है और मुल्क चाहता है कि कामनवैल्थ में बने रहा जाय तब इस प्रस्ताव पर बहस कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि अन्य सदस्यों के अतिरिक्त हमारी जो माननीय डिप्टी मिनिस्टर महोदया हैं, उन्होंने भी इसी तरह का दृष्टिकोण दिखाया है और कहा है कि इस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं थी और इस पर बहस करना सदन का समय बरबाद करना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही अप्रजातान्त्रिक तरीका है। सब कोई जानते हैं कि छः महीने के बाद किसी भी मसले पर बहस को सकती हैं, और इस चीज़ के जो नियम हैं वे इजाजत देते हैं तो क्या कारण है कि यह कहा जाए कि इस पर बहस करना समय को बरबाद करना है। चूंकि आपको मुल्क ने चुन कर यहां भेज दिया है इसलिये

[श्री ब्रजराज सिंह]

किसी मसले पर यहां बहस नहीं की जानी चाहिए, किसी मसले को यहां पर उठाया नहीं जाना चाहिये, मैं समझता हूं ऐसा कहना अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाना है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी ही थोड़ी है ।

बार बार माननीय सदस्यों ने और डिप्टी मिनिस्टर महोदया ने भी कहा है कि हमारे यहां चूंकि कामन आइडियल्स हैं, जनतन्त्रीय आइडियल्स हैं, इसलिये हम कामनवैल्थ हैं । जब वे ऐसी बात कहते हैं तो वे भूल जाते हैं कि हमारी सीमा पर जनतन्त्र की जो हत्या कर दी गई है वह भी देश कामनवैल्थ का ही एक सदस्य है और हम भी हैं । इतना होने पर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे कामन आइडियल्स हैं, इस वास्ते हम कामनवैल्थ में हैं ।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : को-एग्जिस्टेंस है ।

श्री ब्रज राज सिंह : डिक्टेटरशिप और जनतंत्र की को-एग्जिस्टेंस कहिये या कुछ भी कहिये लेकिन डिक्टेटरशिप भी और जनतंत्र भी दोनों इस में चल सकते हैं । लेकिन खेद की बात यह है कि जितने भी महत्व के प्रश्न मैंने उठाये हैं उन का किसी भी माननीय सदस्य ने उत्तर नहीं दिया है । उन का डिप्टी मिनिस्टर महोदया ने भी कोई जवाब नहीं दिया है । अभी उन्होंने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वह ज्यादातर यू० के० के साथ ही रही है । लेकिन इम्पोर्ट ट्रेड की तरफ भी ध्यान जाना चाहिये था । इम्पोर्ट ट्रेड का क्या हो रहा है । जो हमारे यहां आ रहा है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है । मैं ने आंकड़े दे कर साबित किया है कि आयात कम हुआ है, निर्यात अधिक हो रहा है । इस का नतीजा यह हो रहा है कि कंज्यूमर प्रेफ्रेंस के मुताबिक हमें नुकसान होता है और उन को लाभ होता है । उन को बाज़ार चाहिये और वे हमारा कच्चा माल लेते हैं । हिन्दुस्तान का निर्यात वे कराते हैं कामनवेल्थ का सदस्य होने के नाते कच्चा माल निर्यात करवाते हैं, जिस से हमें नुक्सान होता है । यह जो दलील मैंने दी थी, इस का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । यह कहना कि इस तरह की मांग जनता की है कि हम कामनवेल्थ में रह और इस तरह का प्रस्ताव यहां नहीं आना चाहिये मुल्क ने इलेक्शन के ज़रिये हमारी इस पालिसी को माना है और अब इस पर बहस नहीं होनी चाहिये, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है । यह भी कहा जाता है कि यह एक वालेंटरी आर्गेनाइज़ेशन है, इस से कभी भी अलग हो सकते हैं, यह एक मरा हुआ घोड़ा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आप अलग नहीं हो जाते हैं, क्यों मरे हुए घोड़े को ले जा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्पष्ट और साफ दृष्टिकोण मैंने आप के सामने रखा था जिस का आप ने कोई उत्तर नहीं दिया है । आप की तरफ से कहा गया है कि साइप्रस की समस्या हल होने लगी है, केनिया की समस्या हल होने लगी है, अफ्रीका की समस्या हल होने लगी है और यह कामनवैल्थ की वजह से है, ठीक नहीं है मैं समझता हूं कि उस के बावजूद भी उन की समस्या हल होगी । हमारी कुछ परम्परायें थीं, उन के मुताबिक हमें उन की ससहायता करनी चाहिये थी लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि हम उस में बहुत बुरी तरह से असफल रहे हैं और हमारी जो परम्परायें रही हैं, उन का हम पालन नहीं कर पाये हैं उन की मदद नहीं कर पाये हैं । मदद देने से मेरा मतलब यह नहीं कि किसी के मामलों में, किसी के अन्दरूनी मामलों में हम दखल दें । इस तरह का दखल देने का कोई सवाल ही नहीं था । हमारी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो दूसरे मुल्कों ने बिना दखल दिये हुए भी कुछ सहायता, मोरेल सपोर्ट हम को दी थी । मुझे तो ऐसा लगता है कि मोरेल सपोर्ट भी हम उन को नहीं दे रहे हैं । साइप्रस के मसले को हल नहीं किया जा रहा है, उस को टाला जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं । केनिया का मसला हल नहीं हो रहा है । दूसरे अफ्रीका के देश हैं जिन के मसले हल नहीं हो रा

रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं । आर्थिक कारणों की वजह से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस में रहने से हम को हानि उठानी पड़ रही है ।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम आइसोलेशन में चले जायें । प्रधान मंत्री की पुरानी स्पीचिज से मैंने कुछ उद्धरण दिये थे और माननीय सदस्यों ने भी उस को उद्धृत किया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज १९४९ नहीं है, १९५६ भी नहीं है । उस वक्त यह कहा जा सकता था कि हम आइसोलेशन में चले जायेंगे । आज आइसोलेशन का सवाल नहीं है । १९५५ में हमने बांडुंग सम्मेलन किया था । उस के बाद दूसरा सम्मेलन करने की कोशिश हो सकती थी जो हम ने नहीं की ऐसा सम्मेलन कर के हम अफ्रीका और एशिया के देशों को इकट्ठा कर सकते थे । यह हम ने क्यों नहीं किया ? कौन कहता है कि आप आइसोलेशन में जायें । हम खुद चाहते हैं कि आप आइसोलेशन में न जायें । हम यू० एन० ओ० के सदस्य हैं, उस से सम्बद्ध कई संगठनों के सदस्य हैं और ऐसी हालत में अलग रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, उस के बजाय एक और आर्गेनाइजेशन रहे, इस की कोई आवश्यकता नहीं है । हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया के सभी राष्ट्रों के साथ दोस्ती के सम्बन्ध रहें, हम किसी से अलग न रहें, हमारी किसी के साथ दुश्मनी न हो ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन मतभेद इस पर है कि आप एक छोटा सा गुट बनाना चाहते हैं लेकिन आप कहते हैं कि यह आप का उद्देश्य नहीं है । जब यह आप का उद्देश्य नहीं है तो फिर आप क्यों यह छोटा सा गुट बनाये हुए हैं ? जब दो चार या दस राष्ट्रों के प्रधान मंत्री मिलते हैं, नेता मिलते हैं, तब कुछ न कुछ उस के मकसद अवश्य होते हैं कुछ न कुछ हेतु अवश्य होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिये वे मिलते हैं, या आदर भावना प्रकट करने के लिये वे मिलते हैं । मैंने जो जो दलीलें दी हैं उन का उत्तर देने की किसी भी माननीय सदस्य ने जिन्हों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, आवश्यकता नहीं समझी है । कुछ ने कहा कि यह निश्चय कर लिया गया है कि कामनवैल्थ में रहेंगे और अगर यह सही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन यह न कहिये कि आप ने कामनवेल्थ के मसले को ले कर मुल्क से वोट मांगा और मुल्क ने आप के हक में वोट दे दिया और इसलिये अब आप इस नीति पर चलते रहेंगे । यह अच्छा तरीका कहने का नहीं है ।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम दुनिवा के उन देशों के साथ जा कर रहें जो कल तक शोषित रहे हैं, पददलित रहे हैं, आज गुलाम हैं, उन की गुलामी को दूर करने में हम जितना अधिक सहयोग दे सकते हैं दें । हमें किसी देश के भीतरी मामलों में दखल नहीं देना है और न ही किसी को यह महसूस होना चाहिये कि हम ऐसा कर रहे हैं बल्कि अपने ऐसे तरीकों से हम इस दिशा में प्रयत्न करें जिस से दुनिया से गुलामी, पराधीनता, पिछड़ापन, अर्द्धविकसितपन हमेशा हमेशा के लिये खत्म हो जाय । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की यही परम्परायें रही हैं, हिन्दुस्तान का यही इतिहास रहा है और आज की दुनिया का यही एक तकाजा है ।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जायगा और जो पिछली गलतियां हुई हैं, उन को आगे नहीं दोहराया जायगा । मैं समझता हूं कि अगर कामनवैल्थ से हम अलग हो जाते हैं तो इस से अगर हमें कोई फायदा नहीं होता है तो नुक्सान भी नहीं होने वाला है । इतना लाभ तो अवश्य होंगा कि हम आज़ाद हो जायेंगे इस बात के लिये कि दुनिया के उन देशों को एक साथ करने कीं कोशिश करें जो लड़ाई नहीं चारते हैं, जो शान्ति चाहते हैं, जो विश्व सरकार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं इस संकल्प को मतदान के लिये रखूं अथवा माननीय सदस्य इसे वापस लेना चाहते हैं ?

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि भारत को राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश में कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और अधिक अच्छे समन्वय तथा सुधार के लिये मार्गोपाय सुझाने के लिये संसद् सदस्यों, देश की विख्यात कृषि विशारदों तथा कृषि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

हमारा देश कृषि प्रधान देश है । यहां की तीन चौथाई जनता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है । पिछले कई वर्षों से हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । कृषि उत्पादन के लिये, कृषि अनुसंधान और विशेष रूप से देश को विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान, महत्वपूर्ण हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें ।

(इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, २९ फरवरी १९६०/१० फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६०

७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

विषय	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१३७३—१४००
तारांकित प्रश्न संख्या	
४१२ जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में नकदी का गायब	१३७३-७४
४१३ गन्ना उत्पादक .	१३७४-७५
४१४ यमुना जलविद्युत परियोजना	१३७६-७७
४१५ कृषि सम्बन्धी आयोग .	१३७७—७८
४१६ गैंगमैनों का तूफान एक्सप्रैस से कट जाना	१३७९-८०
४१८ पश्चिमी बंगाल में धान उत्पादन	१३८०—८२
४१९ मछली उद्योग में जापानी सहयोग	१३८३-८४
४२१ सिंचाई के लिये बिजली	१३८४—८७
४२२ चीनी की मिलें	१३८७—८९
४२३ भारतीय नाविकों की भर्ती	१३८९—९१
४२४ विद्यार्थियों के लिये निशुल्क यात्रा	१३९२-९३
४२७ इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता द्वारा हड़ताल	१३९३-९४
४२९ नजफ़गढ़ का गन्दा नाला	१३९४-९५
४३० आंध्र प्रदेश का कृष्णा बान्ध .	१३९५-९६
४३१ अगरतला के लिये नाली-व्यवस्था योजना	१३९६-९७
४३३ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स . . .	१३९७—९९
४३४ मद्रास और केरल के बीच अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद	१३९९-१४००
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
३ टलीफोन की ट्रंक कॉलों की दरें .	१४००—१४०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४०२—१४२७
तारांकित प्रश्न संख्या	
४११ फल उत्पादन	१४०२

387 (Ai) L.S.D.—9.

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
४१७	रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियां .	१४०२-०३
४२०	फ्रांसीसी उर्वरकों का आयात	१४०३-०४
४२५	नेपाल एयर लाइन्स सर्विस	१४०४
४२६	खांडसारी . .	१४०४
४२८	अमृतसर–पठानकोट रेलवे लाइन पर बम विस्फोट	१४०५
४३२	अन्दमान में वन	१४०५
४३५	पश्चिमी बंगाल को गेहूं का संभरण	१४०५-०६
४३६	चीनी उत्पादन . .	१४०६
४३७	भाखड़ा जलाशय में मिट्टी जमा हो जाना	१४०६-०७
४३८	ट्रंक कॉलों की संशोधित दरें .	१४०७
४३९	खाद्य के वहन के लिये माल-डिब्बों का अभाव	१४०९
४४०	दिल्ली में चिड़ियाघर	१४०८
४४१	खाद्यान्न में राज्य व्यापार . .	१४०९
४४२	पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया रकम .	१४०९
४४३	रिज़र्व बैंक द्वारा 'पैकेज प्रोग्राम' के अधीन काश्तकारों को ऋण	१४१०
४४४	नगर आयोजन संगठन के कर्मचारियों की छंटनी	१४१०
४४५	जाली टिकट	१४११
४४६	सड़कों के नक्शे . .	१४११
४४७	कांडला पत्तन में निर्बाध व्यापार जोन	१४१२
४४८	केन्द्रीय वानिकी बोर्ड	१४१२
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
४७५	दम दम जंकशन पर सिगनल . .	१४१२
४७६	बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) में टेलीफोन कनेक्शन	१४१२-१३
४७७	आलू, गेहूं और मक्का के सम्बन्ध में अनुसन्धान	१४१३
४७८	दिल्ली में कृषि विकास .	१४१३
४७९	दिल्ली में भूमि का कटाव . .	१४१५
४८०	पश्चिम रेलवे में टिकट चैकर तथा टिकट कलैक्टर	१४१५

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४८१	उत्तर रेलवे पर अनधिकृत विक्रेता .	१४१५
४८२	अलसी . .	१४१५
४८३	पी० एल० ४८० के अधीन अमरीका से गेहूं का आयात	१४१५
४८४	हाल्दिया पत्तन .	१४१५-१६
४८५	दिल्ली-मास्को रेडियो टेलीप्रिंटर सम्पर्क .	१४१६
४८६	अजमेरी गेट (दिल्ली) की गन्दी बस्तियों की सफ़ाई	१४१७
४८७	खरीफ़ आन्दोलन	१४१७
४८८	कोज़ीकोड में ऊपरी पुल .	१४१७
४८९	अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संगठन	१४१७
४९०	दुर्गापुर से प्रेस सूचनायें	१४१८
४९१	बम्बई में फल उद्यानों का विकास .	१४१८
४९२	राष्ट्रीय उपवन (नेशनल पार्क)	१४१९
४९३	रेलगाड़ियों में संसद्-सदस्यों के लिये स्थानों का आरक्षण .	१४१९-२०
४९४	हावड़ा-दिल्ली तथा दिल्ली-हावड़ा मेलों में स्थानों का आरक्षण	१४२०
४९५	गन्ने का उत्पादन	१४२०-२१
४९६	गोबध	१४२१
४९७	परिवार नियोजन का पुनरीक्षण	१४२१
४९८	पंजाब में किराये की इमारतों में डाकखाने	१४२१
४९९	रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	१४२२
५००	दिल्ली में सहकारी समितियां	१४२२-२३
५०१	रबी उत्पादन आन्दोलन	१४२३-२४
५०२	कैंसर के रोगी	१४२४
५०३	टेलीफोन मंत्रणा समिति, इलाहाबाद	१४२४-२५
५०४	सवारी-डिब्बों का निर्माण	१४२५
५०५	उड़ीसा में पश्चिमी बंगाल को चावल का भेजा जाना	१४२५
५०६	पठानकोट में माल और यात्री यातायात . .	१४२५-२६
५०७	चीनी, खांडसारी और गुड़ उद्योगों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा	१४२६
५०८	गाड़ियों में वायरलैस की व्यवस्था	१४२६
५०९	मैसूर की कोढ़ नियन्त्रण यूनिट	१४२७

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४२७-२८

(१) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियम में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५७ की एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति ।

(१) १९५८-५९ के लिये लेखा-परीक्षित लेखों सहित ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदनों और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

(२) १९५८-५९ के लिये लेखा-परीक्षित लेखों सहित वेस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदनों और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १७३ ।

(दो) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १९५ में जिसमें चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० दिया हुआ है ।

(तीन) चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ३०० ।

राष्ट्रपति से सन्देश १४२८

अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रपति का निम्नलिखित सन्देश लोक-सभा को सुनाया :—

" ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष मैंने जो अभिभाषण दिया था उस के लिये लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त धन्यवाद पर मुझे परम संतोष है ।"

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से सन्देश १४२६

सचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा २५ फरवरी, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये श्री एच० डी० राजा के निधन के फलस्वरूप हुई रिक्ति को पूरा करने के लिये एक सदस्य नियुक्त करे और उसने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी को मनोनीत किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने १९ फरवरी, १९६० को हुई अपनी बैठक में श्री कैलाश बिहारी लाल के अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया . . १४२९

सचिव ने श्री कैलाश बिहारी लाल के अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक, १९६० को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा ।

लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . १४२९

पहला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १४२९—३१

श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा के आदिम जाति क्षेत्रों में जंगली चूहों के उपद्रव के फलस्वरूप उत्पन्न हुई भयंकर अकाल स्थिति की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १४३१—५२

१९६०-६१ के लिये रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —स्वीकृत १४५२

छप्पनवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--अस्वीकृत . . १४५२--७८

भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--विचाराधीन . . . १४७८

श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा ने संकल्प प्रस्तुत किया कि कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिये एक समिति नियुक्त की जाये ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार २९ फरवरी, १९६०/१० फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि--

रेलवे आय-व्ययक, १९६०-६१ पर अग्रेतर चर्चा तथा वर्ष १९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) का उपस्थापन ।